लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 16, मंगलवार, 16 अगस्त, 1966/25 श्रावण, 1888 (शक)
No. 16, Tuesday, August 16, 1966/Sravana 25, 1888(Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
प्र० संख्या Q. Nos.		
450. अकाल की स्थिति के कारण कुछ क्षेत्रों से लोगों का दूसरे क्षेत्रों में चले जाना	Migration of people due to Famine ..	1—5
452. खाद्यान्नों का राशन	Rationing in Foodgrains	5—8
453. लगान पर अधिभार	Surcharge on Land Revenue	8—13
454. समान व्यवहार संहिता	Common Civil Code	14—17
456. घटिया किस्म के गेहूं का दिया जाना	Supply of inferior quality wheat	17—21
ता० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.		
10. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के कर्मचारियों की भूख हड़ताल	Hunger Strike by Employees of Hindustan Lever Limited ..	21—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.		
451. ऊन श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) तथा कटाई (शीयरिंग) कार्यक्रम	Wool Grading and Shearing Programme ..	25—26
455. खाद्य समितियों की स्थापना	Setting up of Food Committees	26
457. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्य की जांच	Enquiry into Working of I. A. C.	26—27
458. बीजों का उत्पादन	Production of Seeds ..	27—28

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
459. उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद	Bulk Purchase of Essential Commodities for Consumer Cooperative Stores ..	28
460. हुगली नदी का तलकर्षण	Dredging of Hooghly Channel ..	29
461. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानें	I. A. C. Flights	30
462. अरब सागर और भारतीय किसान	Arabic Ocean and Indian Farmer	31
463. चीनी के निर्यातकों को राज सहायता	Subsidy to Sugar Exporters ..	31
464. लोक-सभा की सदस्यता के चुनाव के लिये जमानत की राशि	Security Deposit for contest of Lok Sabha Seats ..	32
465. चीनी के भावों में समानता	Uniformity in Rates of Sugar ..	32
466. पर्यटन-यातायात	Tourist Traffic ..	32—33
467. उड़ीसा में दुर्भिक्ष निवारण उपाय	Famine Relief Measures in Orissa	33
468. केरल में राजकीय मत्स्यपालन निगम	States Fisheries Corporation in Kerala	34
469. भूमि सर्वेक्षण	Soil Surveys ..	35
470. दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की बसों का चलना	Plying of U. P. Government Roadways Buses between Delhi and U. P. ..	35—36
471. सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Jeeps from C. D. Block	36
472. बिहार में कपास उत्पादन का अभियान	Cotton Production drive in Bihar ..	36—37
473. दिल्ली में मैदा और सूजी का राशन समाप्त किया जाना	De-rationing of Maida and Suji in Delhi ..	37—38
474. केरल में समाहार तथा उगाही प्रणाली	Procurement and Levy System in Kerala ..	38
475. दुग्धशाला तथा पशुपालन उद्योग का विस्तार	Expansion of Dairy and Animal Husbandry..	38—39

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
476. दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Supply Scheme	39
477. देसी गेहूं की सप्लाई	Supply of Indigenous Wheat	39
478. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के भाड़ों को बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to increase I. A. C. Fares..	40
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2261. केशव सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement in Keshav Singh's Case ..	40—41
2262. काजू का उत्पादन तथा परिष्करण	Production and Processing of Cashewnuts ..	41—42
2263. त्रिवेन्द्रम में काजू संस्था	Cashew Institute at Trivandrum ..	42
2264. चोरी छिपे लाया गया मांस	Smuggled Meat	42
2265. जूनियर सहकारी प्रशिक्षण संस्थायें	Junior Cooperative Training Institutes ..	43
2266. कुवैत से उपहार के रूप में गेहूं	Wheat Gift from Kuwait ..	43—44
2267 पाइपर विमान की दुर्घटना	Crash of Piper Aircraft	44
2268. अलवाये का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास	Alwaye as a Tourist Resort ..	44
2269. केरल के वन संसाधन	Forest Resources of Kerala ..	45
2270. किसानों को सहायता	Assistance to Farmers	45
2271. केरल का होटल मालिक संघ	Hotel Owners' Association of Kerala	45—46
2272. पश्चिमी घाट सड़क पर माही नदी पर पुल	Bridge at Mahe on West Coast Road	46
2273. कृषि कार्यों के लिये बिजली	Electricity for Agricultural Purposes ..	46—47
2274. मन्डपम शिविर (कैम्प) में केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र अनुसंधान संस्था के कर्मचारी	Employees of Central Marine Fisheries Research Institute at Mandapam Camp ..	47
2275. नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन क्रम	Pay Scales of Employees of Super Bazar, New Delhi ..	48
2276. चावल के दाम	Price of Rice ..	48—49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2277. त्रिपुरा में लाने ले जाने में खाद्यान्नों की हानि	Loss of Foodgrains in Transit in Tripura ..	49
2279. बिना 'पी' फार्म के निःशुल्क इन्टरलाइन पास से यात्रा	Travel on Free Interline Pass without 'P' Form..	49—50
2280. कृषि में विनियोजन	Investment in Agriculture ..	50—51
2281. गहरे समुद्र से मछलियाँ पकड़ने के जहाजों की पोलैण्ड द्वारा सप्लाई	Supply of Deep sea Fishing Vessels by Poland	51
2282. पश्चिमी बंगाल में चावल जब्त किया जाना	Confiscation of Rice in West Bengal ..	51—52
2283. चीनी मिलों को कर में छूट	Tax Relief to Sugar Mills ..	52
2285. भारतीय खाद्य निगम के लिये नये कार्यालय	New Offices for Food Corporation of India..	52—53
2286. मैसर्स डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी	M/s. Duncan Stratton and Co. ..	53
2287. अभाव तथा दुर्भिक्ष की स्थिति	Scarcity and Famine Conditions ..	53—54
2288. बम्बई में सान्ताक्रुज हवाई अड्डे की भूमि से बेदखली	Eviction from Land at Santa Cruz Air Port, Bombay ..	54—55
2289. खोसला पंचाट	Khosla Award ..	55
2290.किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी सूचना	Weather Reports for Farmers	55
2291. सब्जियों के दाम	Prices of Vegetables ..	56
2292. बिहार में आलू के दाम	Prices of Potatoes in Bihar	56
2293. कृषि उत्पादन में कमी	Decline in Agricultural Production	56—57
2294. बिहार में प्रति एकड़ उत्पादन	Per Acre Production in Bihar ..	57
2295. कृषकों के लिये वित्त व्यवस्था की योजना	Finance Scheme for Agriculturists	57—58
2296. गेहूं तथा चावल के समाहार मूल्य	Procurement prices of Wheat and Rice	58—59
2297. कच्चे पटसन का निम्नतम मूल्य	Floor Price of Raw Jute	59—60
2298. दिल्ली में बसों के किराये	Bus Fares in Delhi ..	60

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्रा० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2299. गेहूं और धान की अधिक उपज वाली किस्में	High Yielding varieties of Wheat and Paddy..	60—61
2300. आगरा डिपों में अनाज की देखभाल	Handling of Foodgrains at Agra Depot	61
2301. केरल में मछली पकड़ने का उद्योग	Fishing Operations in Kerala	62
2302. उत्तर प्रदेश में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in U. P.	62
2303. डेनियल वाल्कोट का बच निकलना	Escape of Daniel Walcott ..	63
2304. टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) में कृषि फार्म	Agriculture Farm in Tikkamgarh M. P.	63
2305. काश्मीर में पर्यटकों को सुविधा के लिये विशेष पुलिस संस्थान	Special Police Establishment for convenience of Tourists in Kashmir ..	63—64
2306. राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के लिये डिनर (सायंकालीन भोजन) पोत-विहार	Dinner Cruise for A. I. C. C. Delegates by National Shipping Board ..	64
2307. चावल मिलें	Rice Mills	64—65
2308. राजस्थान में चारे की कमी	Scarcity of Fodder in Rajasthan	65
2309. विदेशों को चीनी का निर्यात	Sugar Export to Foreign Countries	65—66
2310. जोधपुर में पानी की कमी	Scarcity of Water in Jodhpur	66
2311. हल्दिया पत्तन परियोजना स्थल तक राजपथ	Highway to Haldia Port Project Site	66—67
2312. पंजाब को खाद्यान्नों का सम्भरण	Supply of Foodgrains to Punjab	67
2313. ईंट बनाने के उद्योग द्वारा कृषि भूमि का खराब किया जाना	Spoiling of Agricultural Land by Brick Industry ..	67—68
2314. चीनी का निर्यात	Export of Sugar	68—69
2315. आम चुनावों में मोटर गाड़ियों का प्रयोग	Use of Vehicles during General Elections ..	69

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2316. पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था	Rationing System in West Bengal ..	69—70
2317. अकाल सहायता के बारे में दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of Southern States on Famine Relief ..	70
2318. गहन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agricultural Programme ..	70—71
2319. यात्रा के लिये टिकट लेने पर इंडियन वापिसी एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा रियायत दिया जाना	I. A. C. Return Journey Booking Concessions	71—72
2320. बिहार में धान समाहार आदेश का उल्लंघन	Violation of Paddy Procurement Order in Bihar ..	72
2321. उपभोक्ता वस्तुओं की वसूली	Consumer Articles to be obtained as Levy ..	72—73
2322. इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की छात्रवृत्ति योजना	I. A. C. Scholarship Scheme ..	73—74
2323. मुजफ्फरपुर तक विमान सेवा	Air Service to Muzaffarpur ..	74
2324. समेकित क्षेत्र विकास योजना	Integrated Area Development Scheme	75
2325. आधुनिक चावल मिलों को चलाने का प्रशिक्षण	Training for Operation of Modern Rice Mills	75—76
2326. उड़ीसा में भू-संरक्षण	Soil Conservation in Orissa ..	76
2327. उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने सम्बन्धी योजनायें	Deep Sea Fishing Schemes in Orissa	76—77
2328. उड़ीसा में बीज फार्म	Seed Farms in Orissa	77
2329. तुलिहाल हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना	Accident at Tulihal Airport	77—78
2330. उड़ीसा में नलकूपों की खुदाई	Drilling of Tube Wells in Orissa ..	78
2331. राजस्थान को सहायता	Assistance to Rajasthan ..	78
2332. बिहार को गेहूं का सम्भरण	Wheat Supply to Bihar ..	79
2333. गैर-सरकारी वनों का विनाश	Destruction of Private Forests	79—80
2334. केरल में खाद्य पोलिटेक्निक	Food Polytechnic in Kerala	80
2335. उर्वरकों का मूल्य	Price of Fertilizers	80—81

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2336. राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to States ..	81
2337. नागालैंड में चुनावों में पड़े मत	Votes Polled in Election in Nagaland ..	81—82
2338. ढोरों के लिये लूप का प्रयोग	Use of Loop for Cattle	82
2339. महेन्द्र घाट और पालेजा घाट के बीच बड़ी नौका सेवा	Ferry Service between Mahendra and Paleza Ghats ..	82
2340. केन्द्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड	Central Desert Development Board	82—83
2341. दिल्ली में चलाये जाने वाले स्कूटरों के किराया सूचक मीटर	Fare-Meters for Scooters Plying in Delhi ..	83
2342. अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खाद्य स्थिति	Food situation in the Andamans and Nicobar Islands ..	83—84
2343. पैकेज कार्यक्रम और गहन खेती जिला कार्यक्रम	Package and I. A. D. Programme	84—86
2344. छोटे सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works ..	86
2345. अखिल भारतीय मतदाता परिषद्	All-India Voters' Council	87—88
2346. जपानी जहाजरानी कम्पनी	Japanese Shipping Line	88
2347. किसानों को बीज तथा ऋण की सप्लाई	Supply of Seeds and Credit to Farmers	88—89
2348. एयर इंडिया के बोइंग विमान की दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर	Compensation for Air India Boeing Crash Victims ..	89
2349. उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों द्वारा हड़ताल का दिल्ली में माल की सप्लाई और कीमतों पर प्रभाव	Impact of U. P. Truck Operators' Strike on the Supplies and prices in Delhi ..	90
2350. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जत नगर/मुक्तेश्वर	Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar/Mukteswar ..	90—91
2351. भारत-पाकिस्तान और ब्रिटेन महाद्वीप जहाजरानी सम्मेलन	Indian-Pakistan U. K. Continent Shipping Conference ..	91
2352. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भूमि का कटाव	Soil Erosion in Hill Districts of U. P. ..	91—92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2353. दिल्ली में सामुदायिक विकास अधिकारियों की बैठक	Meeting of Community Development Officers in Delhi ..	92
2354. चुनाव उपायुक्त	Deputy Election Commissioners	93
2355. पंजाब में बीज फार्म	Seed Farms in Punjab ..	93
2356. त्रिपुरा की परिवहन व्यवस्था	Tripura's Transport System	93—94
2357. उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के लिये मतपत्रों का अंग्रेजी में छापा जाना	Printing of Ballot Papers in English for Election to U. P. Council ..	94
2358. गो संरक्षण के बारे में साधुओं द्वारा आन्दोलन	Agitation by Sadhus Regarding Cow Protection ..	94—95
2359. आन्ध्र प्रदेश में चावल का मूल्य	Price of Rice in Andhra Pradesh	95
2360. मनीपुर के सीमान्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें	Roads in Border and Hill Areas of Manipur..	95—96
2361. मनीपुर को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Manipur	96
2362. मनीपुर में बाढ़ से नुकसान	Loss caused by Floods in Manipur	97
2363. दिल्ली में दूध की कमी	Shortage of Milk in Delhi	97—98
2364. गन्ने के दाम	Price of Sugar-cane ..	98
2365. आसाम अगरतला सड़क	Assam Agartala Road ..	98—99
2366. भारतीय वन अधिनियम	Indian Forest Act ..	99
2367. त्रिपुरा में ग्राम पंचायतें	Gram Panchayats in Tripura ..	99
2368. माही से गुजरने वाली मोटर गाड़ियों पर कर	Taxes on vehicles passing through Mahe ..	100
2369. केरल कृषक ऋण सहायता अधिनियम	Kerala Agriculturists Debt Relief Act	100
2370. प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में शेयर	Shares in Private Limited Companies ..	101
2371. उपहार के रूप में विदेशों से प्राप्त अनाज की बिक्री	Sale of Food Gifts Received from Abroad ..	101—102
2372. केरल में पंचायती राज	Panchayati Raj in Kerala ..	102
2373. आन्ध्रप्रदेश को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to Andhra Pradesh ..	102—103

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

2374. केरल में चावल का मूल्य	Price of Rice in Kerala ..	103
2375. काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस का चुनाव चिह्न	Election Symbol for Kashmir National Conference ..	103
2376. सौराष्ट्र के तट के पास लाइबेरिया के मालवाहक जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident to Liberian Freighter off the Saurashtra Coast ..	103—104
2377. वाइकाउन्ट विमानों को बदलना	Replacement of Viscounts	104
2378. उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers ..	104—105
3379. पठानकोट खेड़ा मार्ग पर चलने वाली बसें	Buses Plying on Pathankot-Khera Route ..	105—106
2380. यंत्रीकृत फार्म	Mechanised Farms ..	106
2381. घग्घर नदी में बाढ़ से सूरतगढ़ के कृषि फार्म में फसल को हानि	Loss of Crops in Suratagarh Agricultural farm due to floods in Ghaggar River ..	106—107
2382. तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना	Tuticorin Harbour Project ..	107
2383. परादीप पत्तन	Pradeep Port ..	107—108
व्यवस्था के प्रश्न के बारे में	Re. Point of Order ..	108—110
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege ..	110—112
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	113—115
दिल्ली में मकानों के ढह जाने के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. House Collapses in Delhi— ..	115—116
श्री नन्दा	Shri Nanda ..	115—116
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	Advocates (Amendment) Bill ..	116—119
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma ..	116—117
श्री उ. मू. त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi ..	117—118
श्री चे. रा. पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman	118
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 ..	118—119
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	119
श्री अ. सिं. सहगल	Sri A. S. Saigal	119

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	119
श्री चे. रा. पट्टाभिरामन	Shri C. R. Pattabhi Raman ..	119
दण्ड विधि संशोधन (संशोधी) विधेयक	Criminal Law Amendment (Amending) Bill	119—125
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	119
श्री हाथी	Shri Hathi ..	119—120
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	120
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	120, 121
श्री नम्बियार	Shri Nambiar ..	121—122
श्री पाराशर	Shri Parashar	122
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee ..	122—123
श्री कृ. चं. शर्मा	Shri K. C. Sharma ..	123
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida	123
खण्ड 2 से 6 और 1	Clause 2 to 6 and 1 ..	124—125
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	125
श्री हाथी	Shri Hathi ..	125
जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) विधेयक	Jayanti Shipping Company (Taking over of Management) Bill ..	125—128
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ..	125
श्री चे. मु. पुनाचा	Shri C. M. Poonacha ..	125—126
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	127
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक	Customs (Amendment) Bill ..	128—130
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	128
श्री ब. रा. भगत	Shri B. R. Bhagat	128,129
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा	Shri Narendra Singh Mahida ..	128—129
खण्ड 2 से 4 और 1	Clause 2 to 4 and 1	130
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	130
श्री ब. रा. भगत	Shri B. R. Bhagat	130
पाकिस्तान तथा चीन द्वारा मिजो तथा नागा विद्रोहियों की सहायता के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Help to Mizo and Naga Hostiles by Pakistan and China ..	130—134
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua ..	130—132
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	..132,133,134

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 16 अगस्त, 1966/25 श्रावण, 1888 (शक)

Tuesday, August 16, 1966/Sravana 25, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अकाल की स्थिति के कारण कुछ क्षेत्रों से लोगों का दूसरे क्षेत्रों में चले जाना

+

*450. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के उन क्षेत्रों के लोग, जो अनाज न मिलने के कारण अकाल से पीड़ित हैं, अनाज प्राप्त करने के उद्देश्य से देश के अन्य भागों में चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों के लोग दूसरे स्थानों में चले गये हैं; और

(ग) देश में अनाज की कमी वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

विभिन्न अभाव ग्रस्त राज्यों के लिए आबंटित आयातित खाद्यान्नों (गेहूं और माइलो) की मात्रा बढ़ा दी गई हैं। 1966 के प्रथम आठ महीनों में इन क्षेत्रों को दी जाने वाली खाद्यान्नों की मात्रा निम्न प्रकार से है :

(आँकड़े 1000 टनों में)

		गेहूं	माइलो
1.	आन्ध्र प्रदेश	163	36
2.	गुजरात	369	149
3.	मध्य प्रदेश	334	56
4.	महाराष्ट्र	1046	439
5.	मैसूर	332	151
6.	उड़ीसा	166	17
7.	राजस्थान	316	86

उपरोक्त आबंटनों में खाद्यान्नों की वे निम्नांकित मात्रायें भी आ जाती हैं जो इन राज्यों को वृद्ध, रोगी तथा दूसरे काम करने में असमर्थ लोगों की सहायतार्थ बिना मांगे मुफ्त वितरण के लिए दी गई हैं :

		गेहूं	माइलो
1.	उड़ीसा	14,000 टन	3,000 टन
2.	मध्य प्रदेश	7,000 टन	—
3.	महाराष्ट्र	6,000 टन	—
4.	राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर	5,000 टन प्रत्येक को	—
5.	गुजरात	3,100 टन	1,000 टन

विदेशों से भेट स्वरूप आये हुए खाद्यान्नों में से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों में से प्रत्येक को 1,000 टन गेहूं का आटा मुफ्त वितरण के लिए बिना मांगे सहायता के रूप में दिया गया है।

इन प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिए विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त 2,918 सूखे मटर तथा 850 टन के करीब सेम भेज दी गई हैं।

अभाव ग्रस्त राज्यों को बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा बच्चे वाली माताओं में प्रभावित क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिए 25,000 टन दुग्ध चूर्ण दे दिया गया है। उनको बच्चों में मुफ्त वितरण के लिए 500 टन से अधिक बिस्कुट भी दे दिये गये।

श्री नि० रं० लास्कर : इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आसाम में आजकल गम्भीर खाद्य समस्या है। अभी हाल ही में मैं आसाम गया था तथा मुझे ज्ञात हुआ कि गावों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चावल 4 रु० प्रति किलो की दर से आम बाजार में बिक रहा है। क्या आसाम में आजकल अकाल की स्थिति नहीं है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विवरण में उन्हीं राज्यों का जिक्र है जहां पर सूखे की स्थिति थी और जिनमें उत्पादन बहुत कम हो चुका था। जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, पिछले साल उत्पादन सामान्य रहा तथा इसीलिए आसाम को सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में नहीं वर्गीकृत किया गया। अन्य स्थितियों के कारण आसाम में कुछ कठिनाइयां हैं। हम उन्हें समझते हैं और स्थिति का सामना करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री नि०रं०लास्कर : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि आन्ध्र प्रदेश में भी सूखे के कारण गम्भीर अकाल की स्थिति है। क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश की स्थिति का सामना करने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम आंध्र प्रदेश को विशेषतया रायल सीमा और तेलंगाना के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के उपभोग के लिए गेहूं और माइलो भेज रहे हैं।

श्री लीलाधर कटकी : आसाम सरकार ने वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए चावल और गेहूं की कितनी मात्रा मांगी है तथा सरकार ने इन खाद्यान्नों की कितनी मात्रा भेजी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं आसाम द्वारा मांगे गये खाद्यान्नों को सीधे नहीं दे सकता हूं। किन्तु कुछ ही दिन पूर्व हमने एक हजार टन अनाज आपाती आधार पर उन्हें भेजा था। उनकी दूसरी आवश्यकताओं पर विचार हो रहा है।

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister has stated that no body has migrated from one state to another due to scarcity of foodgrains, whereas I have seen with my own eyes people migrating from Rajasthan and Madhya Pradesh to other States due to famine conditions. I would like to know whether the Hon. Minister did not have statistics or he has not tried to understand it. Secondly, the quantity allotted to wheat producing areas is much less for Rajasthan and Madhya Pradesh. What are the reasons for this ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक लोगों के इधर-उधर जाने का सम्बन्ध है, हमने सभी राज्य सरकारों से पूछा है तथा उन्होंने उत्तर दिया कि खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं गये। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ऋतु में साधारणतया लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में गये। किन्तु यह एक सामान्य बात है। हम प्रश्न को इसी तरह समझ पाये तथा इसी प्रकार इसका उत्तर भी दिया गया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं आया।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पिछले वर्ष हमने हर राज्य की कमी का अनुमान लगाया था तथा

उसी के आधार पर हमने केन्द्र के पास उपलब्ध मात्रा का आनुपातिक आबंटन किया था। किन्तु हाल ही में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में कठिनाई पैदा हुई और हमने उनका कोटा बढ़ा दिया है।

श्री स०चं० सामन्त : क्या विवरण में बताये गये राज्यों में से भी किसी ने चावल की मांग की ? यदि हां, तो क्या चावल या दूसरे खाद्यान्न उनको भेजे गये ?

श्री चि०सुब्रह्मण्यम : गुजरात, महाराष्ट्र तथा मैसूर ने चावल की मांग की किन्तु दुर्भाग्य से हम उन्हें पर्याप्त चावल नहीं दे सके। कुछ थोड़ी-सी मात्रा में चावल भेज दिया गया था।

Shri Gulshan: Is it a fact that due to shortage of water, fodder and grains, people and cattle in thousands have migrated from Rajasthan to Punjab.

Mr. Speaker: He has answered it.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार था कि मैंने इसका उत्तर दे दिया।

Shri Gulshan: The Hon. Minister has given a wrong reply. Many people have migrated to Punjab.

Mr. Speaker: If the answer is wrong, what can I do Gulshan Saheb.

Shri Gulshan: I assert it is a wrong statement altogether. Thousands of people have migrated to Punjab.

Mr. Speaker: This cannot be discussed.

Shri Gulshan: But the Minister cannot make a wrong statement.

अध्यक्ष महोदय : मैंने आप से कह दिया कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने उन्हें यह सूचना भेजी है कि सूखे तथा अकाल स्थिति के कारण वहां से लोग नहीं गये हैं।

श्री दे० जी० नायक : सूखाग्रस्त राज्यों को खाद्यान्न, विशेषतया माइलो और गेहूं कितनी मात्रा में भेजा गया है तथा विभिन्न राज्यों में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के स्त्री तथा बच्चों की सहायतार्थ कितना दुग्ध-चूर्ण भेजा गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने अपने वक्तव्य में बिना मांगे सहायतार्थ वितरण के लिए दी गई गेहूं तथा माइलो की मात्रा के आंकड़े दिये हैं, जैसे :—

	गेहूं	माइलो
उड़ीसा	14,000 टन	3,000 टन
मध्यप्रदेश	7,000 टन	.....
महाराष्ट्र	6,000 टन	.....
राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर	5,000 टन	.....
गुजरात	3,100 टन	1,000 टन

जहां तक दुग्ध-चूर्ण का सम्बन्ध है, यह 25,000 टन दे दिया गया है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या लोग मध्य प्रदेश के छत्तीस गढ़ क्षेत्र से भी राज्य या देश के दूसरे भागों में गये हैं ? उन्हें खाद्यान्न पहुंचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : रोजगार प्राप्त करने के लिये लोग राज्य के अन्दर ही ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को गये हैं।

Shri Buta Singh : Whenever a question regarding deaths due to famine conditions and movement of people from their States to another places due to famine conditions is raised, the Minister states :

(a) No.

(b) Question does not arise.

I would like to know what is the basis of their information for making such a reply. Secondly, I would like to know whether the Minister has tried to know as to which are the States where grave famine conditions prevail, at this juncture when all sorts of troubles and quarrels are there everywhere in the country.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें राज्य सरकारों के प्रतिवेदनों पर निर्भर करना पड़ता है। इन मामलों की जांच करने के लिए हमारे अपने अभिकरण नहीं हैं। प्रवर्जन के बारे में मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि मुझे बताया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान से ढोरों को आसपास के राज्यों में प्रतिवर्ष ले जाया जाता है—ऐसा केवल इसी वर्ष ही नहीं किया गया है—और वर्षा ऋतु आरम्भ होने पर उन्हें वापस लाया जाता है। अतः यह एक सामान्य बात है। हो सकता है, सूखे के कारण इस बार कुछ अधिक ढोरों को ले जाया गया हो।

श्री बूटा सिंह : न केवल ढोर ही, परन्तु काफी संख्या में लोग भी भटिंडा जिले में आये हैं। क्या मंत्री महोदय इसका पता लगा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

Shri Yashpal Singh : Has Government opened any office or kept any register so that persons migrating from one place to another place could inform that office or sign in the register before moving to other places? In Haridwar alone, 40,000 persons are such who are ready to do work on 3 annas per day and they say that anybody can take thousands of cattle which they have got, free of cost. What is the criterion to find out as to who migrated because of starvation and who migrated just for recreation ?

Mr. Speaker : Next question.

खाद्यान्नों का राशन

\+

* 452. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० बरुआ :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटे शहरों में भी खाद्यान्नों का राशन लागू करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) सरकार का यह विचार है कि खाद्यान्नों की सांविधिक राशन व्यवस्था केवल एक लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और उन क्षेत्रों में जहां बहुसंख्या में औद्योगिक कार्यकर्ता रहते हैं वहां पर लागू की जाय। छोटे शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का विचार नहीं है।

(ख) पहले पहल 10 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का विचार था। इसके बाद 3 लाख और 10 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में और सबसे बाद में एक लाख और तीन लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का विचार था।

श्री राम सहाय पाण्डेय : छोटे शहरों में अनाज का सम्भरण करने के लिए सरकार ने क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): ऐसे शहरों में अनौपचारिक राशन-व्यवस्था है और इसके अलावा खुले बाजार में भी अनाज मिलता है।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि देश में राशन के अधिकृत कई ऐसे दुकानदार हैं जो उपभोक्ताओं को अनाज और अन्य अत्यावश्यक वस्तुएं नहीं देते हैं, यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है परन्तु यदि कोई मामले हमारे ध्यान में लाये जायेंगे तो हम उनकी जांच करेंगे।

Shri Madhu Limaye: Has the Hon. Minister given any such statement in Madras recently that the food situation was going to take a serious turn in the next two years and since the Government had no stocks, it was not possible for us to introduce rationing in any new city in accordance with our previous plan?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न यह था कि क्या हम ऐसे नगरों तथा उपनगरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करेंगे जिनमें इस वित्तीय वर्ष में लागू नहीं की गई। मैंने कहा : "जी नहीं, क्योंकि खाद्य स्थिति चिंताजनक है, हम दो अथवा तीन महीनों में अनाज इकट्ठा नहीं कर सकेंगे; हम सांविधिक राशन व्यवस्था लागू नहीं कर सकेंगे, वहां पर हमारी व्यवस्था भंग हो जायेगी।" यह था जो मैंने कहा था।

Shri M. L. Dwivedi: May I know when all the three stages of introducing rationing in cities and towns will be completed? Has Government made any arrangements for supply of foodgrains to non-cultivators in rural areas?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ग्रामीण क्षेत्रों में सांविधिक राशन-व्यवस्था लागू करना सम्भव नहीं होगा। परन्तु ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अनाज की कमी है, उचित मूल्य की दुकानें खोलने

का प्रस्ताव है । हम कमी वाले क्षेत्रों को यथासम्भव मात्रा में अनाज देने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री म० ला० द्विवेदी : इसका उत्तर नहीं दिया गया कि एक से दस लाख जनसंख्या वाले बड़े उपनगरों में कब तक राशन-व्यवस्था लागू हो जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने पहले ही बता दिया है कि इस वर्ष कठिन स्थिति होने के कारण हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य नहीं कर सके हैं । यदि अगले वर्ष स्थिति सामान्य हो गई तो हमें इस पर विचार करना होगा और पता लगाना होगा कि यह कार्यक्रम कब तक चालू किया जा सकेगा ।

श्री बा० कु० दास : सरकार आज की परिस्थितियों में इस वर्ष अपने कार्यक्रम के अनुसार कितने क्षेत्र में राशन व्यवस्था लागू कर लेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस कार्यक्रम को अग्रेतर क्रियान्वित करने से हमें पहले फसल की सम्भावनाओं को जानने के लिये प्रतीक्षा करनी होगी । जैसा कि मैंने पहले बताया हमें आगामी दो महीनों में जिस स्थिति का सामना करना पड़ेगा वह चिन्ताजनक है । इससे पहले कि मैं आगे और आयोजन करूं, मैं इस स्थिति का मुकाबला करने की ओर ध्यान दे रहा हूं ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे उपनगरों में सांविधिक अथवा अनौपचारिक राशन-व्यवस्था लागू नहीं कर सकेगी, सरकार उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज क्यों ले जाने नहीं देती और वह इस प्रकार उनकी कठिनाइयों को कम क्यों नहीं करती ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पंगनूर, पामनेर तथा कुपम आदि स्थानों पर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से अनाज नहीं लाने-ले जाने दिया जाता । सरकार उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों नहीं देती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : एक तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सांविधिक राशन-व्यवस्था है, उनमें अनाज ले जाने की मनाही है । दूसरे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनौपचारिक राशन-व्यवस्था है, वहां पर अनाज खुले बाजार में नहीं मिलता है । मैं जानता हूं कि समाहार के प्रयोजन के लिये एक जिले से दूसरे जिले में अनाज ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । परन्तु एक ही जिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । कर आदि का भुगतान करने के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज ले जाया जा सकता है ।

श्री रंगा : कर आदि होने के बावजूद भी वहां पर अनाज लाने-ले जाने में कठिनाई है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the population of the country to be covered by this programme?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लगभग 800 लाख व्यक्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

Shri Sinhasan Singh : Since the merger of Uttar Pradesh and Punjab into one zone, in the only city in Uttar Pradesh, that is Kanpur, which was under complete rationing, there is a demand by the people to remove the rationing and restore the old method?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है । इसके विपरीत कानपुर को तो राशन-व्यवस्था से यह लाभ है कि वहां पर लोगों को नियन्त्रित मूल्यों पर निश्चित मात्रा में अनाज मिलता है जब कि अन्य स्थानों पर लोगों को भिन्न मूल्य देना पड़ता है ।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने हाल ही में बताया कि आगामी दो महीनों में देश में खाद्य स्थिति बहुत कठिन हो जायेगी, तो इन भावी कठिनाइयों का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या विशेषकार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुख्य कठिनाई तो चावल के सम्बन्ध में होगी और चूंकि चावल की फसल अक्टूबर-नवम्बर के अन्त में आयेगी इसलिए हमें सितम्बर-अक्टूबर के लिए व्यवस्था करनी है । अत: मैं यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि राज्य सरकारों के पास कितना चावल है और फिर इन दो महीनों के लिये व्यवस्था कर लेंगे जिससे यदि आवश्यक हुआ तो उनसे यह चावल ले लिया जाये और उनको इतना ही चावल नवम्बर और दिसम्बर में लौटा दिया जाये । हम इस आधार पर प्रत्येक राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं जिससे इन दो महीनों में पर्याप्त चावल उपलब्ध किया जा सके ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि लोगों में अनाज का उचित रूप से वितरण करने में तथा न केवल नगरों में परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में, सांविधिक राशन व्यवस्था, अनौपचारिक राशन व्यवस्था, उचित मूल्य की दुकानें, उपभोक्ता भण्डार तथा सुपर बाजार असफल रहे हैं ? यदि हां तो इस प्रकार दिखावा करने की बजाय हम कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते जिससे वितरण उचित रूप से हो और मूल्य न बढ़ने पाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विचारणीय बात यह है कि यह वर्ष बहुत ही कठिन वर्षों में से एक था । प्रश्न यह नहीं है कि क्या सब कुछ सही हुआ है परन्तु हमें विचार यह करना है कि यदि ये सब चीजें न होतीं तो क्या दशा होती । मेरे विचार में, हम ने जो कुछ किया है, हो सकता है इस में हम ने कुछ त्रुटियां की हों, यदि हम ये सब न करते तो स्थिति बहुत ही खराब होती। हमने इस शताब्दी के सब से बड़े संकट को पार कर लिया है ।

लगान पर अधिभार

\+

* 453. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने 1962 में आपातकाल की घोषणा के बाद लगान पर अधिभार लगाया था ;

(ख) इससे प्रति वर्ष कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से किया गया था ;

(घ) क्या इससे कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है ; और

(ङ) इस बीच कितने राज्यों ने इस अधिभार को समाप्त कर दिया है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केवल तीन राज्यों अर्थात मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मैसूर ने अक्टूबर, 1962 में आपातकाल की घोषणा के पश्चात लगान पर अधिभार लगाया है ।

(ख) **मद्रास** : राज्य ने मद्रास लगान तथा जल उपकर (अधिभार) अधिनियम, 1965 का अधिनियमन किया जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार मूल लगान तथा जल-उपकर पर 25 प्रतिशत अधिभार लगा सकती है । चूंकि यह वसूली 1.7.1965 से की जायेगी अतः राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लगान के आंकड़े देना अभी सम्भव नहीं है ।

मैसूर : आरम्भ में 1.4.1961 से मैसूर भू-लगान (अधिभार) अधिनियम, 1961 लागू किया गया था । इस बीच 1. 7. 1966 से अधिभार लगाने वाला एक नया विधान लागू किया गया । इस नये अधिनियम के अन्तर्गत अधिभार की दर एक वर्ष के लिये लगान का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 1961-62 से 1963-64 में अधिभार के अन्तर्गत औसत आय २ करोड़ प्रतिवर्ष थी । इस नवीनतम अधिनियम के अन्तर्गत, जो पहले वाले अधिनियम के स्थान पर पास किया गया है, प्राप्त होने वाले राजस्व का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि यह अधिनियम केवल 1.7.1966 से लागू किया गया है ।

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में लगान पर आपातकालीन अधिभार केवल एक वर्ष के लिये 1. 7. 1962 से लगाया गया था । तत्पश्चात 1.7.1965 से अधिभार लगाया गया । अधिभार की दर लगान की 25 प्रतिशत है । राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा वापस लिये जाने के फलस्वरूप नवीनतम अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत पहली जुलाई से अधिभार समाप्त हो जायेगा । 1962-63 तथा 1965-66 में राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये से कुछ अधिक अधिभार के रूप में आय हुई ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उक्त, तीन राज्यों में से उत्तर प्रदेश में 1. 7. 1963 से 30.6.1965 तक कोई अधिभार लागू नहीं था ।

Shri Madhu Limaye: Had the Hon. Minister read the election manifesto issued by Congress Party in 1936 and is he aware of the decision of the Congress Party at Faizpur whereby it had been promised that poor cultivators would be exempted? May I know when the Hon. Minister would fulfil that promise ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह एक राज्य विषय है । अतः इस सम्बन्ध में मैं कोई निश्चित बात नहीं कह सकता हूं । चूंकि प्रश्न यहां पूछा गया, इसलिये मैंने जानकारी इकट्ठी की और यहां प्रस्तुत कर दी ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I know that this is a State subject but they can make a recommendation to the States to this effect through the Planning Commission and the Ministry of Planning and I, therefore, want to know whether any recommendation will be made to give effect to the promise of the Faizpur Congress.

Mr. Speaker : Policy cannot be decided in a supplementary question.

Shri Madhu Limaye : I am not asking about policy. I simply want to know whether any recommendation will be made or not ?

अध्यक्ष महोदय : क्या राज्यों को ऐसा करने की सिफारिश करने का कोई विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं ।

श्री रंगा : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह सरकार योजना आयोग के लिये उत्तरदायी है । योजना आयोग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि लगान पर अधिभार तथा अन्य कर लगा कर अधिकाधिक राजस्व इकट्ठा किया जाय । मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जाना कहां तक उचित है कि यह केवल एक राज्य विषय है ?

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं समझ पाया हूं, श्री मधु लिमये उस वचन का उल्लेख कर रहे थे ....

श्री रंगा : यह तो एक अलग मामला है । प्रश्न के (ग) भाग में यह पूछा गया है :

"क्या ऐसा केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर किया गया था" कई राज्यों अर्थात पंजाब, उत्तर प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में सत्याग्रह आन्दोलनों तथा बन्दों का आयोजन किया गया । मेरे मित्र द्वारा यह कहा जाना कैसे ग्राह्य है कि यह एक राज्य विषय है और इसलिये केन्द्रीय सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है ? केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को परामर्श दिया है । क्या वह इससे इन्कार कर सकते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसा कोई परामर्श नहीं दिया ।

श्री रंगा : योजना आयोग केन्द्रीय सरकार का ही तो भाग है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में तो केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय द्वारा भी ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि वे इस ढंग से राजस्व प्राप्त करें । परन्तु यह तो एक स्वाभाविक बात है कि राज्य सरकारें राजस्व सम्बन्धी साधनों के बारे में योजना आयोग से परामर्श करें । अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं कि योजना आयोग ने इस बारे में क्या सुझाव दिये हैं । यदि यह प्रश्न योजना मंत्री से पूछा जाये तो वह एक निश्चित उत्तर दे सकेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : उत्तर में यह बताया गया है कि :

"राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लिए जाने के फलस्वरूप नवीनतम अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत एक जुलाई से अधिभार समाप्त हो जायेगा ।"

अतः यह अधिभार वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा के फलस्वरूप लागू किया गया था और स्पष्ट है कि यह केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग के परामर्श से किया गया था ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि यह प्रश्न समय के बिन्दु का है कि आपातकाल की उद्घोषणा से क्या कोई अधिभार लगाया गया था तो मेरे विचार में उन्हें अधिभार लगाने के लिये अपातकाल के अन्तर्गत शक्तियां अपेक्षित नहीं थीं।

Shri Madhu Limaye : All this is being done on the advice of the Central Government. For instance **Zamindari** in Uttar Pradesh had been abolished under the agricultural policy of the Central Government. The then Chief Minister, Shri Govind Ballabh Pant had said that there would be no increase in the rate of revenue till 40 years after the enactment of this legislation increasing land revenue by ten times. So it is the policy of Central Governmcnt to abolish **Zamindari** and to increase the rate of land revenue and the promise was made by the Congress Party in their election manifesto of 1936, on a national basis, I want to know as to why they are running from their responsibility now by not implementing that promise ? May I know what constructive steps will be taken or will any recommendation be made to the States through the Planning Commission that they should now fulfil that promise.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि यह प्रश्न मुझसे कांग्रेस के एक सदस्य के रूप में पूछा जाये तो मैं निश्चय ही इसका उत्तर दें सकता हूँ। परन्तु मुझ से यह प्रश्न इस विभाग के कार्य भारी मंत्री के रूप में पूछा जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : You belong to the ruling party. Is your manifesto not binding on you ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जहां तक भू-राजस्व का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पर नीति सम्बन्धी घोषणा करना उचित न होगा। क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिये हैं और क्या उन्होंने उन आश्वासनों को तोड़ा है ये ऐसे मामले हैं जिन्हें राज्य विधान सभाओं में उठाना होगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, the present disturbances in a number of States are ascribable to the breaking of the assurances given by the Government by enhancing the land revenue. Shri T. T. Krishnamachari, the Finance Minister of this very Government once spoke highly of the utility of abolishing the land revenue. Considering the suggestion of the then Finance Minister as also the fact that the total proceeds from the land revenue are only Rs. 150 crores which do not account for more than one or one and a half percent of the total revenue, have the Government since considered the question of abolishing the land revenue and charging only income tax from those whose income exceeds the minimum limit laid down ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्या भू-राजस्व को समाप्त कर दिया जाना चाहिये और, फिर, आय कर लागू कर दिया जाना चाहिये, यह एक बहुत ही ऊँची नीति का मामला है। यह भी एक राज्य का मामला है और मैं नहीं समझता कि मैं इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे सकूंगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I have reproduced what the Central Finance Minister Shri T. T. Krishnamachari had said....

Mr. Speaker : This cannot be discussed in the Question Hour. Matters of big policy cannot be settled here.

Dr. Ram Manohar Lohia : I am not talking of any policy matter. What the Finance Minister says is not to be treated lightly, that is of wide import. Have the Government since examined what the Finance Minister said 2–3 years back and if so with what results?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं किया गया है कि सम्पूर्ण भू-राजस्व समाप्त कर दिया जाये और कोई नई कर पद्धति लागू की जानी चाहिए। यदि वित्त मन्त्री ने कोई व्यक्तव्य दिया है तो मुझे विश्वास है कि वह उन्होंने अपने व्यक्तिगत में दिया है ; मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी सरकारी नीति सम्बन्धी निर्णय की घोषणा की है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में भू-राजस्व पर आयात अधिभार केवल एक वर्ष के लिए 1 जुलाई, 1962 से लगाया गया था और फिर दोबारा 1 जुलाई, 1965 से दूसरा अधिभार लगाया गया था। फिर यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा के वापस लिये जाने के बाद अधिभार 1 जुलाई से—यह नहीं बताया गया है कि किस वर्ष से—समाप्त हो जायेगा। क्या माननीय मंत्री को पता है कि 12 जुलाई, 1966 को इस 25 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को हटाने में सरकार की विफलता के विरुद्ध विरोध के रूप में सारे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बन्द की घोषणा की गई थी। हमें बताया गया था कि प्रश्न राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया गया है। यदि ऐसा है तो, केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या केन्द्रीय सरकार ने इसको वापस लेने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी की हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जी, नहीं। इसको वापस लेने के लिए हमने कोई हिदायतें जारी नहीं की हैं। मुझे विश्वास है राज्य सरकारें इन मामलों पर विचार करने और अपने स्वयं के निर्णय करने के लिए काफी सक्षम हैं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार को कोई जानकारी है कि इस अधिभार द्वारा प्राप्त आय का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ? क्या एक मात्र प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये इसके उपयोग का कोई प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं। इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है और मुझे विश्वास है कि वह राज्य सरकार के कार्यों के लिए इसका उपयोग करेगी।

श्री के० दे० मालवीय : यदि यह एक बड़ी नीति का प्रश्न है तो एक व्यक्तिगत मन्त्री सरकार को मामले की जानकारी दिये बिना ही वक्तव्य क्यों देता है ? क्या एक व्यक्तिगत मन्त्री के लिए ऐसी नीति के सम्बन्ध में अपने आपको तथा सामान्य रूप से सरकार को बांधना उचित

है जबकि सारे कांग्रेस दल को इस मत के साथ सहानुभूति है कि ऐसा अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने क्या वायदे किये हैं यह जानने के लिये मैं उनके वास्तविक वक्तव्य को देखना चाहूँगा । परन्तु मैं नहीं समझता कि संघ सरकार का वित्त मन्त्री भी राज्य के मामलों के सम्बन्ध में कोई वायदा कर सकता है । वह राज्य सरकार के विचारार्थ केवल सुझाव ही रख सकता है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have the State Government issued instructions to the State Government to the effect that land revenue on the cultivation of groundnut, sugarcane, cotton and opium be enhanced by Rs. 2·00 per acre, if so, whether the State Government have conveyed to the Central Government that they are implementing it ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन वस्तुओं पर राजस्व बढ़ाने के लिये हमने कोई हिदायतें जारी नहीं की हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या राज्य सरकारों ने जानकारी भेजी है कि उन्होंने इसको क्रियान्वित कर लिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास जो जानकारी थी वह मैंने दे दी है । मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने गन्ना, कपास, मूंगफली और अफीम की व्यापारिक फसलों पर एक कर लगाया है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Agitations and demonstrations are going on in Uttar Pradesh ever since the imposition of this 25 percent surcharge. Has the State Government sent any communication to the Central Government recently regarding the withdrawal of this surcharge of 25 percent or regarding the difficulties which they are facing, if so, the contents thereof and whether this surcharge of 25 percent is going to be withdrawn from Uttar Pradesh ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृषि मंत्रालय ने इसको समाप्त करने के लिये कोई अनुदेश या सुझाव नहीं भेजे हैं ।

Shri Yudhvir Singh : The answer to part (d) of the question is not very clear. Have the Government conducted any survey through any of its agencies on the basis of which it can be said that the surcharge has not affected the production and that it has not become a burden on the farmers ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं सारे देश के लिये तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ । परन्तु मुझे कोई ऐसी शिकायत या खबर नहीं मिली है कि इस अधिभार का उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या केन्द्रीय सरकार ने छोटे किसानों के सम्बन्ध में भू-राजस्व परिहार करने और कृषि आयकर लगाने के प्रश्न पर कभी विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अभी तक हमने इस मामले पर सरकारी स्तर पर विचार नहीं किया है ।

समान व्यवहार संहिता

+

*454. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री हुकुम चन्द कछवाय : **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **विधि** मन्त्री 17 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1725 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी सम्प्रदायों और धर्मों के लिये एक समान व्यवहार संहिता तैयार करने के बारे में इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समिति नियुक्त की गई थी अथवा विशेषज्ञों की राय ली गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Prakash Vir Shastri : Article 44 of the Constitution clearly says that a common code will be made for the whole country. What are the difficulties which the Government have not been able to resolve thus far and which prevented Government from taking a decision? Is there any possibility of taking an expeditious decision?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : Even at the time of framing of Article 44 of the Constitution it was vigorously opposed. All the Muslim Members in the Constituent Assembly had opposed it. After that, some years back Governments' proposal to appoint a committee was also staunchly opposed and rejected. Then in the last session here also one Hon. Member stated in answer to a question that it would amount to coercion upon them, that this was a religious matter and that Government should not do anything in this regard. It is not that Government are not paying attention to it or that Government do not want to do anything. Government want that further action be taken in regard to Article 44, but there are certain difficulties in this regard. This subject is a subject of the Concurrent list and therefore I want to refer this matter to the States to know their opinion. I want that the States as also the representatives of communities amongst the Members of Parliament should be consulted. After that the picture that will emerge will show us as to the extent to which and the matters in regard to which legislation can be made.

Shri Prakash Vir Shastri : Are Government aware that in the absence of a common Civil Code the population of one community is increasing more rapidly than that of the other? Are Government in a position to give an assurance to this House and the country that to frame a Common Civil Code and to maintain a uniform ratio of the population Government will take an immediate decision and that this matter will not be postponed for consulting the State Governments?

Shri G. S. Pathak: What Shastriji has stated will certainly be taken into consideration. It is very difficult to take a quick decision in the matter of social reforms. But before taking any decision we will certainly take into consideration what Shastriji has stated and also consult the States

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस सभा में कई बार यह बताया गया था कि एक समान व्यवहार संहिता लाने से पूर्व कई सामाजिक विधियों को समान बनाने के लिए कदम उठाये जायेंगे और यह कार्य हमने हिन्दू विवाह संहिता से आरम्भ किया। अब मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने ईसाइयों के लिए विवाह कानून सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की है ? अब कहा जाता है कि सरकार सारे मामले को राय जानने के लिए राज्यों को भेज रही है। मैं जानना चाहती हूं कि हिन्दू विवाह विधेयक को राज्यों को उनकी राय जानने के लिए क्यों नहीं भेजा गया ? क्योंकि आप जानते थे कि राज्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : जहां तक ईसाई विवाह विधेयक का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल सही है कि लोक-सभा में पुरः स्थापन और संयुक्त समिति को निर्देशन के बाद अब यह लोक-सभा में लम्बित है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आप इसको पेश करने में आनाकानी कर रहें हैं।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं मानता हूं कि इसमें देर हुई है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : आप इसको लम्बित रख रहे हैं या आपने इसको एक तरफ उठा कर रख दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संयुक्त समिति ने काफी समय तक कार्य किया और विधेयक पर रायें भी मांगी गई थीं। अब सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : प्राथमिकता के प्रश्न के कारण यह अभी भी लम्बित है। वास्तव में प्राथमिकता के कारण अध्यादेशों को अधिनियमों में बदलने में भी देरी हो रही है। फिर भी मुझे विश्वास है···

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In view of the fact that family planning is opposed in Mosques and Churches and that a Mohammedan can have as many as four wives while a Hindu cannot have more than one, what steps are being taken by Government to remove this anomaly and frame a Common Civil Code?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या कार्यवाही करने का विचार है। मैंने कहा है कि राज्य सरकारों की रायें प्राप्त होने और संसद में समुदायों के विख्यात प्रतिनिधियों का मत जानने के पश्चात मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा **(अन्तर्बाधा)** विवाह और उत्तराधिकार दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आचार संहिता में रखा जायेगा। इनको थोड़ा थोड़ा करके नहीं किया जा सकता। हमें पहले राज्यों की राय जाननी चाहिए और फिर यह देखना चाहिए कि क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय विधि मंत्री ने अभी बताया कि इस सभा में समुदाय हैं। क्या हम सभी साम्प्रदायिक आधार पर चुने जाते हैं या क्या इस सभा में ऐसे किसी समुदाय को मान्यता प्राप्त है ? उन्होंने यहां यह साम्प्रदायिक चित्र क्यों पेश किया है ?

श्री बृजराज सिंह : उनसे स्पष्टीकरण करने के लिए कहा जाना चाहिए **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन सबके बावजूद हमें यह मानना पड़ेगा कि समुदाय हैं। आप इससे अपनी आंखें क्यों मूंदते हैं ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti: From the answer of the Hon. Law Minister it is clear that he wants to shirk his responsibility and throw it on to the State Governments. Has there ever been or will be in future an occasion in the world when there is unanimity of opinion? When there is such a situation whether it is not the duty of the Government to select all those principles which would uniformally promote the well being of all in the national interest and codify them for the welfare of all according to the Constitution?

Shri G. S. Pathak: Government considers it its responsibility to frame a uniform Civil Code. There is no question of shirking the responsibility. All the State Governments are also empowered to frame laws in this matter. There is the convention that no law should be made with respect to the concurrent list subject without consulting the State Governments. **(Interruption).**

An Hon. Member: Did you invite opinions on Hindu Code Bill?

Shri Buta Singh: An impression has gone round the country that majority community people are dominating in the Congress and that country is ruled by them. In view of this may I know whether apart from inviting the opinions of the State Government, representatives of the minority communities will also be consulted and their views considered so that their religious susceptibilities are not injured?

Shri G. S. Pathak: I have already submitted that the Members of Parliament and prominent leaders will be consulted and their opinions considered.

Shri Sheo Narain: Is there any other country in the world where the Civil law has been reduced to such a miserable plight as in India?

Shri G. S. Pathak: The condition in other countries is different from that in India. You are having Arab countries in your mind. There the majority is of other people. Here we are accustomed to live together and so far as possible due consideration should be given to every opinion in framing the law.

Shri Rameshwaranand: Mr. Speaker, Sir, in view of the fact that since the creation of life on this earth to the Congress regime the practice of divorce was not prevalent amongst the Vadic Hindus and the girl had no right in the property of her father, did the Government accept the opinion of Vadic Hindus at the time of passing that Bill and if not, why the Government do not apply that law to other communities and why other people are now being consulted and if the Government want to apply that law to other communities whether that will be applied before or after the elections?

Shri G. S. Pathak: At the moment I am not in a position to say as to when the future action will be taken—whether before or after the elections. After the replies of the States are received, this matter will be further considered to find out what steps should be taken in future.

An Hon. Member: Opinion was elicited on Hindu Code Bill.....

Mr. Speaker: He wants to know whether sentiments of Hindus were taken into consideration, when Hindu Code Bill was placed before the house, as we are now doing with regard to Muslims ?

Shri G. S. Pathak: I cannot State as to what particular aspects were taken or not taken into consideration.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker .....

Mr. Speaker: Shri Kachhavaiya, you should not stand up and interrupt. Many times I pointed out to you that this question is put by somebody else and you stand up and interrupt. When Swamiji is asking a question, you mean that he should not put it.

Shri Rameshwarananda: Mr. Speaker, I asked that there had been no divorce system in vogue among Vedic Hindus right from the beginning of the human race down to the Congress regime.....

Mr. Speaker: You are right.

Shri Rameshwarananda: Now when this sin has been committed without eliciting public opinion thereon, why should opinion is being elicited when it is going to be applied to others.

Mr. Speaker: This is what he is replying that he is not in a position to state whether it was done without eliciting opinion thereon.

श्री बदरुद्दुजा : मैं विधि मंत्री महोदय की टिप्पणी की सराहना करता हूं । उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विभिन्न राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए । यह विभिन्न समुदायों के लिए दूरगामी परिणाम का विषय है और इसीलिए इस पर विभिन्न समुदायों से परामर्श किया जाना चाहिए । मेरे माननीय मित्र ने भी यही सुझाव दिए हैं । अन्यथा ऐसे महत्व-पूर्ण प्रश्न पर, जो देश के विभिन्न समुदायों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों को प्रभावित करता हो, केवल सदस्यों की संख्या शक्ति के द्वारा कानून पारित नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न ।

\+ **घटिया किस्म के गेहूं का दिया जाना**

*456 **श्री राम सेवक यादव :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री मौर्य : **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री किशन पटनायक : **श्री बड़े :**
श्री मधु लिमये : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री स० चं० सामंत : **श्री सोनावने :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनता की इस आशय की शिकायतों की ओर दिलाया

गया है कि राजधानी में मई, जून और जुलाई 1966 में राशन की दुकानों पर खराब गेहूं और चावल दिया गया ;

(ख) क्या इस बारे में भी शिकायतें की गई हैं कि सरकार ने गेहूं जिस मूल्य पर खरीदा था, उससे काफी अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ; और

(ग) उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म का गेहूं तथा चावल देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मई और जून, 1966 में पंजाब की बढ़िया गेहूं में भूसा और धूल अथवा दड़ा गेहूं की अधिक प्रतिशत में मिलावट के बारे में कुछ शिकायतें मिली थीं। चावल के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। जुलाई, 1966 में गेहूं के बारे में शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) पंजाब की दड़ा और फार्म किस्मों के निर्गम मूल्य में 25-5-66 से क्रमशः 7 और 6 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि कर दी गई थी। यह वृद्धि पंजाब की गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप करनी पड़ी थी।

(ग) अधिकृत खुदरा वितरकों को देने से पूर्व सरकारी गोदामों में देशी गेहूं के स्टाक की सावधानतापूर्वक जांच की जाती है। पंजाब में लदान केन्द्रों पर भी स्टाक के निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। राशन के दुकानदारों से कहा गया है कि यदि ऐसी बोरियां प्राप्त होती हैं जिनमें गेहूं के साथ अधिक विजातीय पदार्थ मिले हुये होते हैं तो वह माल कार्डधारियों को न दिया जाय। ये बोरियां यथा समय में सरकारी गोदामों से सरकारी खर्चे पर बदली जाती हैं। राशन की दूकानों से दिये जाने वाले अनाजों की किस्मों का निरीक्षण और कड़ाई से किया जाएगा।

Shri Ram Sewak Yadav: There are complaints regarding the flour which is supplied. I would like to know if instructions have been issued to supply wheat instead of flour?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : लोगों के लिए आटा लेना ही अनिवार्य नहीं है। वे गेहूं या आटा कुछ भी ले सकते हैं।

Shri Ram Sewak Yadav: Just now the Hon. Minister has stated that it is not compulsory for people to take either Atta or wheat, and it is left to their option to take either of the two. But actual position is this that they are forced to take Atta, and when wheat is not available only Atta is supplied.

Mr. Speaker: He has said that no body was forced.

Shri Ram Sewak Yadav: I would like know as to what is the procurement price of imported wheat per Kg. and at what rate do the Government sell it and what is the difference between the two prices.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : आयातित गेहूं 53 पैसे प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। वास्तव में, अवमूल्यन के बाद इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि राजकीय सहायता के रूप में दे दी गई है।

Mr. Speaker: It is not only sold at less than cost price but subsidy is also given for this.

Shri Ram Sewak Yadav: I want to know as to what is the procurement rate of the Government and what is the rate supply to the consumers.

श्री० के० दे० मालवीय : उत्तर स्पष्ट नहीं है । यह स्पष्ट होना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह वास्तविक विक्रय मूल्य जानना चाहते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास इस समय सही आंकड़े नहीं हैं, अन्यथा मैं उन्हें प्रस्तुत कर देता । किन्तु मैं इस विचार को दूर करना चाहता हूं कि हम इसमें मुनाफा उठा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े भी दे दिये जायेंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इन्हें अवश्य प्रस्तुत करुंगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia: This question is being put for the last 2 years time and again and the Hon. Minister has been given the argument of not having figures with him. This reply should not be made to the question which I am going to put now.

Mr. Speaker: I have asked the figures.

Dr. Ram Manohar Lohia: He has been making this reply for the last one and a half years. The question which I propose to put now will also meet the same fate. Before devaluation wheat was being imported from America at the rate of 25 or 26 Paise Per Kg. and then also it was sold at the rate of 55 Paise per Kg. What has the Hon. Minister to say on this, whether it is a fact or not?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसीलिए मैंने अवमूल्यन के बाद और पहिले के मूल्यों के आंकड़े देने का विचार किया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह सच है कि जब अमरीकी गेहूं 25 पै० प्रतिकिलो के भाव से मिल रहा था तो हम उसे 53 पैसे प्रतिकिलो की दर से बेच रहे थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं । यदि मुझे ठीक याद है तो यह 38 पै० प्रतिकिलो था । इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे व्यवस्था सम्बन्धी खर्चे आते हैं तथा इन सबको मिलाकर गेहूं का मूल्य आजकल 53 पैसे प्रतिकिलो रखा गया है । इससे पूर्व इसका मूल्य बहुत कम था ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Speaker, my question was whether we used to get American wheat at 27 Paise per K.g.? Let handling charges be left aside.

Mr. Speaker: He has stated that America used to supply it at 38 Paise per K.g.

Dr. Ram Manohar Lohia: It means that motion of privilege should be brought against him.

Mr. Speaker: I do not know anything else. The answer given by him is before you.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मंत्री महोदय ने राशन की दुकानों द्वारा लिये जाने वाले चावल के मूल्य के प्रश्न पर छानबीन की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल गेहूं के बारे में कह रहे हैं ।

श्री नम्बियार : गेहूं और चावल ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : खाद्य समिति ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह दूसरा प्रश्न है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं चावल के बारे में यह प्रश्न पूछ सकती हूं कि हमारे जैसे राज्यों में चावल के किसानों से लिये जाने वाले मूल्य में तथा उपभोक्ता को दिये जाने वाले मूल्य में कितना अन्तर है । हमको मिली सूचनानुसार तो बहुत अन्तर है किन्तु हमें बताया गया है कि सरकार के लिये यह बताना सम्भव नहीं है कि आगे आने वाले कितने वर्षों तक कितना कुछ मुनाफा ले रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा सीधा उत्तर है कि हम चावल की बिक्री पर कोई मुनाफा नहीं ले रहे हैं। वास्तव में, विशेषत: मोटे अनाजों के विक्रय मूल्य पर अब भी उपदान दिया जाता है और यही नियम चावल पर भी लागू होता है । यह विचार कि हम इस पर मुनाफा ले रहे हैं, बिल्कुल गलत है ।

श्री स० चं० सामन्त : खाद्यान्नों को गोदामों से स्टोरों में पहुंचाने से पहिले निरीक्षण होता है । लेकिन बाजार में घटिया किस्म का गेहूं मिलता है । क्या किसी निरीक्षण अधिकारी को दण्डित किया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि बोरे के अन्दर ही घटिया किस्म का खाद्यान्न पाया जाता है तो हम बोरे को ही वापिस ले लेते हैं तथा उसके स्थान पर अच्छी किस्म का चावल या गेहूं देते हैं । जहां तक मिलावट का सम्बन्ध है, हम हरेक राशन की दूकान पर सख्त निगरानी रख रहे हैं । यदि मिलावट पाई गई तो हम कार्यवाही करेंगे ।

Shri M. L. Dwivedi: The National Seed Corporation set up by the Government, is supplying a hybrid seed. Fifty percent of the Seeds contained in these bags do not have germination even. If this kind of seed is sown, how can there be increase in production and how can we get good wheat?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बीजों का प्रश्न इस प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है । जहां तक बीजों का सम्बन्ध है, इसके लिये अच्छी किस्म के खाद्यान्न अलग से प्राप्त किये जाते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मंत्री महोदय ने या उनके सहायक अधिकारियों ने स्वयं जाकर 'पी' ब्लौक पर बिकने वाले गेहूं और चावल की किस्म में तथा राजधानी के दूसरे भण्डारों से बिकने वाले गेहूं और चावल की किस्म में कोई अन्तर अनुभव किया है ? यदि वह जाकर देखें तो उन्हें यहां पर बिकने वाले गेहूं और चावल में तथा दरियागंज में बिकने वाले गेहूं और चावल में बड़ा अन्तर महसूस होगा ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं अपने अधिकारियों से जाकर देखने को कहूंगा ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has just now stated that they took back the substandard wheat. But the fact is that when the wheat of inferior quality and the rotten wheat is given to flour mills for turning it into flour, the mills refuse to take it for its inferior quality. They are then pressurised and threatened that they should either take it or otherwise their mills will be closed. Hence they have to accept the inferior quality of wheat for turning into flour. Is it a fact?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, उन पर घटिया किस्म के गेहूं को पीसने का कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच नहीं है कि कुछ खाद्यान्नों, जिनमें गेहूं, चावल तथा अमरीकी माइलो आते हैं तथा जो यहां पर बिक रहे हैं, को साधारणतया अखाद्य समझा जाता है ? क्या माइलो जो पिछले वर्ष $2\frac{1}{2}$ रु० मन की दर से बिक रहा था, अब इस वर्ष 26 रु० मन की दर पर बिक रहा है, यद्यपि अमरीकी सरकार इसे मुफ्त भेजती है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे खेद है कि मैं समझ न सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न से बाहर चले गये । अल्प सूचना प्रश्न ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Hunger Strike by Employees of Hindustan Lever Limited.

10. + **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade : **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Omkar Singh :**
Shri Y. D. Singh : **Shri Y. N. Singh :**

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of Hindustan Lever Limited are observing hunger strike in Delhi ;

(b) if so, whether Government have made any attempts to find out the reasons for which the employees had to resort to hunger strike ;

(c) if so, the reasons in detail ; and

(d) the steps taken by Government to solve this problem ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रबन्धकों द्वारा फर्म में तीन अलग अलग इकाइयों–अर्थात स्नान सामग्री, खाद्य पदार्थ तथा साबुन—के एकीकरण के कार्यक्रम को प्रचलित करने में तथाकथित एक तरफा कार्यवाही करने के विरुद्ध भूख हड़ताल की गई है ।

(घ) दोनों पक्षों में से किसी ने भी अभी तक श्रम आयुक्त, दिल्ली से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना नहीं की है। फिर भी, श्रमायुक्त द्वारा प्रबन्धकों और यूनियन से तहकीकात करने पर, दोनों पक्षों ने यह कहा कि यह मामला इस फर्म की भारत में स्थित सभी इकाइयों के कार्य से सम्बन्धित है और हम नहीं चाहते कि इस समय दिल्ली प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has any memorandum been submitted to the Hon. Minister or Government by the workers of Hindustan Lever Limited? If so, what are their grievances?

Shri Jagjiwan Ram: Yes Sir, their memorandum was received by me and as I have just now stated in my reply that their chief complaint is that the integration of three separate units of the firm brought about by the Management should not be enforced. The management has also been dealing with the transportation through contractors, so far as trade is concerned. And as a result, they are afraid that most of the workers employed there will be declared surplus, and can be retrenched.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I would like to know whether this firm, while introducing the system of contracts, had consulted or informed him? If not, they have violated the law. What action are you going to take against them?

Shri Jagjiwan Ram: No Sir, I have no acquaintance with them. There is no necessity for that because this question does not fall under the purview of Central Government. I have been informed that consequent upon an agreement between the management and the Union it was laid down that no worker would be retrenched on account of this development.

Shri Ram Sewak Yadav: It was necessary for them to inform of the proposed increase in prices of hydrogenated vegetable oil prepared by the companies in June, '66, before hand. Why have they not acted accordingly?

Shri Jagjiwan Ram: I can not say anything more regarding prices. In the agreement reached it was laid down that none would be retrenched and if any controversy arises the matter would be referred to the Bombay Government and the decision taken by them would be accepted by the whole country.

Shri Yudhvir Singh: There are reports of dissatisfaction and frustration from the Indian Workers employed in the big companies, like Hindustan Lever Limited, which are run by foreigners and wherein lakhs of Indians are working. May I know whether Government would continue saying that these are Private Companies and therefore they cannot interfere in it or there is some specific boundary upto which the Government can go?

Shri Jagjiwan Ram: I have never said that the Government would not interfere in the quarrels between the workers and the owners of the Firms. But when the union has itself asked the Labour Commissioner of Delhi not to interfere in the matter, how can one volunteer one self ex-parte.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: सरकार की यह नीति रही है कि ठेके के श्रमिकों का स्थान विभागीय श्रमिक ले लें, यद्यपि इस पर अमल नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में ठीक इसके विरुद्ध कार्य

हो रहा है। जहां विभागीय श्रमिक हैं, वहां ठेके पर श्रमिक लगाये जा रहे हैं। क्या सरकार जानती है कि इस कम्पनी को 700 रु० प्र० टन या 17 पै० प्र० किलो ता० 1.6.1966 को अन्धाधुन्ध कीमतें बढ़ाने की इजाजत दी गई ? हिन्दुस्तान कम्पनी के मुनाफों के अतिरिक्त क्या विभागीय श्रमिकों के स्थान को ठेके के श्रमिकों द्वारा भरे जाने के प्रश्न पर या काम का भार बढ़ाने के प्रश्न पर भी कम्पनी की यूनियन से बातचीत होगी तथा कोई नया तरीका निकालने से पहिले यूनियन की राय ली जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : मुझे मूल्य बढ़ने की जानकारी नहीं है। जहां तक श्रमिकों के आरोपों का सम्बन्ध है, उनकी छटनी परिवहन, माल उतारने, चढ़ाने आदि कामों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति के कारण की जा रही है। कठिनाई यह है कि यह मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और मैं श्रमिकों की इच्छानुसार सभी विवादों पर दिल्ली में विचार कर सकता हूं। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं यदि सम्भव हो तो सारे देश के लिये इस समस्या का हल निकालूं। मैं इसकी जांच करवा रहा हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : कोई भी योजना हो, यह स्पष्ट है कि इस एकीकरण से कुछ छटनी होने जा रही है। 1957 में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम, संगठन के सम्मेलन ने छटनी के विरुद्ध निर्णय दिया था। क्या वे हिन्दुस्तान लीवर की इस योजना तथा अनुशासन संहिता भंग करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री जगजीवन राम : मैं कह चुका हूं कि प्रबन्धकों के अनुसार उन्होंने उनकी ऑल इण्डिया यूनियन से बातचीत की है। दिल्ली में उनकी केवल एक ही शाखा है। श्रम आयुक्त के पूछने पर प्रबन्धकों ने बताया कि उन्होंने यूनियन के साथ छटनी सम्बन्धी योजना पर बातचीत की तथा प्रबन्धकों ने आश्वासन दिया कि इस योजना का विरोध करने वाले किसी कर्मचारी को भी निकाला नहीं जायेगा। यदि इस पर कोई विवाद उठेगा तो यूनियन से बातचीत होगी तथा इस विषय में महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग को लिखा जायेगा और उसके निर्णय कम्पनी के सभी संस्थापनों पर लागू होंगे। दुर्भाग्यवश यूनियन ने अभी महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग की सहायता नहीं मांगी।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हिन्दुस्तान लीवर सारे देश में फैला हुआ है, यह केवल महाराष्ट्र के अन्दर ही सीमित नहीं है। उनके मुनाफे श्रमिकों की संख्या घटने के अनुपात में बढ़ते जा रहे है। इन परिस्थितियों में जब कि यह एक विदेशी कम्पनी है, जिस पर विदेशी पूंजी के साथ विदेशी आधिपत्य है तथा सरकार धन के भारत से किसी बाहरी देश को भेजने में रुचि रखती है, क्या भारत सरकार के लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ? क्या श्रमिकों की संख्या घटाने के विरुद्ध कार्यवाही करना देश तथा श्रमिकों के हित में नहीं होगा ?

श्री जगजीवन राम : मेरे माननीय मित्र जानते हैं कि इस कम्पनी की शाखायें सारे देश में हैं। उनको यह भी पता होगा कि संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार यह उद्योग केन्द्र के

क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इन विवादों पर सम्बन्धित राज्य ही कार्यवाही कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार किसी ऐसे विवाद जो भारत के सभी मजदूरों से सम्बन्धित हों, पर कार्यवाही नहीं कर सकती। सम्बन्धित पक्षों में हुए समझौते के अनुसार यदि कोई विवाद खड़ा होता है तो इस पर कम्पनी के प्रधान कार्यालय में कार्यवाही की जायेगी तथा यदि यह महाराष्ट्र सरक.र को भेजा जाता है तो उसका निर्णय कम्पनी के देश के अन्दर सभी संस्थापनों पर लागू होगा। मैं इस पर निर्णय नहीं कर सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि प्रबन्धकों ने आश्वासन दिया है कि प्रक्रिया में परिवर्तन होने के कारण कोई छटनी नहीं की जायेगी। क्या उन्हें पता है कि लीवर कम्पनी लोगों की छटनी नहीं कर रही बल्कि उन्हें फालतू बताकर बेकार बना रही है। इसके लिए वे अपनी कारें न चलाकर टैक्सियां इस्तेमाल करते हैं, अपने कर्मचारियों को काम पर न लगाकर, ठेकेदारों के श्रमिकों से काम ले रहे हैं–इन सभी कारनामों से एस्सो (Esso) और कॉलटैक्स (Caltex) के अवांछनीय कार्यों की पुनरावृत्ति हो रही है। वे कर्मचारियों को हटा नहीं रहे हैं बल्कि उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय इन सभी परिस्थितियों से अवगत हैं तथा क्या वे मालिकों तथा कर्मचारियों को एक त्रिदलीय बैठक के लिए आमंत्रित करेंगे जिसमें एस्सो (Esso) तथा दूसरे स्थानों पर होने वाली छंटनी आदि पर विचार किया जा सके ?

श्री जगजीवन राम : कर्मचारियों ने मुझे जो ज्ञापन दिया है उसमें यह भी एक आरोप है तथा मैंने उनसे कहा है कि यदि अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत मैं हस्तक्षेप कर सका तो हर सम्भव कार्यवाही करने का निर्णय किया जायेगा।

Shri Priya Gupta : Just now the Hon. Minister has stated that this company has a Branch in Delhi also and since Delhi is centrally administered, Central Government has every right to intervene so far as industrial disputes are concerned and the Government should exercise its power. If they exercise their power here, they are equally empowered to exercise it elsewhere. The way of their retrenching or dismissing workers is that they are winding up certain jobs, tempting people to some other pursuits, transfering them to places where they cannot go and ultimately they are retrenched. If the Government is aware of this, what is his suggestion for intervening in these matters on behalf of the Central Government ?

Shri Jagjiwan Ram : As I have alrady stated that the workers have in their memorandum informed of all that is being done by the company. So far as the dispute regarding the Branch of the company in Delhi is concerned, it is for Delhi administration to look into it. Whatever they decide, will be legally applicable within the jurisdiction of Delhi Administration and not beyond that. It is under consideration. I will advise the union to approach Maharashtra Government and request them to take a decision under the provisions of the agreement arrived at between the management and the union and apply it to the whole country.

श्री प्रिय गुप्त : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

Mr. Speaker : I am telling you not to ask any question. The question put, has been answered.

श्री प्रिय गुप्त : यह बड़े महत्व का प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्पष्टीकरण चाहता हूं। उनके उत्तर से ही स्पष्टीकरण का प्रश्न उठता है। यह ऐसा मामला है जिसका असर सारे देश तथा पूरे ट्रेड यूनियन आन्दोलन पर होता है। कृपया मुझे स्पष्टीकरण पूछने की इजाजत दें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। श्री जोकीम आल्वा।

श्री जोकीम आल्वा : क्या मंत्री महोदय को हिन्दुस्तान लीवर कारखाने के कर्मचारियों की भारी कठिनाइयों तथा इस विशाल कारखाने के विरुद्ध चल रहे उनके संघर्ष का पता है? पहली बात तो यह है कि पिछले वित्त मंत्री ने अपनी अत्यधिक पसन्द के कारण इस ब्रिटिश कम्पनी के चेयर मैन को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का डायरेक्टर नामजद किया। दूसरी बात यह है कि लोगों को मूर्ख बनाने के लिये यह कम्पनी 'हिन्दुस्तान' लीवर के नाम से चल रही है। तीसरी बात यह है कि यह कम्पनी दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारी फर्मों में से एक है, जिसके पास साबुन उद्योग के विस्तृत संसाधन हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है। आप तो सूचना दे रहे हैं।

श्री जोकीम आल्वा : मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की इस विशाल एकाधिकार वाली फर्म में कर्मचारियों को क्या सुविधायें मिल रही हैं?

श्री जगजीवन राम : मैं इस पर क्या कहूंगा। पिछले वित्त मंत्री ने क्या किया—कैसे रिजर्व बैंक में नियुक्ति की—ये सभी बातें इस प्रश्न से कैसे संगत बैठती हैं, मैं नहीं जानता।

श्री स० मो० बनर्जी : यह संगत है, क्योंकि कम्पनी के चेयर मैन श्री पी० एल० टण्डन, श्री सुब्रह्मण्यम के साथ भ्रमण करते हैं।

श्री जगजीवन राम : श्री बनर्जी जो चाहें, महसूस करें, उन्होंने मुझे संविधान के अन्तर्गत इस उद्योग के अखिल भारतीय विवादों को निबटाने का अधिकार नहीं दे रखा है तथा मैं इस सभा एवं संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से बाहर कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मंत्री महोदय को सूचना मिली है कि हिन्दुस्तान लीवर अत्यधिक संख्या में ठेके की शर्तों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करता है और छंटनी करने के लिये ठेकों को समाप्त किया जाता है। वास्तव में क्लर्क जैसे निम्न स्तर के कर्मचारी ठेके पर ही रखे जाते हैं। क्या वह मामले के इस विशेष पहलू की जांच करने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने का एक सुझाव है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ऊन श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) तथा कटाई (शियरिंग) कार्यक्रम

* 451. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊन श्रेणीकरण तथा कटाई कार्यक्रम सभी ऊन उत्पादन क्षेत्रों

में लागू किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कितना सहयोग दिया है ; और

(ग) क्या इस योजना से ऊन उत्पादकों को लाभ होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। यह कार्यक्रम देश में समस्त ऊन उत्पादन राज्यों में क्रियान्वित करने के लिए चौथी योजना में प्रस्तावित किया गया है।

(ख) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों ने पहले ही 1966-67 के वार्षिक बजट में इस कार्यक्रम को शुरू करने की व्यवस्था की है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू तथा काश्मीर जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऊन श्रेणीकरण स्कूल, जयपुर में ऊन श्रेणी-करण की तकनीकी में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को नामजद किया है।

(ग) जी हां।

खाद्य समितियों की स्थापना

* 455. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों की खाद्य समितियां स्थापित की हैं, ताकि उनके अपने क्षेत्रों में खाद्यान्नों का ठीक ढंग से वितरण हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को क्या क्या निश्चित काम सौंपा गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) बहुत से राज्यों में खाद्य समितियां स्थापित की गयी हैं।

(ख) प्रत्येक राज्य में इन समितियों को सौंपे गये नियत कार्य भिन्न भिन्न हैं लेकिन, सामान्यत: उन्हें यह सलाह दी गयी है कि वे ऐसे उपाय करें जिससे खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की नियमित सप्लाई और समान वितरण हो।

इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्य की जांच

* 457. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **डा० श्री निवासन :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वाणिज्यिक उड्डयन-सेवा की कार्य कुशलता तथा सेवा में सुधार करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या एक विकल्प के रूप में गैर-सरकारी कम्पनियों को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने का विचार है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के असन्तोषजनक कार्य की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की सेवा की क्वालिटी और दक्षता में सुधार करने के लगातार प्रयत्न किये जाते हैं और किये जाते रहेंगे ।

(ख) और (ग) . जी, नहीं ।

Production of Seeds

*458. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the assistance being given by the Central Government to State Governments and Private farm-owners for setting up farms for the production of high quality seeds and their multiplication ;

(b) the number of such farms established so far ; and

(c) the steps being taken to achieve self-sufficiency in the production of high quality seeds ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Under the scheme for Multiplication and Distribution of Improved seeds, Central assistance is admissible to the State Governments for the acquisition of land construction of seed store, irrigation, etc. No Central assistance is, however, admissible to the private parties for setting up farms under this scheme.

(b) By the end of the Third Plan, i. e., 1965-66, the number of seed multiplication farms in terms of 25 acre units in the country was estimated to be 4,184.

(c) A number of steps have been taken. The important among them, briefly, are as under :—

(1) Setting up of larger sized farms upto 500 acres.

(2) Selection of villages exclusively for purposes of seed multiplication instead of having registered growers in each and every village with a view to providing concentrated technical supervision on the standard and purity of seed produced.

(3) Establishing regional or commodity-wise seed corporations both in the public and private sectors for dealing with procurement, storage and distribution of foundation seeds.

(4) Fortification of seed multiplication farms to maximise seed production by providing irrigation, seed stores, etc. wherever required.

(5) The National Seed Corporation, a Govt. of India Undertaking, assists the States in the supply of foundation seed, production and certification of the multiplied seeds of the

hybrid varieties of three crops viz. jowar, bajra and maize. The assistance of this Corporation is also available to the States in respect of high yielding varieties of paddy and wheat.

With the measures enumerated above and such other measures as may become necessary in the course of years, it has been envisaged that an area of about 278 million acres would be saturated with improved seeds by the end of 1970-71. This includes 32·5 million acres to be brought under high-yielding varieties programme.

उपभोक्ता सहकारी भंडारों के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद

* 459. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता सहकारी भंडारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए अत्यावश्यक वस्तुएं भारी मात्रा में खरीदने के लिए केन्द्र में और राज्यों में कौन से उपयुक्त संगठन स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) सरकार द्वारा अल्पकालीन तथा मध्यम कालीन कृषि ऋण में किस हद तक वृद्धि की जायेगी ; और

(ग) यह ऋण उस ऋण का, जो किसानों को महाजनों समेत गैर-सरकारी साधनों से प्राप्त करना पड़ता है, कितने प्रतिशत होगा ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) सहकारिता विभाग में एक केन्द्रीय खरीद तथा सम्भरण संगठन स्थापित किया गया है, जो सिविल सप्लाई के कमिश्नर के सहयोग से उपभोक्ता भण्डारों को अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीद सीधे विनिर्माताओं से करने में सहायता देगा। इस प्रकार के समान संगठन राज्यों में स्थापित नहीं किये गये हैं, क्योंकि सप्लाई या तो सीधे थोक भण्डारों या राष्ट्रीय अथवा राज्य संघों के माध्यम से, जैसा भी आवश्यक होगा, की जाएगी।

(ख) आशा है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में सहकारी समितियों द्वारा 700 करोड़ रुपये तक का अल्प तथा मध्यकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा, जबकि वर्ष 1964-65 में उन्होंने 331 करोड़ रुपये सुलभ किये थे। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्नों के अधिक उपज वाली किस्मों के कार्यक्रम की विशेष ऋण आवश्यकताओं को भी पूरा करने का विचार है। सरकार, जहां आवश्यक होगा, तकावी ऋण भी सुलभ करेगी।

(ग) आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक सहकारी समितियों तथा सरकार (तकावी) द्वारा दिया जाने वाला ऋण कृषकों की कुल ऋण आवश्यकताओं का लगभग 60 प्रतिशत भाग होगा।

हुगली नदी का तलकर्षण

460. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन और फरक्का बांध परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब होने के कारण हुगली पत्तन की सहायता करने वाली हुगली नहर की संधारण लागत प्रति-वर्ष साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप यातायात में कमी होने के कारण पत्तन शुल्क और बढ़ाये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार हुगली नहर की सफाई की लागत वहन करने का विचार कर रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी नहीं । हल्दिया में एक नई डाक व्यवस्था के निर्माण से कलकत्ता के हुगली जल मार्ग की देखरेख की लागत का कोई संबन्ध नहीं है ।

फरक्का बांध परियोजना 1970-71 तक पूरा हो जाने के लिए अनुसूचित है। इसलिए फरक्का बांध के निर्माण में देरी के कारण हुगली जलमार्ग की देखरेख की लागत के बढ़ जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

निकर्षकों की खरीद के लिए ऋणों पर सेवा प्रभारों सहित हुगली नदी में विभिन्न दाड़ों और क्रासिंगों के निकर्षण की लागत 1965-66 की संख्याओं के आधार पर 3·5 करोड़ रुपये बनती है ।

(ख) 1 जून, 1966 से कलकत्ता पत्तन के प्रभार बढ़ा दिये गये थे और इस बढ़ोत्तरी से 1·5 करोड़ रुपये वार्षिक का अतिरिक्त राजस्व मिलने की आशा है । यह कलकत्ता पत्तन के बढ़ते हुए वार्षिक व्यय बजट की पूर्ति के लिए किया गया है ।

कलकत्ता पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी व्यापार में लगे हुए पोतों द्वारा दिये जाने वाले प्रभार पर अधिभार लगाने का एक प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है । यह अवमूल्यन के परिणामस्वरूप किया गया है क्योंकि पत्तन को चालू प्राक्कलन के अनुसार लगभग 1·5 करोड़ वार्षिक की अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करनी है । यह मुख्यत: स्टर्लिंग डिबेनचरों और विश्व बैंक ऋणों पर सेवा प्रभारों में वृद्धि के कारण हुआ है । सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ग) नदी रख रखाव की लागत की पूर्ति करने में कलकत्ता पत्तन को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानें

* 461. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री मा० ल० जाधव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ानों में अत्यधिक तथा आम तौर पर विलम्ब होने के बारे में यात्रियों की ओर से कोई शिकायतें आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में विभिन्न उड़ानों में विलम्ब होने का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यात्रियों की ऐसी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी से जून, 1966 तक की अवधि के दौरान लगभग कुल 31,480 रवानगियों के मुकाबले, 30 मिनट से अधिक की 5,104 देरियां थीं जो कि निम्नलिखित कारणों से हुईं :—

जोड़ने वाली विमान सेवाएं (परिणामी)	2892
खराब मौसम	669
इंजीनियरी	797
यातायात	183
परिचालन	145
विभिन्न	418
	5104

(ग) अधिकांश देरियां परिणामी प्रकृति की थीं । ये देरियां परिचालन सम्बन्धी पैटर्न की वजह से हो जाती हैं क्योंकि एक ही विमान को कई सेवाओं पर चलना पड़ता है और विमान बेड़े के पूर्णतः पर्याप्त न होने के कारण विमान के बदले में दूसरे विमान की व्यवस्था करने में कारपोरेशन की असमर्थता के कारण भी ये देरियां हो जाती हैं । अगले जाड़ों में दो और कारवेल विमानों के प्राप्त हो जाने से कारपोरेशन स्टैण्डबाई विमानों की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा जिससे ऐसी देरियों की संख्या कम हो जायेगी ।

खराब मौसम के कारण होने वाली देरियां परिचालकों के नियंत्रण से बाहर हैं । जहां तक इंजीनियरी और दूसरी देरियों का सम्बन्ध है, कारपोरेशन ऐसी देरियों को कम करते हुए उनकी संख्या न्यूनतम करने का प्रयत्न कर रहा है ।

अरब सागर और भारतीय किसान

*462. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से निकलने वाले "इंडियन नेशन", के 6 जून, 1966 के अंक में "अरब सागर बनाम भारतीय किसान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अरब सागर के तापमान का असर भारतीय किसान की खुशहाली तथा गरीबी पर पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय किसान के हक में जलवायु को परिवर्तन करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी):(क) सम्बद्ध समाचार में आर्कटिक सागर का जिक्र है 'अरब सागर' का नहीं ।

(ख) भारत में जाड़ों में होने वाली वर्षा और आर्कटिक सागर के तापमान के बीच सम्बन्ध के आधार की खोज करने के लिए कुछ समय से इस प्रकार के अध्ययन किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में जलवायु में कोई परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी के निर्यातकों को राजसहायता

* 463. **श्री प्र० के० देव :**

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन से पहले चीनी के निर्यातकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् सरकार ने योजना में परिवर्तन कर दिया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में चीनी के निर्यातकों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) अवमूल्यन से पहले शर्करा के निर्यात पर होने वाली सारी हानि सरकार द्वारा वहन की जा रही थी ।

(ख) अवमूल्यन के बाद वही प्रक्रिया जारी है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Security Deposit for contest of Lok Sabha Seats

*464. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided that a person contesting for the seat of Lok Sabha should deposit a security of Rs. 1,500 ;

(b) whether it is also a fact that some Members have opposed the increase in the amount of security ; and

(c) if so, the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

चीनी के भावों में समानता

* 465. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1581 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी के भावों में समानता लाने के लिए इस बीच कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). मामला अभी भी विचाराधीन है ।

पर्यटन यातायात

* 466. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन यातायात में होने वाली प्रत्याशित वृद्धि का सामना करने संबंधी योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिये एक पर्यटन उपसमिति नियुक्त की है ;

(ख) विदेशी पर्यटकों को अधिक संख्या में प्रोत्साहित करने के लिये क्या अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ग) क्या चार्टरों को बिना किसी प्रतिबन्ध चलने की अनुमति है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां । भारत में आने वाले पर्यटक यातायात की वृद्धि और पर्यटक यातायात की अनुमानित वृद्धि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के उपायों की सिफारिश करने के लिये सरकार ने पर्यटन पर एक मंत्रिमंडल समिति स्थापित की है ।

(ख) और अधिक विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के लिये जो लघु कालीन और दीर्घकालीन योजनायें बनाई गई हैं उनकी रूपरेखा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-6779/66]

(ग) चारटरों को भारत में आने की अनुमति दी गई है परन्तु इस वर्ष उनकी संख्या 50 पर सीमित की गई है ।

उड़ीसा में दुर्भिक्ष निवारण उपाय

* 467. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री हेम बरुआ : **श्री नाथपाई :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये कोई विशेष योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना अथवा अन्य योजनाओं पर विचार कर लिया है ; और

(ग) राज्य को अकाल सहायता के रूप में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है तथा कितनी राशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां । उड़ीसा सरकार ने कालाहांडी, फूलवानी और बोलनगीर के पश्चिमी मार्गों का उड़ीसा के अत्यधिक अल्प विकसित भागों के रूप में सीमांकन किया है और इन विशेष क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से करने के लिए 52.63 करोड़ रुपये का एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है । इस खर्च का बहुत बड़ा भाग मध्यम सिंचाई योजनाओं, सड़कें, छोटी सिंचाई, जल सप्लाई, कृषि उत्पादन और शिक्षा पर व्यय करने का विचार है ।

(ख) इस समय योजना आयोग इन योजनाओं की जांच कर रहा है ।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष, 1966-67 में अब तक उड़ीसा सरकार को 6 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गई है । इसके अतिरिक्त जून, 1966 के अन्त तक 6.65 करोड़ रुपये का एक अर्थोपाय ऋण मंजूर किया गया है ।

केरल में राजकीय मत्स्यपालन निगम

* 468. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में राजकीय मत्स्यपालन निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो इस निगम की अधिकृत पूंजी कितनी होगी ; और

(ग) किन-किन संस्थाओं को इस निगम के अधीन कर दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविंद मेनन): (क) जी हां। केरल में राजकीय मत्स्यपालन निगम 12 अप्रैल, 1966 को रजिस्टर किया गया। राजकीय वाणिज्य सम्बन्धी अधिष्ठापन जो मत्स्यपालन से सम्बन्धित हैं निगम के अधीन लाई गई हैं।

(ख) इस निगम की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपये होंगे।

(ग) निम्नलिखित संस्थाओं को निगम के अधीन कर दिया गया है :—

(1) **बरफखाने (आइस प्लांट्स) तथा शीतागार (कोल्ड स्टोरेज)** विजीनजोम, कायमकुल्लम, बलांगाड, टेमूर और मदाई।

(2) **कम्पोजिट आइस प्लांट्स तथा फ्रिजिंग प्लांट्स** त्रिवेन्द्रम, नींदाकारा, कोचीन और कालीकट।

(3) **पोत निर्माण कारखाने (बोट बिल्डिंग यार्ड्स)** विजीनजोम, शाक्तीकुलंगारा और बेपोर।

(4) **फिस मिल प्लांट :** वैस्ट हिल।

निम्नलिखित उपकरण भी निगम को दे दिये गये हैं।

मछली पकड़ने की किस्तियां

1. रस्टन इंजन सहित 5 किस्ती 36'
2. बुक इंजन सहित 5 किस्ती 36'
3. टारपिडो इंजन सहित 10 किस्ती 32'

मछली ढोने की गाड़ियां

(क) 167" डब्ल्यू० बी० बैडफोर्ड इंसूलेटिड 2 गाड़ियां

(ख) 120" डब्ल्यू० बी० वैडफोर्ड इंसूलेटिड 1 गाड़ी

(ग) 167" 3 गाड़ी (पुरानी बोडी)

(घ) तीन बैडफोर्ड चेसिस

भूमि सर्वेक्षण

* 469. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व जर्मन वैज्ञानिकों ने, जो हाल में भारत आये थे, यह सुझाव दिया है, कि उर्वरकों का अधिक प्रयोग करके भूमि सर्वेक्षण किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) सरकार को पता नहीं कि पूर्वी जर्मनी के किसी वैज्ञानिक ने ऐसे सुझाव दिये हैं या नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की बसों का चलना

*470. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की बसों के दिल्ली तक तथा दिल्ली से चलने के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच कुछ विवाद खड़ा हो गया है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया है कि वह अपनी बसों को दिल्ली में न आने दे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). आजकल यू० पी० रोडवेज की बसें उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में अन्तर्राज्य पथों पर, राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली से अपनी परमिटों पर बगैर प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये चलती हैं । प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता मोटर-वेहिकिल एक्ट 1939 के उपबन्धों के अनुसार जरूरी है । दिल्ली प्रशासन ने इस कार्य पद्धति पर आपत्ति की थी और इस मामले पर अन्तर्राज्य परिवहन आयोग को प्रतिवेदन दिया था । दिल्ली प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग ने 17 जनवरी, 1966 को एक आज्ञा जारी की जिसके अनुसार यू० पी० रोडवेज को मोटर वेहिकिल एक्ट की धाराओं 42 (1) और 63 की व्यवस्थाओं को मानने के लिए कहा गया, जहां तक उनका सम्बन्ध उ० प्र० और दिल्ली के बीच के अन्तर्राज्य पथों पर उनकी गाड़ियाँ चलाने से सम्बद्ध परमिटें और प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करने से है ।

इस आज्ञा के विरुद्ध 6-3-66 को उ० प्र० सरकार ने अन्तर्राज्य परिवहन अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील की और प्रार्थना की कि जब तक अपील पर विचार नहीं हो जाता है तब तक आयोग की आज्ञा रोक दी जाय ।

आयोग की आज्ञा में उल्लिखित चार महीनों की अवधि 16-5-1966 को समाप्त हो गई परन्तु उ० प्र० सरकार ने उस आज्ञा पालन की ओर कोई कार्यवाही नहीं की। एक महीना और ठहरने के बाद 17-6-1966 को दिल्ली प्रशासन ने उ० प्र० सरकार को सूचित किया कि यदि 25 जून, 1966 तक उ० प्र० रोडवेज अपनी परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर के लिए राज्य परिवहन अधिकारी दिल्ली को आवेदन नहीं देगी तो मोटर वेहिकिल एक्ट और दिल्ली मोटर वेहिकिल नियमों के अन्तर्गत जरूरी कार्यवाही की जायगी।

इस बीच में 25 जून, 1966 को अन्तर्राज्य परिवहन अपीलेट ट्रिब्यूनल के अयध्क्ष द्वारा जारी की गई एक आज्ञा के अनुसार उ० प्र० सरकार की अपील के ट्रिब्यूनल द्वारा फैसला न हो जाने तक आयोग की आज्ञा को चालू होने से रोक दिया गया। ट्रिब्यूनल अपील पर विचार कर रही है।

सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों का वापिस लिया जाना

*471. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को हिदायतें दी हैं कि आम चुनावों से पहले सामुदायिक विकास खण्डों से सब सरकारी जीपें वापिस ली जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इससे खण्ड विकास अधिकारियों को अपना सामान्य कार्य करने में क्या-क्या कठिनाइयां होंगी और उसका कृषि विस्तार कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). अप्रैल, 1965 में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि आम चुनावों के दौरान खण्डों से जीपें अधिसूचना की तारीख से लेकर मतदान की तारीख तक वापिस ले लेनी चाहिए और उन्हें जिला समाहर्ता के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, जो उनका उपयोग केवल चुनाव कार्य के लिए करेगा। यह निर्णय इस प्रश्न से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर सावधानतापूर्वक विचार करने के बाद किया गया था।

बिहार में कपास उत्पादन का अभियान

*472. **श्री ह० च० सोय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिरकालीन खाद्यान्न की कमी के बावजूद बिहार सरकार ने छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसी भूमि में, जहां पर कपास की फसल पर इस समय लगाई जा रही पूंजी से आधी पूंजी से सम्भवत: मक्का, माइलो, मोटा चावल जैसे खाद्यान्न पैदा किये जा सकते हैं, कपास पैदा करने का अभियान चलाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपास बोर्ड ने बहुत बड़ी मात्रा में चूना और अन्य उर्वरक खरीदे हैं, जो ठीक प्रकार न रखने तथा उस क्षेत्र में कपास उत्पादक न होने से उनके प्रयोग किये जाने की कोई सम्भावना न होने के कारण बेकार जाते हैं;

(ग) बिहार सरकार ने किस विशेषज्ञ की सलाह पर यह कपास पैदा करने का अभियान चलाया है; और

(घ) क्या विशेषज्ञों ने उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित वैकल्पिक खाद्य फसलें पैदा करने के बारे में कोई अनुसंधान किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) बिहार सरकार ने छोटा नागपुर प्रभाग तथा सन्थल परगना जिले में कपास की खेती शुरू की है। कपास उत्पादन का कार्य उस ऊपरी तार भूमि में शुरू किया गया है जहां प्रायः खाद्य फसलों का उगना कठिन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने कंका क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के सफल अनुसंधान परिणामों के आधार पर ही कपास की खेती शुरू की है। इन क्षेत्रों में अन्य खाद्य फसल सफलतापूर्वक नहीं उगाई जा सकती।

दिल्ली में मैदा और सूजी का राशन समाप्त किया जाना

*473. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में सूजी और मैदा का राशन समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में बड़ी मात्रा में सूजी और मैदा कहां से आ गई है; और

(ग) क्या यह सच है कि बेकरी मालिकों तथा हलवाइयों ने इस सूजी और मैदा को लेने से इन्कार कर दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में मैदा और सूजी का राशन बहुत बड़ी मात्रा में इनका आयात होने के कारण नहीं हटाया गया था जैसा कि प्रश्न में अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में इटली के मैदा की एक थोड़ी-सी मात्रा आई थी। दिल्ली में बिक्री का शेष मैदा और सारी सूजी स्थानीय आटा मिलों द्वारा तैयार की जा रही है।

(ग) सम्भवतया यह निदेश आयातित इटली के मैदे के थोड़े से स्टाक की ओर है जो कि

बेकरी तथा मिठाइयां बनाने वालों को दिया गया था । बेकरी वालों ने इस आयातित इटली के मैदा को लेने में कुछ अनिच्छा दिखाई क्योंकि यह अपेक्षाकृत कुछ कम पकता था । अतः इसके कम पकने का असर दूर करने के लिए इसे स्थानीय उत्पादित मैदे के साथ मिलाकर बेचा गया ।

केरल में समाहार तथा उगाही प्रणाली

*474. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री मणियंगाडन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री केप्पन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जुलाई, 1966 को केरल राज्य की खाद्य सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी और उसमें राज्य में उगाही तथा राशन व्यवस्था सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समाहार तथा उगाही सम्बन्धी नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या ओनम के दिनों में राशन में चावल की मात्रा बढ़ाने की सम्भावना पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ओनम के दिनों में राशन की मात्रा में कितनी वृद्धि की जायगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुग्धशाला तथा पशुपालन उद्योग का विस्तार

*475. **श्री मधु लिमये :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दुग्धशाला तथा पशुपालन उद्योग के विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना में कृत्रिम घास तथा चारे की फसलें उगाने के लिए कुछ भूमि आरक्षित रखने की कोई योजना भी शामिल है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०**-6780/66]

दिल्ली दुग्ध योजना

*476. **श्री मौर्य :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जेधे :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना राजधानी में कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों की भी मांग पूरी नहीं कर सकी है; और

(ख) यदि हां, तो कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों को, जो दूध के लिए केवल दिल्ली दुग्ध योजना पर आश्रित रहते हैं, पूरी मात्रा में दूध मिले, इसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 1965 के फ्लश मौसम से कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों को पूरा कोटा देना सम्भव हुआ है।

(ख) कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों को कम दूध मिलने के सम्बन्ध में आमतौर पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। डिपो के स्टाफ को आदेश जारी कर दिये गये हैं कि यद्यपि गैर-कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों को नकद कीमत पर दूध देने की अनुमति होती है, तथापि कार्ड-प्राप्त व्यक्तियों को, निश्चित रूप से दूध दिया जाना चाहिए। ऐसी शिकायतें मिलने पर उनकी शीघ्र जांच की जाती है और उचित कार्यवाही की जाती है।

Supply of Indigenous Wheat

*477. **Shri Bade :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that indigenous wheat is in short supply in Government godowns of the capital ;

(b) whether it is also a fact that indigenous wheat is not being supplied to the public at Ration Shops since July, 1966 ;

(c) if so, the reasons for the shortage of indigenous wheat ; and

(d) the action taken by Government in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) to (c). Stocks of Punjab wheat went down very much in Delhi towards the end of June as procurement on Central Government account could not keep pace with the demand. Supply of Punjab wheat to the public had, therefore, to be suspended temporarily during the period 10-7-66 to 9-8-66. Issue of Punjab wheat has been resumed from 10-8-66.

(d) It has now been arranged to move regularly 10,000 tonnes of Punjab wheat per month to Delhi out of the quantities procured in Punjab.

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के भाड़ों को बढ़ाने का प्रस्ताव

*478. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बूटा सिंह :
श्री मधु लिमये :
डा० श्रीनिवासन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री स्वैल :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम हरख यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने भाड़ों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) इस भाड़ा-वृद्धि के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । आसाम क्षेत्र को छोड़कर जहां कि वृद्धि 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी, बाकी सभी सेक्टरों में किराये और माल भाड़े की दर में 10 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

(ख) किराये में की जाने वाली वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से रुपये के अवमूल्यन के कारण होने वाले कारपोरेशन द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए की गई है ।

(ग) सरकार को जो प्रस्ताव जुलाई के दूसरे सप्ताह में मिला था उसकी जांच की जा रही है और वृद्धि के परिमाण या इस वृद्धि होने की तारीख के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) यदि कारपोरेशन के प्रस्ताव स्वीकृत हो जायेंगे तो राजस्व में अनुमानित वृद्धि लगभग 15 लाख रुपये मासिक होगी ।

केशव सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

2261. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **विधि** मंत्री 8 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 399 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय का निर्णय कब सुनाया गया था ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : तारांकित प्रश्न सं० 399 के 8 मार्च, 1966 को दिये गये उत्तर के भाग (घ) में अनुध्यात निर्णय में उस राय के प्रति निर्देश है जो कि केशव सिंह के मामले में संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के अधीन किये गये 1964 के विशेष निर्देश सं० 1 में 30 सितम्बर, 1964 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई थी।

काजू का उत्पादन तथा परिष्करण

2262. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काजू का गहन उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल के अतिरिक्त अन्य राज्यों में काजू का परिष्करण करने के कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है;

(ङ) इस समय बेकार जा रहे काजू (कैश्युएपल) पर आधारित एक उद्योग का विकास करने की कोई सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल, मैसूर, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों में सघन खेती कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कार्यक्रम 10 वर्ष से अधिक आयु वाले वृक्षों में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जायगा। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक पद्धतियां जैसे भूमि कार्य, हरी खाद एवं कवर फसल का बढ़ाना और पौद संरक्षण उपाय शामिल होंगे। अन्य सुविधाओं में अल्पकालीन ऋण तथा उर्वरक, कीट-नाशक औषधियां आदि की सप्लाई शामिल होगी। यह कार्यक्रम कितने क्षेत्र में किया जायगा यह प्रत्येक राज्य के लिए अलग से निश्चित किया जायगा।

(ग) तथा (घ). विभिन्न राज्यों में विपणन की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी इक्ट्ठी करके केरल को छोड़कर शेष राज्यों में कुछ मध्यम साइज के सहकारी यूनिट स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) तथा (च). केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था के प्रयोगशाला अध्ययन से मालूम होता है कि मुरब्बा, चटनी आदि तैयार करके फलों का उपयोग करने की सम्भावनायें हैं किन्तु ये व्यापारिक रूप से काम में नहीं लाये गये हैं। सेब का बड़े पैमाने पर उपयोग करने में बड़ी कठिनाई यह है कि वह वर्ष में केवल तीन महीने उपलब्ध होता है। यह फल शीघ्र खराब हो जाता है और खराब न होने वाले सेब को इक्ट्ठा करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि काजू के वृक्ष अन्य वृक्षों के साथ उगते हैं और बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं।

त्रिवेन्द्रम में काजू संस्था

2263. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिवेन्द्रम में काजू संस्था स्थापित करने के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस संस्था का उद्घाटन कब किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा विकास सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). मसाला तथा काजू सम्बन्धी अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजना स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत काजू तथा मसाला सम्बन्धी एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार हो रहा है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

चोरी छिपे लाया गया मांस

2264. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में चोरी छिपे लाया गया मांस पकड़ा गया ;

(ख) चोरी छिपे लाया गया यह मांस किस तरह का था ;

(ग) यह तस्कर व्यापार किन-किन स्थानों पर किया गया था ; और

(घ) तस्कर व्यापार की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

जूनियर सहकारी प्रशिक्षण संस्थाएं

2265. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में जूनियर सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं का नियन्त्रण और प्रबन्ध राज्य सहकारी संघ (स्टेट्स को-आपरेटिव यूनियन) को नहीं सौंपा गया है ;

(ख) अभी तक ऐसा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं का नियन्त्रण और प्रबन्ध राज्य सहकारी संघ को सौंपने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (नेशनल कोआपरेटिव यूनियन्स आफ इंडिया) और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) अभी तक बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर और मनीपुर में कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हस्तांतरित नहीं किये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश में भी एक केन्द्र हस्तांतरित नहीं किया गया है ।

(ख) बिहार में कनिष्ठ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का हस्तांतरण अब तक इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि राज्य सहकारी संघ को अधिक व्यापक तथा स्वत: नियामक बनाने के लिये उसके उप-नियमों में संशोधन करने का काम राज्य सरकार के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारें सम्बन्धित संघों को केन्द्रों के हस्तांतरण से सम्बन्धित शर्तों को अंतिम रूप दे रही हैं। पंजाब सरकार एक केन्द्र शीघ्र ही संघ को हस्तांतरित करने के लिए कदम उठा रही है। जम्मू तथा काश्मीर की सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इस मामले पर मनीपुर प्रशासन से पत्राचार किया जा रहा है।

(ग) इस प्रश्न पर सम्बन्धित प्राधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है।

कुवैत से उपहार के रूप में गेहूँ

2266. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहाकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत के बम्बई स्थित महावाणिज्यदूत ने हाल में सरकार को उपहार के रूप में बड़ी मात्रा में गेहूँ का आटा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपहार का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस उपहार की क्या शर्तें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) बम्बई में कुवैत के महावाणिज्य दूत ने प्रादेशिक निदेशक खाद्य, बम्बई को लगभग 3590

मीटरी टन गेहूँ के आटे की एक मात्रा दी जो कि बम्बई में 9 जून, 1966 को पहुँची थी। कुवैत से गेहूँ के आटे का 1584 मीटरी टन का दूसरा प्रेषण भी मारमूगोआ पर 6 जुलाई, 1966 को पहुँच गया था। ये दोनों प्रेषण कुवैत से उपहार में आये हैं और इनके साथ कोई शर्त नहीं है।

पाइपर विमान की दुर्घटना

2267. **श्री राम हरख यादव :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 जून, 1966 को एक पाइपर विमान, आन्ध्र प्रदेश के बोधन जिले में छिड़कने का काम (स्प्रेइंग आपरेशन) करते हुए दुर्घटना ग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि जान और माल का कोई नुकसान हुआ है, तो कितना ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी, हां। एक पाइपर पौनी विमान जो कि इंडामेर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का था, निजामाबाद चीनी फैक्टरी, शकरनगर (आन्ध्र प्रदेश) के निकट अच्छे मौसम की एक काम चलाऊ हवाई पट्टी से उड़ते समय ऊपर हवा में उठते ही ध्वंस हो गया। विमान गन्ने की पैदावार पर उर्वरक बुरकने के काम में लगा हुआ था।

(ग) विमान को काफी नुकसान पहुँचा। किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और केवल विमान ही क्षतिग्रस्त हुआ।

अलवाये का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

2268 : **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलवाये को एक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) देसी पर्यटकों के लिये अलवाये महत्वपूर्ण है। देशी पर्यटकों के लिये सुविधाओं का विकास करना राज्य सरकारों का मुख्य दायित्व है। राज्य सरकार ने अलवाये पर एक पर्यटक बंगले (द्वितीय श्रेणी) की व्यवस्था कर दी है। यह फिलहाल रहने के लिये पर्यटकों की जरूरतों को पूरा कर सकता है। अलवाये को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिये राज्य सरकार के विचाराधीन और कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के वन संसाधन

2269. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के वन संसाधनों के बारे में विश्व बैंक मिशन के वन विशेषज्ञों का सर्वेक्षण प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उन सिफारिशों के आधार पर वन उत्पादों पर आधारित उद्योग स्थापित करने का सरकार का कोई विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं होता ।

किसानों को सहायता

2270. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामीण ऋण की सुविधाओं से, जो छोटे किसानों को सहायता देने के लिये है, केवल समृद्ध किसानों को ही लाभ पहुंचा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस त्रुटि को दूर करने की सरकार की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). यह कहना ठीक नहीं है कि अब तक ग्रामीण ऋण की सुविधाओं से केवल समृद्ध किसानों को ही मदद मिली है । वास्तव में सहकारी समितियों से प्रति एकड़ कृष्ट-जोत पर जो ऋण लिया गया है उसमें से नीचे के परिसम्पत्ति वाले वर्गों के काश्तकारों ने उच्च परिसम्पत्ति वाले वर्गों के काश्तकारों की अपेक्षा अधिक लिया है । ऋण नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि काश्तकारों की पात्रता का सम्बन्ध उत्पादन परिव्यय से हो । यह सहकारी समितियों द्वारा प्रति एकड़ प्रति फसल के आधार पर वित्त के प्रतिमान अपना कर और अल्पकालीन उत्पादन ऋण के बारे में बन्धक जमानत के लिए आग्रह न करके किया जा रहा है । सहकारी समितियों द्वारा उस ऋण के बारे में व्यक्ति विशेष की उधार लेने की शक्ति पर उच्चतम सीमा रखी जाती है जो किसी भी सदस्य विशेष को दिया जा सकता है । यह इसलिए किया जाता है ताकि उपलब्ध धनराशि केवल कुछेक बड़े काश्तकारों को ही न मिले ।

केरल का होटल मालिक संघ

2271. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के होटल मालिक संघ ने मांग की है कि चावल के राशन में जो कटौती

की गई थी उसे समाप्त करके पहली मात्रा के बराबर चावल दिया जाये और बिक्री कर समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) होटलों के चावल के राशन में जो 25 प्रतिशत की कटौती की गयी थी उसमें से $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत बहाल कर दी गयी है । बिक्री कर का भुगतान न करने की प्रार्थना नहीं मानी गयी है ।

पश्चिमी घाट सड़क पर माही नदी पर पुल

2272. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० व० राघवन :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाट सड़क पर माही नदी पर एक सहायक सड़क तथा पुल बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). भारत सरकार ने पश्चिमी तट सड़क को पूर्णतया पुलों की व्यवस्था तथा अस्फाल्ट वाले मुख्य मार्ग के रूप में विकसित करने की जिम्मेवारी ले ली है । चूंकि माही नदी के ऊपर इस सड़क पर एक पुल मौजूद है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अत : इस स्थान पर, इस परियोजना के अंग के रूप में एक बाहरी सड़क और एक नये पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

कृषि कार्यों के लिए बिजली

2273. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष पांच वर्षों में कृषि-कार्यों हेतु बिजली देने के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि की राज सहायता दी गई; और

(ख) क्या इस राज सहायता की राशि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). भारत सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि ऐसे राज्यों में जहां कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली की दर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है, कृषकों को सहाय्य प्राप्त दर पर बिजली दी जाए। उपदान की अदायगी का यह व्यय केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारें बराबर-बराबर वहन करेंगी। शुरू में उपदान की यह योजना 1966-67 से 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। कृषि हेतु 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक दर की बिजली का अनुमान लगाने के लिए उन कम से कम मूल्यों को आधार माना जायेगा जो 1 जनवरी, 1966 को लागू थे या जो उस तिथि से पश्चात किसी समय लागू थे। परन्तु वर्तमान उपदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्त स्थिति के होते हुए विभिन्न राज्यों को पिछले पांच वर्षों में कृषि के लिए उपदान देने का कोई प्रश्न नहीं है।

मन्डप्पम शिविर (कैम्प) में केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र अनुसन्धान संस्था के कर्मचारी

2274. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री म० प० स्वामी :**
डा० श्रीनिवासन : **श्री मलाइछामी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र अनुसन्धान संस्था के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए मन्डप्पम शिविर (कैम्प) में कोई चिकित्सा अथवा शिक्षा सुविधायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान में ये सुविधायें प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). मण्डप्पम कैम्प में चिकित्सा अथवा शिक्षा सुविधायें उपलब्ध नहीं है, परन्तु मण्डप्पम पंचायत यूनियन डिस्पेन्सरी की एक महिला डाक्टर सप्ताह में 4 बार मण्डप्पम कैम्प की केन्द्रीय समुद्री मीनक्षेत्र अनुसन्धान संस्था में आती है और हर बार 2 घण्टे तक रोगियों को देखती हैं। आप्तकालीन स्थिति में स्टाफ को स्टाफ की गाड़ी निःशुल्क दी जाती है।

स्टाफ के सदस्यों तथा उनके परिवार के व्यक्तियों के लिए संस्था के परामर्श कक्ष में दवाइयां आदि का स्टाक रखने की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

मण्डप्पम में क्षेत्री भाषा का एक स्कूल मौजूद है जो संस्था से लगभग 4 किलो मीटर की दूरी पर है।

नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार के कर्मचारियों के वेतन क्रम

2575. **श्री लखमू भवानी :**
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में सुपर बाजार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को क्या क्या वेतन क्रम दिये गये हैं ;

(ख) उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ग) सुपर बाजार में कुल कितने प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक तथा बिक्री सहायक (प्रत्येक श्रेणी के पृथक्-पृथक् आंकड़ों सहित) नियुक्त किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) महाप्रबन्धक, विभाग प्रबन्धकों तथा सहायक प्रबन्धकों के वेतन-मान अभी निर्धारित करने हैं। जहां तक दूसरे वर्गों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें फिलहाल तीन महीनों के लिए दैनिक मजदूरी पर लिया गया है, जो इस प्रकार है :—

(1)	वरिष्ठ पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक आदि	8 रुपए प्रति दिन
(2)	कनिष्ठ पयर्वेक्षक (बिक्री/भण्डार/लेखा), आशुलिपिक	7 रुपए प्रति दिन
(3)	आशु,टाइपकार, स्वागती, टेलीफोन प्रचालक आदि	6 रुपए प्रति दिन
(4)	कनिष्ठ बिक्री सहायक (सब्जी सेक्शन), लिपिक/टाइपकार/कनिष्ठ भण्डारी	... 5 रुपए प्रति दिन
(5)	मददगार, चौकीदार, क्लीनर आदि	... 3.50 रुपए प्रति दिन

(ख) ये प्रबन्धक समिति के विचाराधीन हैं और आशा है कि शीघ्र ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा ।

(ग) (1)	महाप्रबन्धक और विभाग प्रबन्धक	17
(2)	सहायक प्रबन्धक और पयर्वेक्षक	22
(3)	बिक्री सहायक	312

चावल के दाम

2276. **श्री लखमू भवानी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा अन्य राज्यों में चावल के दाम भिन्न-भिन्न हैं

तथा देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली में दाम बहुत कम हैं, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से दिये जाने वाले कोर्स चावल का निर्गम मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न है। ये मूल्य 1-1-65 से विभिन्न राज्यों में लागू अधिकतम नियंत्रित मूल्यों से सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय सरकार के भण्डारों से दिये जाने वाले बढ़िया किस्मों के चावल के बारे में देश भर में एक ही निर्गम मूल्य है। तथापि, यह शर्त है कि ये मूल्य किसी क्षेत्र विशेष में लागू अधिकतम नियन्त्रित मूल्य से अधिक नहीं होते हैं। यदि नियन्त्रित मूल्य कम हैं जैसे कि दिल्ली में है, ये कम मूल्य निर्गम मूल्य के रूप में वसूल किये जाते हैं। दिल्ली और अन्य राज्यों में चावल के मूल्य में अन्तर का यही कारण है।

त्रिपुरा में लाने ले जाने में खाद्यान्नों की हानि

2277. **श्री वीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1958 से 1966 की अब तक की अवधि में त्रिपुरा में लाने ले जाने में कुल कितने खाद्यान्नों की हानि हुई ;

(ख) क्या इस हानि के लिये कोई परिवहन एजेंट उत्तरदायी था ;

(ग) क्या खाद्यान्नों की ऐसी हानि के लिये परिवहन एजेंट को दण्ड दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या दण्ड दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बिना 'पी' फार्म के निःशुल्क इण्टरलाइन पास से यात्रा

2279. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले एयर इंडिया के वाणिज्यिक निदेशक की एक महिला मित्र ने एयर इंडिया के कर्मचारी के रूप में बिना 'पी' फार्म के वाणिज्यिक निदेशक के साथ निःशुल्क इण्टरलाइन पास से 'अलइटालिया' में यात्रा की थी ;

(ख) क्या उस समय वह महिला वास्तव में एयर इंडिया में काम करती थी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह इस देश में लागू विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के प्रतिकूल है ;

(घ) क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा संस्था प्रवर्तन प्राधिकार नियमों के भी प्रतिकूल है कि एयर इण्डिया या सम्बद्ध व्यक्ति पर 50,000 डालर का जुर्माना किया जाये ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ङ). एयर इंडिया द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, श्रीमती मोदी ने अलइटालिया द्वारा एयर इंडिया के अनुरोध पर जारी किये गये इन्टर एयरलाइन पास से यात्रा की । वह महिला कारपोरेशन की कर्मचारी नहीं थी लेकिन वह एक कर्मचारी की सम्बन्धी थीं ।

उस महिला ने इस प्रकार सम्बन्धी होने के रूप में पास प्राप्त किया । उस महिला ने इस आधार पर 'पी' फार्म प्राप्त किया कि उसका भाई यू० एस० का निवासी था जोकि यू० एस० ए० में रह रहा था और उस महिला ने वाणिज्यिक निदेशक के साथ यात्रा नहीं की जैसा कि कहा गया है ।

आई० ए० टी० ए० विनियमों में कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों और उनके आश्रित सम्बन्धियों को दूसरी एयरलाइन पर निःशुल्क इन्टर एयरलाइन पास से यात्रा करने की अनुमति दी गयी है। क्या श्रीमती मोदी, जो कि उस समय एक कर्मचारी की सम्बन्धी बतायी गयी हैं, इस रियायत की हकदार थी, इस बात की जांच की जा रही है ।

कृषि में विनियोजन

2280. **श्री अ० ना० विद्यालंकार:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारतीय और विदेशी विनियोजन कुछ समय से बराबर यह मांग करते रहे हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कृषि तथा फार्म उत्पादन के क्षेत्र में विज्ञान तथा आधुनिक टैकनालोजी का प्रयोग करके इस क्षेत्र में विनियोजन तथा गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सुविधायें दी जानी चाहिये ;

(ख) क्या सरकार को इस मांग के बारे में जनता की प्रतिकूल प्रतिक्रिया की जानकारी है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा इस सम्बन्ध में योजना आयोग की नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) 1964 में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों को खेती करने की अनुमति देने के विषय में कुछ औद्योगिक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है किसी विदेशी संस्था ने फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि कार्य को बड़े पैमाने पर शुरु करने के लिए कोई पूछताछ नहीं की है। हां, अफरीका में रहने वाले कुछ भारतीयों से कुछ सुझाव अवश्य आये थे। इस प्रस्ताव ने कुछ व्यक्तियों, चैम्बर आफ कामर्स तथा औद्योगिक संस्थाओं में दिलचस्पी पैदा कर दी।

(ख) प्रत्यक्षतः ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों द्वारा बड़े स्तर पर खेती करने के विषय में जनता की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी।

(ग) सरकार ने योजना आयोग के परामर्श से इस योजना पर विचार किया और ऐसा करते समय इसके लाभ तथा हानि दोनों पक्षों को सामने रखा। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात सरकार इस निर्णय पर पहुँची कि यह प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है।

Supply of Deep Sea Fishing Vessels by Poland

2281. **Shri Rameshwaranand :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Poland would supply vessels to India for deep sea fishing ;

(b) if so, the number of vessels to be supplied and the cost thereof ;

(c) whether such vessels cannot be built in India ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Govinda Menon) : (a) Poland is willing to supply vessels to India for deep sea fishing.

(b) The number and cost have not been decided yet.

(c) and (d). Since the designs are complicated, it is considered desirable to import a few from abroad.

Confiscation of Rice in West Bengal

2282. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 55,000 maunds of rice have been confiscated from smugglers

in West Bengal during the period from the 1st January to 5th May, 1966 ;

(b) if so, the quantity of rice similarly confiscated in other States ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Information about stocks of rice seized by police in West Bengal is being collected and will be placed on the Table of the Sabha when received.

(b) The total quantity of rice seized in Bihar and Mysore so far during current year amounts to 297 tonnes. Information regarding other States is not available.

(c) Confiscation of stocks is one of the punishments on the smugglers. What other action has been taken by the respective State Governments against each of the persons involved has not been reported to the Central Government.

चीनी मिलों को कर में छूट

2283. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मिलों को कर में दी गई छूट से उपभोक्ताओं को मिलने वाली चीनी के दामों में या मात्रा में कुछ राहत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). शर्करा मिलों को कर सम्बन्धी सहायता मई और जून में उपलब्धि में हुई कमी को पूरा करने के लिये दी गयी है। यह उपाय इसलिए किया गया है ताकि सारा उपलब्ध गन्ना पेरा जा सके और शर्करा का अधिक से अधिक उत्पादन हो।

भारतीय खाद्य निगम के लिये नये कार्यालय

2285. **श्री राम सहाय पाण्डेय** :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रा० बरुआ :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने देश के विभिन्न भागों में कुछ नये कार्यालय खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में वर्तमान खाद्यान्न की कमी के सन्दर्भ में यह निगम अपने कार्यों का समन्वय किस प्रकार कर रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में खाद्य निगम द्वारा स्थापित विभिन्न ब्रांच कार्यालय साथ निगम के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। सामान्य परामर्श से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ तालमेल रखा जाता है। निगम खाद्यान्नों के अपने स्टाक के बारे में सूचना केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों को देता है जिससे देश में खाद्यान्नों के कमी के संदर्भ में वितरण में सुभीता मिले।

मैसर्स डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी

2286. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक : **श्री दी० चं० शर्मा**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री एच० डी० मुंदडा द्वारा मैसर्स डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी के काम-काज में हस्ताक्षेप किये जाने के आरोपों के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है?

विधि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). माननीय सदस्यों का ध्यान, तारांकित प्रश्न संख्या 48 जिसका उत्तर 4 नवम्बर, 1965 को, सं० 684 जिसका उत्तर 22 मार्च, 1966 को दिया गया, की ओर दिलाया जाता है। जांच के दौरान डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के खातों में विभिन्न व्यापारिक व्यवहारों का सम्पर्क स्थापित करने के विचार से दो अन्य कम्पनियों के हिसाब-किताब का निरीक्षण आवश्यक समझा गया। जबकि उनमें से एक ने तो खाते प्रस्तुत कर दिये, पर दूसरी निरीक्षण अधिकारियों के पास खाते प्रस्तुत करने में असफल रही। समवाय अधिनियम के अधीन पुस्तकों की बाध्य प्रस्तुति और अव-हेलना के मामले में मुकदमा चलाने की कार्यवाही आरम्भ की जा रही है। इन कम्पनियों में से एक के समापन की कार्यवाही भी आरम्भ की जा चुकी है।

निरीक्षण के दौरान, डंकन स्ट्रैटन एण्ड कम्पनी और मुंदडा ग्रुप की एक अन्य कम्पनी के साथ लेन-देन करने वाली एक विदेशी कम्पनी का नाम भी पाया गया। धारा 209 (4) के अधीन, निरक्षण के लिये, विदेशी कम्पनी के हिसाब-किताब प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

अभाव तथा दुर्भिक्ष की स्थिति

2287. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 13 मई, 1966 के दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अभाव" और "दुर्भिक्ष" से उत्पन्न विपत्ति को दूर करने के सम्बन्ध

में इस बीच केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित करने से सम्बन्धित नये सिद्धांत अथवा नियम अथवा प्रक्रिया बनाई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन दो शर्तों की स्पष्ट परिभाषा करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन शर्तों को निर्धारित करने का है जिनके अन्तर्गत सरकार के लिये दुर्भिक्ष अथवा अभाव घोषित करना तथा उपचारात्मक कार्यवाही करना अनिवार्य होगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सरकार का कुछ देर बाद एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का विचार है। यह अधिकारी इन मामलों की जांच करेगा और राज्य अकाल संहिताओं की समीक्षा भी करेगा और हाल ही के अनुभव की दृष्टि में यदि कोई आवश्यक समझे गये तो उन संशोधनों के बारे में सुझाव देगा।

बम्बई में सान्ताक्रुज हवाई अड्डे की भूमि में बेदखली

2288. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्लाट नं० 15, भाग I, अन्धेरी-पूर्व (लिंगायत भवन के पीछे) के किरायेदारों से इस आशय की कोई सूचना प्राप्त हुई है कि उन्हें शांताक्रुज हवाई अड्डे के प्राधिकारियों से जो उस भूमि के स्वामी हैं बेदखली के नोटिस प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या एक प्राइवेट पार्टी ने इस भूमि पर बलात् कब्जा कर लिया था और हवाई अड्डा प्राधिकारियों के इस प्लाट पर अनधिकृत रूप से मकान बना दिये और उस पार्टी ने जरूरतमन्द व्यक्तियों से पगड़ी तथा किराये के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल की;

(ग) यदि हां, तो हवाई अड्डा प्राधिकारियों द्वारा उस समय कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है; जबकि मकान नगरपालिका की अनुमति से बनाये गये थे; और

(घ) हवाई अड्डा प्राधिकारियों का इन किरायेदारों को जिनके इन बेदखली नोटिसों के परिणामस्वरूप निकाले जाने की सम्भावना है क्या संरक्षण देने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) इस जमीन पर हवाई अड्डा अधिकारियों की जानकारी और अनुमति के बिना कब्जा किया गया।

(ग) इस बात का सत्यापन होने और यह स्थापना होने से पहले कि यह जमीन नागर

विमानन अधिकारियों की है, हवाई अड्डा अधिकारियों के लिए कार्यवाही करना संभव नहीं था। यह मालूम हुआ है कि ये मकान नगरपालिका की अनुमति के बिना बनाये गये।

(घ) चूंकि इस बात की स्थापना हो चुकी है कि यह जमीन नागर विमानन विभाग की है इसलिए इस जमीन पर अनधिकृत कब्जा बना रहने देना सम्भव नहीं है।

खोसला पंचाट

2289. **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को ए० आई० आई० के कर्मचारियों के विभिन्न गिल्डों/संघों से अभ्यादेवन मिले हैं जिनमें प्रार्थना की गई है कि खोसला पंचाट में जो विषमतायें तथा असंगतियां हैं उनको दूर करने के सम्बन्ध में मंत्रालय को बातचीत आरम्भ करनी चाहिये।

(ख) क्या इन संघों ने यह भी मांग की है कि प्रबन्धकों के विरुद्ध अकुशलता भ्रष्टाचार तथा गैर-कानूनी-कार्यवाहियों के आरोपों की सार्वजनिक जांच की जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) एयर इंडिया को कुछ संस्थाओं/संघों से राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट (नेशनल इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एवार्ड) में पायी गयी कुछ विषमताओं, भिन्नताओं या असंगतियों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में बातचीत की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Weather Reports for Farmers

2290. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made by Government to make correct weather reports available to farmers in time ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). This Ministry has not made any direct arrangements for making available weather reports to the farmers. Around two lakh community listening sets have been installed in the villages, mostly under a scheme of the Ministry of Information and Broadcasting, over which the rural population can listen to the daily weather reports broadcast by the various stations of All-India Radio.

(c) Does not arise.

Prices of Vegetables

2291. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that in some parts of the country, the farmers have to sell vegetables at prices lower than even their cost price while in other parts vegetables remain absolutely non-available ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the measures being adopted to remove this imbalance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes.

(b) The main reasons are insufficient communication facilities from producing areas to consuming areas and lack of proper marketing facilities.

(c) The measures that are being adopted are establishment of markets and provision of marketing facilities in interior areas of production, establishment of producers' cooperatives, establishment of processing and preservation centres to utilise the surpluses in the season, and gradual regulation of vegetable markets under the Agricultural produce Markets Acts in the States where such regulation does not exist.

Prices of Potatoes in Bihar

2292. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the prices of potatoes were very low in Bihar this year in comparison with the preceding years;

(b) the prices of potatoes in other States this year as also during the last three years ; and

(c) the causes of low prices of potatoes in Bihar this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Statement I, showing the trend of prices of potatoes in Bihar in 1963-66, is attached. **[Placed in Library. See No L.T.-6781/66]**

(b) Statement II, showing the trend of prices in Assam, Maharashtra, Madras, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal is attached. **[Placed in Library. See No L.T.-6781/66]**

(c) The fall in prices in Bihar and other States is mainly attributable to substantial increase in production.

Decline in Agricultural Production

2293. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rate of agricultural production has been declining gradually ;

(b) if so, the year-wise figures of per acre average production for the period from 1947 to 1960 ; and

(c) the result of the steps taken so far to increase the production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) No, Sir. According to recent study by the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, agricultural productivity in India rose by 1.78 percent per annum during the period 1949-50 to 1964-65.

(b) A statement showing the all-India yield per hectare of all foodgrains taken together from 1949-50 to 1964-65 is enclosed (Statement I). **[Placed in Library. See No. L.T.-6782/66]** Another statement showing Index Numbers of agricultural productivity (Yield) covering both foodgrains and other items of agricultural production for the period 1950-51 to 1964-65 is attached (Statement II). **[Placed in Library. See No. L.T. -6782/66]** Information for the period prior to 1949-50 is not comparable with these statements because of changes in average and in methods of estimation introduced since that year.

(c) The direct results of the steps taken are reflected in increased productivity as indicated in part (b).

Per Acre Production in Bihar

2294. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the per acre production during the last fifteen years in Bihar ;

(b) the steps taken to increase the production ; and

(c) the quantity of foodgrains asked for by Bihar from the Centre and the quantity supplied to that State during the current year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) A statement giving yield per hectare of important food crops, viz. rice, wheat, maize and gram and total foodgrains during the last 15 years in Bihar is attached. (Statement I) **[Placed in Library. See No. L.T.-6782/66]**.

(b) A brief note in this respect is attached. (Statement II) **[Placed in Library. See No. L.T.-6782/66]**.

(c) Bihar Government asked for 14. 68 lakh tonnes of foodgrains for 1966. The requirements of foodgrains of the various States are discussed with the State Governments and allocations from Central stocks are made on the basis of the relative needs of the various States and the availability with the Central Government. During the six months January to June, 1966, 3.53 lakh tonnes of foodgrains were supplied from Central Stocks to Bihar.

कृषकों के लिये वित्त व्यवस्था की योजना

2295. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों की सब आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पूरी वित्त व्यवस्था की योजना किस सीमा तक लागू की गई है ;

(ख) क्या कृषकों की ऋण सम्बन्धी पूरी आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे पूर्णरूपेण क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और इसे कब पूर्णतः क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). "पूरी वित्त व्यवस्था की योजना" में इस बात की व्यवस्था है कि उगायी जानेवाली फसलों की किस्म, प्रयोग में लाये जानेवाले आदानों (इन्पुट्स) आदि तथा उधार लेनेवालों की लौटाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सदस्य-कृषकों की उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों से पर्याप्त ऋण मिलना चाहिए। फसल ऋण प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन संबंधी ऋणों को अधिकाधिक रूप से उत्पादन अनुस्थापित किया जा रहा है। यह प्रणाली महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास के कुछ भागों में पहले ही लागू है और आशा है कि 1966-67 में यह सभी राज्यों में लागू हो जाएगी।

कृषकों की पूर्ण ऋण आवश्यकताओं के बारे में कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तथापि, हाल ही में लगाए गए कच्चे अनुमान के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के पहले वर्ष तथा आखिरी वर्ष में कृषकों की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकताएं क्रमशः 900-1000 करोड़ रुपए तथा 1200-1300 करोड़ रुपए आंकी गई है। आशा है कि सहकारी समितियां चौथी योजना अवधि में कृषकों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकाधिक मात्रा में करेंगी। सहकारी ऋण के अतिरिक्त तकावी ऋण भी सुलभ होगा। आशा है कि वाणिज्य बैंक तथा भारत का खाद्य निगम जैसे अभिकरण भी कृषकों को उत्पादन कार्यों के लिए धन सुलभ करने में अपना भाग अदा करेंगे।

गेहूं तथा चावल के समाहार मूल्य।

2296. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को अपना खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये गेहूं और चावल के समाहार मूल्य बढ़ाने की सलाह दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के इन खाद्यान्नों के लिये क्या समाहार मूल्य निर्धारित किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). राज्य सरकारों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये गेहूं और चावल का अधिप्राप्ति मूल्य बढ़ाने के बारे में कोई सलाह नहीं दी गयी थी।

तथापि, चालू फसल में मध्यप्रदेश और नये क्षेत्र पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि कर दी गयी है। चालू फसल में कुछ राज्यों में चावल के मूल्यों में भी उपयुक्त संशोधन किये गये हैं। विभिन्न राज्यों में चावल के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला एक विवरण तारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर में 5 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत किया गया था। गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य बताने वाला एक विवरण भी अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में 26 जुलाई, 1966 को प्रस्तुत किया गया था।

कच्चे पटसन का निम्नतम मूल्य

2297. **श्री प्र० चं० वरुआ :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे पटसन का निम्नतम मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ; यदि हां, तो कितना ;

(ख) इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस वर्ष की खेती के लिये की गई प्रारम्भिक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्ष में इन उद्देश्यों के पूरा होने की कहां तक सम्भावना है ; और

(ग) इससे सम्बन्धित राज्यों में तथा उन क्षेत्रों में जहां धान का उत्पादन बढ़ाने के लिये इसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है धान की खेती पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां। कच्चे पटसन का निम्नतम मूल्य आसाम वौटम कलकत्ता में 1966-67 के मौसम के लिए 93.77 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है जबकि पूर्व मौसम में 80.38 रुपये प्रति क्विन्टल था।

(ख) कच्चे पटसन का मूल्य बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए उत्पादक को पर्याप्त प्रोत्साहन देना है। पटसन उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित कुछ योजनाओं को स्वीकृत किया है। पटसन फसल पर फोलियर स्प्रे के लिये यूरिया की सप्लाई करना इन योजनाओं में शामिल है और भारत सरकार ने 1966-67 के दौरान आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को 25·31 लाख रुपए का 4150 टोन्ज यूरिया मुफ्त सप्लाई किया है। लो वोलूम प्रैशर स्प्रेयर्स फोलियर स्प्रे के लिए उत्पादकों को मुफ्त दिए गए हैं।

पटसन फसल में प्रयोग के लिए केन्द्रीय पूल से उर्वरकों तथा पौद संरक्षण रासायनिकों की आवश्यक मात्रा अलाट करने के लिए उपयुक्त प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

(ग) सम्बन्धित राज्यों में धान की खेती पर बुरा असर पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि कृषि मूल्य आयोग जिसने 1966-67 के लिए कच्चे पटसन के निम्नतम मूल्यों में वृद्धि की सिफारिश की थी इस बात को दृष्टि में रखा था।

दिल्ली में बसों के किराये

2298. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मौर्य :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली परिवहन उपक्रम (डी. टी. यू.) ने हाल ही में अपनी बसों के किराये में वृद्धि की है, सरकार ने दिल्ली में गैर-सरकारी बस संचालकों की किराया बढ़ाने की मांग के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गेहूं और धान की अधिक उपज वाली किस्में

2299. **श्री मौर्य :** **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री मधु लिमये : **श्री रामेश्वर टांटिया:**
डा० राम ममोहर लोहिया : **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :**
श्री किशन पटनायक : **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री राम सेवक यादव : **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में तथा कुल कितने क्षेत्र में गेहूं और धान की अधिक उपज वाली किस्मों सम्बन्धी योजना आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि में खेती करने का प्रस्ताव है तथा उस पर कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) अधिक उपज वाली मुख्य किस्में कौन-कौन सी हैं और किन-किन देशों से ली जायंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) खरीफ मौसम 1966-67 से धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मकई के सम्बन्ध में अधिक उत्पादक किस्म कार्यक्रम खेत में शुरू कर दिया गया है। समस्त राज्यों और दिल्ली, गोवा, पान्डीचरी तथा

त्रिपुरा के संघ क्षेत्रों में धान का कार्यक्रम चालू खरीफ मौसम में 1.40 मिलियन एकड़ भूमि में और आगामी रवी मौसम में 1.08 मिलियन एकड़ भूमि में शुरू किए जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार 11 राज्यों और दिल्ली के संघ क्षेत्र में आगामी रबी मौसम के दौरान 1.05 मिलियन एकड़ भूमि में गेहूं कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा तथा मक्की के अधिक उत्पादक किस्मों के अन्तर्गत लाने वाला कुल क्षेत्र 32.50 मिलियन एकड़ है जिसमें धान की खेती के 12.5 मिलियन एकड़ और गेहूं की खेती के 8.00 मिलियन एकड़ भी शामिल हैं।

अधिक उत्पादक किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार का अधिक खर्चीला मद चुने हुए जिलों में जिला तथा खण्ड स्तरों पर नियुक्त अतिरिक्त स्टाफ है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थिति को दृष्टि में रखते हुए अतिरिक्त स्टाफ सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगायें और आने वाले खर्च का अनुमान भी बतायें।

(ग) अन्य देशों से आयात की गई धान की मुख्य अधिक-उत्पादक किस्में हैं—ताईचुग नेटिव-1 तथा ताईचुंग 65 जो फिलिपाइन से और ताइनन-3 फारमोसा से ली गई हैं। देश में और अधिक वृद्धि के लिए इन किस्मों की मात्राएं आयात की गई थीं और भविष्य में और आयात की जरूरत नहीं। इसी प्रकार गेहूं की मुख्य अधिक-उत्पादक किस्में सोनोरो 64 और लरमा रोजो हैं, इनको थोड़ी मात्रा में पिछले रबी मौसम 1965-66 के दौरान और अधिक वृद्धि के लिए 1965 में मैक्सिको से आयात किया गया था। चूंकि देश में पैदा किए गए इन किस्मों के बीज रबी 1966-67 में लक्षित क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः 18000 टोन्ज लरमा रोजो मैक्सिको से आयात किया जा रहा है।

आगरा डिपों में अनाज की देखभाल

2300. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**
श्री मौर्य :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 17 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5706 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा डिपो में 8-10 लाख रुपये की हानि के बारे में विशेष पुलिस संस्थान द्वारा की जा रही जांच इस समय किस प्रक्रम पर है ;

(ख) यह जांच कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) जांच प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्रस्तुत कर दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जांच अभी बहुत ही आरंम्भिक अवस्था में है।

(ख) लगभग एक वर्ष की अवधि में।

(ग) लगभग एक या दो महीने में जांच पूरी होगी।

केरल में मछली पकड़ने का उद्योग

2301. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 17 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5723 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों तथा उपोत्पादों के उत्पादन के लिये स्थापित की जाने वाली सीमित (लिमिटेड) कम्पनी की अंश पूंजी में राज्यों के हिस्से के प्रश्न पर इस बीच सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी में राज्य के कितने प्रतिशत अंश होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) तथा (ख). प्रस्तावित कम्पनी के अंश पूंजी में राज्यों के हिस्से के प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

Tourist Centres in U. P.

2302. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state.

(a) whether there is any proposal to develop some Tourist Centres in Uttar Pradesh during the year 1966-67; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) and (b). In the Annual Plan for 1966-67 of the Central Department of Tourism a provision of Rs. 3,25,000 has been made for the following schemes :—

1.	Integrated development of tourist facilities at Agra	Rs. 2,00,000
2.	Tourist Bungalow (Class II) at Haradwar. (Central share)	Rs. 75,000
3.	Tourist Bungalow at Pipri (Central share)	Rs. 50,000

In the Annual Plan for 1966-67 of the Government of Uttar Pradesh the following tourist schemes have been included :—

1.	Tourist Bungalow (Class II) at Haradwar (State Government share)	Rs. 75,000
2.	Tourist Bungalow (Class II) at Pipri (State Government share)	Rs. 50,000
3.	Publicity and promotional activities including conducted tours	Rs. 50,000
4.	Training (Management and Guides)	Rs. 10,000
5.	Management (furnishing, equipping and staffing of newly constructed tourist bungalow)	Rs. 1,00,000
6.	Rest House at Naugarh	Rs. 2,15,000
7.	Development of Tourist facilities in Uttarkhand	
8.	Tourist Organization	
	Total	Rs. 5,00,000

डनियल वाल्काट का बच निकलना

2303. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री डनियल वाल्काट के बच निकलने के बारे में जांच समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में 22 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 585 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिकारियों को आरोप-पत्र दिये गये हैं, उनके विरुद्ध अब तक की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके, विभागीय जांचों का एक आयुक्त, जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और वह जांच कर रहा है।

टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में कृषि फार्म

2304. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 19 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3903 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर के निकट एक कृषि फार्म खोलने की योजना पर सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कितने किसानों की भूमि अर्जित की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) अभी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

काश्मीर में पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष पुलिस संस्थान

2305 : **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क०ना० तिवारी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में पर्यटकों की सुविधा के लिये विशेष पुलिस संस्थान की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी ऐसी योजना लागू करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(घ) उससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). जम्मू और काश्मीर सरकार ने राज्य सरकार के पर्यटन के निदेशक के जिन्हें मैजिस्ट्रेट के अधिकार भी दिये गये हैं सीधे नियंत्रण में एक पर्यटक पुलिस सेल की स्थापना की है। पर्यटक पुलिस दलाल और भिखारियों के अपदूषणों के नियंत्रण में सहायता के लिये और पर्यटकों तथा दूकानदारों, तांगेवालों, शिकारावालों इत्यादि के बीच होने वाले किसी झगड़े को निबटाने में सहायता के लिये किया जाता है। भीड़भाड़ के मौसम में जब कि श्रीनगर में प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में पर्यटक आते हैं तब ऐसे स्थानों पर जहां पर्यटक अधिक जाते हैं वहां पर्यटक पुलिस यातायात के नियंत्रण में सहायता करती है और उन पर्यटकों के माल की जो रोमों, नौकागृहों इत्यादि में रहते हैं, रक्षा करती है।

1965 में हैदराबाद में पर्यटक विकास परिषद ने अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि पर्यटकों के भ्रमण स्थानों से भिखारियों और दलालों को दूर रखने के लिये राज्य सरकार द्वारा राज्य पुलिस विभाग के अन्तर्गत इसी प्रकार की पर्यटक सेल बनाई जानी चाहिये। राज्य सरकार मामले पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के लिये डिनर (सांयकालीन भोजन) पोत-विहार।

2306 : **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड ने बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्वागत समिति के सहयोग से बम्बई में अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी के गत अधिवेशन के दौरान बम्बई बन्दरगाह के इर्द गिर्द डिनर पोत-विहार की व्यवस्था की थी ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने कितनी राशि व्यय की ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। इस पोत विहार से राष्ट्रीय नौवहन मंडल का कोई सम्बन्ध न था।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चावल मिलें

2307. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में चावल मिलें स्थापित करने के लिये अस्थायी योजना बना ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने चौथी योजना में नई चावल मिलें स्थापित करने और मौजूदा मिलों में आधुनिक विधियां लागू कर सुधारने हेतु एक अस्थायी योजना तैयार की है । नये उपकरणों के अलावा, योजना प्रस्तावों में आधुनिक संचयन और हैण्डलिंग सुविधाएं सुलभ करने की भी व्यवस्था है । ये प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

राजस्थान में चारे की कमी

2308. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चारे की बहुत कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सहायता दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशों को चीनी का निर्यात

2309. **श्री यशपाल सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में विदेशों को, देशवार, कुल कितनी चीनी का निर्यात किया गया ;

(ख) इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई, और

(ग) वर्ष 1955-56 और 1965-66 में क्रमशः गन्ने की प्रति एकड़ औसत पैदावार कितनी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) शक्कर का निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किया जाता है । 1965 में निम्नलिखित निर्यात किये गये :—

	(लाख मीटरी टन में)
(1) कनाडा	0.53
(2) मलेशिया	0.36
(3) यू० के०	0.76
(4) संयुक्त राज्य अमेरिका	0.92
(5) अन्य देश	0.10
जोड़	2.67

(ख) रु० 11.15 करोड़ (अनुमानित)

(ग) गन्ने की प्रति हैक्टर पैदावार :

1955-56	32,779 किलोग्राम
1964-65 (अन्तिम अनुमान)	48,006 ,,

1965-66 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जोधपुर में पानी की कमी

2310. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने जोधपुर जिले में खोज कार्य लगभग स्थगित कर दिया है और उस क्षेत्र में हो रही पानी की भारी कमी को दूर करने के लिए कोई अन्य उपाय करने के बारे में नहीं सोचा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). समन्वेषी नलकूप संस्था ने राजस्थान के जोधपुर जिले में भूमिगत जल की जो खोज की है उससे पता चलता है कि बरुन्डा क्षेत्र को छोड़कर समस्त जिला नलकूपों की खुदाई के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इस जमीन में सख्त चट्टानें मौजूद हैं और इसलिए भूमिगत जल की उपलब्धि कठिन है ।

बरुन्डा क्षेत्र में विन्ध्याचल के चूने की पथरीली भूमि में पानी मिल जाता है । आशा है नलकूप संस्था अपने आगामी कार्यक्रम में इस क्षेत्र को शामिल कर लेगी ।

हल्दिया पत्तन परियोजना स्थल तक राजपथ

2311 : **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दे० द० पुरी :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर कोलाघाट से हल्दिया पत्तन परियोजना स्थल तक एक राजपथ के निर्माण के लिये भूमि अर्जित करने को कहा गया था ;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित भूमि कब अर्जित की गई थी ;

(ग) क्या अर्जित की गई भूमि का मुआवजा दे दिया गया है और निर्माण कार्य आरंभ हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). जी नहीं। हल्दिया पत्तन से राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 6 पर कोलाघाट को मिलाने वाली प्रस्तावित सड़क से संबद्ध परियोजना अभी भारत सरकार के विचाराधीन है। फिर भी, उनके अनुमोदन की प्रत्याशा में, रिर्पोट मिली है कि इस सड़क के लिए राज्य सरकार ने भूमि प्राप्ति के लिये कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

पंजाब को खाद्यान्नों का सम्भरण

2312. **श्री दलजीत सिंह :**

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में अब तक पंजाब सरकार ने कुल कितने खाद्यान्नों की मांग की है और केन्द्र द्वारा वस्तुत: खाद्यान्नों की कितनी सप्लाई की गई है ; और

(ख) वर्ष, 1966 में अब तक केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी खाद्यान्नों की मांग की है और पंजाब ने 1966 में अब तक खाद्यान्न की कितनी सप्लाई की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) पंजाब में रोलर आटा मिलों को केन्द्रीय भण्डारों से सीधे ही गेहूँ सप्लाई किया जा रहा है और जनवरी से जुलाई की अवधि में भेजी गयी मात्रा 85 हजार मीटरी टन है। इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने पहाड़ी इलाकों और अन्य विशेष क्षेत्रों में वितरण करने के लिए 11,700 मीटरी टन आयातित गेहूँ मांगी थी। इस मांग पर 4000 मीटरी टन गेहूँ भेज दिया गया है और अतिरिक्त मात्रा भेजने का काम प्रगति पर है।

(ख) पंजाब में दोनों केन्द्र और राज्य सरकार के खाते में अधिप्राप्त की जा रही है। केन्द्रीय सरकार के खाते में जितनी मात्रा अधिप्राप्त की जाती है, केन्द्र की हिदायतों के अनुसार भेजी जा रही है। राज्य सरकार के खाते में अधिप्राप्त स्टाक में से भी कुछ मात्रा दी जा रही है। पंजाब ने जनवरी से 15 जून, 1966 की अवधि में वास्तव में कुल 348 हजार मीटरी टन खाद्यान्न सप्लाई किये थे।

ईंट बनाने के उद्योग द्वारा कृषि भूमि का खराब किया जाना

2313. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि देश में ईंट बनाने के उद्योग का विस्तार

होने से हाल के कुछ वर्षों में समूचे देश में बहुत एकड़ सर्वोत्तम कृषि-भूमि खराब हो गई है ;

(ख) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने का कोई विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) यह सच है कि अच्छी कृषि भूमि ईटों के उद्योग से खराब हो गयी है लेकिन जिस क्षेत्र पर असर पड़ा है वह बड़ा नहीं है ।

(ख) तथा (ग). ईंट उद्योग की व्यवस्था अपने-अपने प्रदेशों में राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । विभिन्न राज्य ईंट बनाने को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग लाइसेंस पद्धति अपनाते हैं इसलिए यह व्यवहारिक नहीं है कि कोई ऐसी पद्धति बनाई जाये जिसे समस्त राज्य अपनायें । भारत सरकार ने ईंटों के भट्टों से बहुमूल्य भूमि की हानि के प्रश्न पर विचार किया है और मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव दिए हैं :—

(1) जहां सम्भव हो गड्ढे गहरे खोदे जायें ताकि बड़ा क्षेत्र न घिरे । इसके बाद खोदा हुआ क्षेत्र समतल टीलों में बदल दिया जाये ताकि वह खेती के लिए ठीक हो जाये ।

(2) जहां गहरे गड्ढों की जरूरत नहीं और खोखले गड्ढे जरूरी हैं तो उनको इस प्रकार बनावें कि छोटी पोखरों में बदला जा सके ताकि सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा हो सके ।

(3) उपरोक्त सुझावों को अपनाने के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग पद्धति में उपयुक्त परिवर्तन किये जाएं ।

Export of Sugar

2314. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have appointed Ramkrishna Committee on the export of sugar;

(b) the specific purpose for which the said Committee has been set up;

(c) whether it is also a fact that the Committee is considering a proposal to set up five sugar mills in Madras, Andhra, Madhya Pradesh and Maharashtra at a cost of Rs. 30 crores; and

(d) if so, whether the existing sugar mills are not in a position to produce sugar required for export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) To study problems connected with the development of sugar production for export purposes and make recommendations for :

(i) establishment of new capacities either in existing industrial units or entirely new units which will have special advantages of suitable location for export purposes ;

(ii) the formation of suitable export houses/agencies/organisations through whome exports should be canalised; and

(iii) any assistance (incentives) that should be granted for maximising exports.

(c) Yes, Sir. The Committee is considering a proposal for the establishment of sugar mills in Orissa, Mysore, Maharashtra and the Andamans in the public sector. Final view in this regard will, however, be known after the Committee has submitted its report.

(d) Yes, Sir. But the Committee contemplates that the cost of production of sugar in the proposed new units will be lower.

साधारण निर्वाचनों में मोटरगाड़ियों का प्रयोग

2315. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगले साधारण निर्वाचनों में लोक सभा अथवा विधान सभा के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटरगाड़ियों की संख्या निर्धारित करने का है ;

(ख) क्या यह संख्या जीपों के लिए निर्धारित होगी अथवा इसमें अन्य सभी प्रकार की मोटरगाड़ियां भी शामिल होंगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्वाचन की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले निर्वाचन लड़ने की अपनी मंशा प्रकट करने वाले लोगों को निश्चित बाजार-भाव पर नयी जीप गाड़ियां दिलाने की व्यवस्था करने का है और क्या ये जीप गाड़ियां किसी संसद्-सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य के निर्वाचन-क्षेत्र के लिए नियत कोटे तक मिलेंगी ; और

(घ) क्या निर्वाचन खर्च में प्रयोग की गई मोटरगाड़ियों के मूल्य-ह्रास की राशि भी शामिल की जायेगी और यदि हां, तो क्या मूल्य-ह्रास के लिए एक मानक निर्धारित किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) से (घ). जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में राशन व्यवस्था

2316. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 अप्रैल, 1966 से 15 मई, 1966 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल से बाहर के लगभग एक लाख व्यक्ति कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में आ गये हैं ;

(ख) क्या एक दम इतने अधिक लोगों के आ जाने के कारण राशन-व्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ गया है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता लगा है कि जब खाद्य विभाग के अधिकारी नये राशन कार्ड जारी करने से पहले स्थान पर निरीक्षण के लिए जाते हैं, तो उनको मारा पीटा जाता है ; और

(घ) इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) पश्चिमी बंगाल से बाहर के स्थानों के लोगों के सांविधिक राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आने के कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इस वर्ष 6 अप्रैल से 15 मई तक की अवधि में सांविधिक राशन-व्यवस्था वाले क्षेत्रों में कुल 1.25 लाख व्यक्ति आये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) मार-पीट के कुछ इके-दुके मामले सूचित किये गये थे।

(घ) जिन स्थानों पर संकट की प्रत्याशा होती है वहां जांच अधिकारियों को पुलिस का संरक्षण दिया जाता है। जहां कहीं सम्भव होता है वहां अपराधियों को पकड़ने के भी कदम उठाये गये हैं।

अकाल सहायता के बारे में दक्षिण राज्य के मुख्य मंत्रियों की बैठक

2317. **श्री उमानाथ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकाल के सम्बन्ध में स्थायी आधार पर सहायता देने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना बनाने के बारे में विचार करने हेतु 19 और 20 जून, 1966 को महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को बुलाया गया था ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को किसने बुलाया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) मुख्य मंत्री आन्ध्र प्रदेश।

गहन कृषि कार्यक्रम

2318. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक अतिरिक्त गहन खेती कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां। 1966-67 के खरीफ मौसम से खाद्यान्नों की कुछ अधिक उत्पादनशील किस्मों के लिये एक सघन कृषि कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम चौथी योजना की अवधि में जारी रहेगा।

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरे तथा मक्का की उन नई विकसित किस्मों के प्रयोग द्वारा, जिनके लिये उरर्वकों का अधिक प्रयोग लाभप्रद सिद्ध होता है, कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित किस्में शामिल हैं : ताईचुंग नेटिव - 1, ताईचुंग - 65, ताईनान - 3 तथा धान के लिये एडीटी 27, गेहूं के लिये मैक्सिकन किस्में सोनारा 64 तथा लरमा राजो और मक्का, ज्वार व बाजरे की संकर किस्में। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 325 लाख एकड़ भूमि में बुवाई की जायेगी और अनुमान है कि इससे 255 लाख मीटरी टन अधिक अन्न प्राप्त होगा। जहां तक 1966-67 का सम्बन्ध है आशा है खरीफ के मौसम में लगभग 21.0 लाख एकड़ तथा रबी के मौसम में लगभग 37.5 लाख एकड़ भूमि में बुवाई की जायेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया है कि कृषकों को बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियां आदि आदान समय पर मिल जायें। राज्य सरकारें भी क्षेत्र विस्तार स्टाफ को सुदृढ़ कर रहीं हैं और जिले तथा खण्ड स्तरों पर और नियुक्तियां की जा रहीं हैं जिससे कि कृषकों को सघन तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इससे कृषकों को उन्नत तकनीकें अपनाने में सुविधा मिलेगी और कृषि कार्यों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी।

यात्रा के लिये वापसी टिकट लेने पर इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा रियायत दिया जाना

2319. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों में यात्रा करने वालों को वापसी टिकट लेने पर मिलने वाली रियायत बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह रियायत बन्द किये जाने के बाद से कितनी बचत हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां। 1.4.1966 से आई० ए० सी० की गैर-अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रिटर्न और राउण्ड ट्रिप रिबेट देना बन्द कर दिया गया है।

(ख) यह निर्णय निम्न बातों के कारण लिया गया :—

(i) व्यावहारिक तौर पर कहीं भी कोई देशीय विमान-वाहक ऐसा रिबेट नहीं देता।

(ii) किराये का हिसाब लगाने में सरलता हो गई है।

(iii) आंशिक यात्रा करने के बाद या यात्रा आरम्भ करने से पहले यात्रा का मार्ग बदलने के मामले में किराये का हिसाब फिर से लगाने में बहुत अधिक सरलता हो गई है।

(iv) यात्रियों को धनराशि लौटाने में कोई हिसाब नहीं लगाना पड़ता जैसा कि वापसी यात्राओं को रद्द करने के मामले में पहले लगाना पड़ता था।

(v) यह देखा गया कि बहुत सी परिक्रमाकार यात्राओं (राउण्ड ट्रिप) या वृत्ताकार यात्राओं (सर्किल ट्रिप) की बुकिंगें आंशिक यात्रा करने के बाद रद्द कर दी गयीं और ऐसे मामलों में रद्द की गई वापसी यात्रा का या वृत्ताकार यात्राओं के तै न किये गये भाग के किराये की धनराशि लौटानी पड़ी।

(ग) इस रियायत को बन्द करने से वार्षिक 40.00 लाख रुपये अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। वास्तविक प्रभाव कुछ समय के बाद ही जाना जा सकता है।

बिहार में धान समाहार आदेश का उल्लंघन

2320. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बिहार सरकार ने धान समाहार आदेश का उल्लंघन करने पर सैकड़ों किसानों पर मुकद्दमा चलाने के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, जिलेवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) जिन किसानों पर मुकद्दमा चलाया जायेगा, उनके पास कम से कम और अधिक से अधिक कितनी भूमि (एकड़ों में) है; और

(घ) क्या ये मुकद्दमें भारत रक्षा नियमों के अधीन चलाये जा सकते हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०**–6784/66]

(ग) जिन किसानों पर मुकद्दमें चलाये गये उनके पास कम से कम लगभग 13 एकड़ भूमि है। मुकद्दमा चलाने के लिये कोई अधिकतम भूमि सम्बन्धी सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी हां।

उपभोक्ता वस्तुओं की वसूली

2321. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को सहकारी भंडारों के जरिये उचित मूल्य

पर उपभोक्ता वस्तुएं देने के लिये सरकार की इनको निर्माताओं से वसूली के तौर पर प्राप्त करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस प्रक्रम पर है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क)और(ख). जी नहीं। इस प्रकार की किसी वसूली योजना के बारे में विचार नहीं किया गया है। विनिर्माताओं से कहा जा रहा है कि वे उपभोक्ता सहकारी समितियों को उन भावों पर माल की पूर्ति करें जो वे प्रायः वितरण के पहले स्थल पर लेते हैं। वे सामान्यतः इसके लिये राजी हो रहे हैं। यदि बातचीत द्वारा उचित समझौते नहीं होते हैं, तो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (एसेन्शल कमाडिटी एक्ट) के उपबन्धों को लागू करना पड़ सकता है।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की छात्रवृत्ति योजना

2322. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के बच्चों के लाभार्थ एक शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) . जी, हां। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की शिक्षा छात्रवृत्ति-योजना के अन्तर्गत, 1000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। यह योजना उन बच्चों को सहायता देने के लिए बनाई गई है जो अपने स्कूल या विश्वविद्यालय में पढ़ाई में होशियार होते हैं। योजना का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

सहायता की राशि :

(i) मिडिल स्तर तक पढ़ रहे बच्चों को वार्षिक 100 रुपये की राशि दी जायगी जिसमें से 75 रुपये शैक्षिक वर्ष के शुरू में दिये जायेंगे और 25 रुपये दूसरी टर्म में दिये जायेंगे।

(ii) हायर सेकण्डरी स्टेज में पढ़ने वाले बच्चों को वार्षिक 150 रुपये की राशि दो निम्न किस्तों में दी जायगी :—

100 रुपये शैक्षिक वर्ष के शुरू में।

50 रुपये दूसरी टर्म में।

(iii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के इंजीनियरी का डिप्लोमा कोर्स, जो कि तीन वर्ष

से कम का न हो, कर रहे बच्चों को वार्षिक 250 रुपये दिये जायेंगे जिसमें से 150 रुपये शैक्षिक वर्ष के शुरू में और 100 रुपये दूसरी टर्म में दिये जायेंगे ।

(iv) विश्वविद्यालय (आर्ट/साइंस कालेज) में पढ़ रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 250 रुपये वार्षिक होगी जिसमें से 150 रुपये शैक्षिक वर्ष के शुरू में और 100 दूसरी या तीसरी टर्म के शुरू में दिये जायेंगे ।

(v) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के इंजीनियरी या मेडिकल कालेज में डिग्री कोर्स में पढ़ रहे बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 120 रुपये की राशि के साथ-साथ, जो कि उन्हें वर्ष के आरम्भ में दी जायगी, 40 रुपये मासिक होगी । यह वित्तीय सहायता स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष के लिए दी जायगी ।

शर्तें :

(i) मिडिल कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों में केवल उन्हीं को अनुदान दिया जायगा जो बोर्ड/स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं में अपनी कक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं ।

(ii) हायर सेकण्डरी कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों में केवल उन्हीं को अनुदान दिया जायगा जिन्होंने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ।

(iii) आर्ट या साइंस या इंजीनियरी या मैडीसिन की डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में, या तकनीकी संस्थान में पढ़ रहे बच्चों को अनुदान/छात्रवृत्ति दी जाने के लिए बच्चे को इससे ठीक पहली बोर्ड/विश्वविद्यालय/हाउस परीक्षा में प्रथम डिवीजन प्राप्त किया हुआ होना चाहिए । यह उन बच्चों पर भी लागू होगा जो हायर सेकण्डरी या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद तीन वर्ष की अवधि का इंजीनियरी का डिप्लोमा कोर्स लेते हैं ।

Air Service to Muzaffarpur

2323. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether the question of linking of Muzaffarpur with air service has been re-examined ; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir.

(b) Patna/Muzaffarpur service is not economical. The Corporation is prepared to operate a daily service after November, 1966 provided the State Government agree to subsidise the loss.

समेकित क्षेत्र विकास योजना

2324. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित क्षेत्र विकास के लिए प्रति ब्लाक 25 लाख रुपये लगाकर महाराष्ट्र के सांगली जिले में आरम्भ की गई योजना पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) क्या छोटे-छोटे भू-धारियों के लिए मुर्गीपालन, पशुपालन तथा मत्स्यपालन जैसे आय के अतिरिक्त स्रोतों की व्यवस्था करने की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में ऐसी ही योजनायें चालू की जा रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) सांगली जिले के समेकित क्षेत्र विकास के बारे में महाराष्ट्र सरकार से औपचारिक रूप से कोई ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, महाराष्ट्र विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री पेज ने ऐसी योजना के विषय में भारत सरकार के खाद्य तथा कृषि उपमंत्री से बात की थी। उपमंत्री ने श्री पेज के साथ सांगली का दौरा भी किया था। महाराष्ट्र ने हाल ही में ऐसी योजना शुरू की है।

(ख) अभी नहीं।

आधुनिक चावल मिलों को चलाने का प्रशिक्षण

2325. **श्री बसवन्त :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फोर्ड प्रतिष्ठान के सहयोग से आधुनिक चावल मिलों को चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारतीय तकनीशनों का एक दल अमरीका में भेजने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह दल कब भेजा जायगा; और

(ग) इस प्रशिक्षण की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। सरकार का फोर्ड फाउंडेशन के एक अनुदान के अधीन चावल की कटाई से विपणन तक विभिन्न औद्योगिकी पहलुओं में प्रशिक्षण दिलाने के लिए लाऊसीआना स्टेट विश्वविद्यालय में 6 इंजीनियर भेजने का विचार है।

(ख) आशा है कि ये उम्मीद्वार जनवरी,1967 में अमेरिका में इस प्रस्तावित प्रशिक्षण में शामिल होंगे ।

(ग) यह प्रशिक्षण दो वर्ष की अवधि का होगा और इसका सारा खर्च फोर्ड फाउंडेशन देगी । प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत लौटने पर इन प्रशिक्षार्थियों के लिए भारत सरकार की आधुनिक चावल मिल प्रायोजना के अधीन कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करना अपेक्षित होगा ।

उड़ीसा में भू-संरक्षण

2326. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को भू-संरक्षण के लिए 1966-67 में कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) 1966-67 में भूमि संरक्षण के लिए उड़ीसा राज्य के लिए स्टेट प्लान स्कीमों के अन्तर्गत 47.00 लाख रुपये तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत 33.00 लाख रुपये की अलाटमेन्ट की गई है ।

(ख) भूमि संरक्षण योजनाओं की एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-6785/66]**

उड़ीसा में गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने सम्बन्धी योजनायें

2327. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने की योजनाओं के लिए 1966-67 में केन्द्रीय सरकार का उड़ीसा राज्य को कितनी धनराशि देने का विचार है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) 60.00 लाख रुपये के प्रत्याशित व्यय की तुलना में मछली पकड़ने की योजनाओं के लिए (जिनमें उड़ीसा सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजनायें भी शामिल हैं) केन्द्रीय सहायता के रूप में 10.32 लाख रुपये अलाट किये गये हैं ।

(ख) उड़ीसा सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की निम्न योजनाओं के उनके सम्मुख दिये गये प्रतिमानों के अनुसार केन्द्रीय सहायता मिल सकती है :—

योजना	सहायता का प्रतिमान
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मार्गदर्शी योजना	25 प्रतिशत अनुदान 50 प्रतिशत ऋण (केवल इंजनों के व्यय पर)
मैराइन बायोलोजी का व्यावहारिक अनुसंधान	50 प्रतिशत अनुदान
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विषय में व्यावहारिक अनुसंधान	50 प्रतिशत अनुदान

सहायता की वास्तविक मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वर्ष के दौरान में मछली पकड़ने की योजनाओं पर कितना धन व्यय होता है ।

उड़ीसा में बीज फार्म

2328. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा सरकार को 1966-67 में उस राज्य में बीज फार्म स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). राज्य सरकार ने 1966-67 की अपनी वार्षिक योजना में बीज वृद्धि फार्म आदि के विस्तार तथा सुधार के लिए एक योजना शामिल कर ली है ।

1958-59 से राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए संशोधित प्रणाली के शुरू होने के बाद केन्द्रीय सहायता देने के लिए स्वीकृतियां "कृषि विकास", "लघु सिंचाई" और "भूमि विकास" जैसे विकास के शीर्षकों के अधीन जारी की जाती हैं । 1958-59 के बाद से योजनावार स्वीकृति बन्द कर दी गई है । अतः अलग से यह बताना सम्भव नहीं है कि 1966-67 के दौरान बीज फार्म स्थापित करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जानी है ।

तुलीहाल हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना

2329. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान को 19 फरवरी, 1966 को तुलीहाल हवाई अड्डे पर हुई क्षति के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। दुर्घटना का कारण यह बताया गया है कि विमान चालक विमान को उतारते समय शुरू में जमीन पर लगने से पहले उसे ठीक तरह सीधा रखने में असफल रहा और इसके बाद विमान के भूमि पर लगने के बाद उछलने पर उसे ठीक तरह सीधा करने के लिए शोधक कार्यवाही करने में भी असफल रहा।

(ग) इसका प्रश्न विचाराधीन है।

उड़ीसा में नलकूपों की खुदाई

2330. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में (जिले-वार) उड़ीसा में कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये ; और

(ख) उनमें से कितने नलकूप सफल पाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). गत तीन महीनों में उड़ीसा में समन्वेषी नलकूप संगठन ने कोई नलकूप नहीं खोदा है।

राजस्थान को सहायता

2331. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री बसुमतारी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने हाल में कुछ आदिम जातीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करने के लिये एक योजना बनाई है और केन्द्रीय सरकार से समुचित धन मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) योजना पर विचार हो रहा है।

(ग) एक विवरण नत्थी है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये। संख्या एल० टी०-6786/66]**

बिहार को गेहूं का सम्भरण

2332. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री काशीराम गुप्त :**
श्री बड़े : **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री ह० च० सोय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार-सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उत्तर बिहार में गेहूं का रक्षित भंडार बनाने के लिये गेहूं का विशेष नियतन करने की मांग की है, ताकि हाल की वर्षा ऋतु में जब बाढ़ों के कारण परिवहन अस्त व्यस्त हो जाता है तब लोगों को गेहूं दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो बिहार सरकार ने कुल कितना गेहूं मांगा था और केन्द्रीय सरकार ने कितना गेहूं दिया है; और

(ग) यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). बिहार सरकार ने मानसून आरक्षण के लिये 50,000 मीटरी टन गेहूं का एक विशेष नियतन करने के लिये कहा था और बिहार को केन्द्रीय भण्डारों से नियमित कोटे से अधिक 35,000 मीटरी टन गेहूं नियत किया गया ।

(ग) केन्द्र के पास गेहूं की मौजूदा उपलब्धि को देखते हुए यह उचित नहीं समझा गया कि किसी क्षेत्र विशेष में गेहूं का बहुत अधिक स्टाक किया जाय विशेषकर जब कि स्वयं केन्द्रीय सरकार का बिहार में गेहूं का पर्याप्त स्टाक है और नियमित आयातों से बिहार को आयातिक आधार पर, यदि आवश्यक हुआ, गेहूं भेजने में कोई कठिनाई होने की आशा नहीं है । बाढ़ में स्टाक के खराब होने का भी खतरा है ।

गैर-सरकारी वनों का विनाश

2333. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मालाबार (केरल) में गैर-सरकारी वनों के काफी बड़े क्षेत्र को नष्ट किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार नष्ट किये गये क्षेत्र के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) मालाबार में निजी वनों को किसी बड़े पैमाने पर नहीं काटा जा रहा है । हां, चोरी छुपे कुछ वृक्ष

जरूर काटे जाते हैं, परन्तु कसूरवारों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वनों की अनाधिकृत कटाई को रोकने के लिए मद्रास प्रिवेन्शन आफ प्राइवेट फारेस्ट एक्ट को लागू किया जा रहा है ।

केरल में खाद्य पोलिटेक्निक

2334. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री इम्बीचिबावा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के कलमासेरी में एक खाद्य पोलिटेक्निक खोलने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किस शिक्षा वर्ष से शिक्षण-कार्य आरम्भ होगा ; और

(ग) आरम्भ में कितने स्थानों की व्यवस्था की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां, ।

(ख) यह संभावना है कि यह पोलिटेक्निक नवम्बर, 1966 से कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

(ग) निम्नलिखित व्यवसाय पाठ्य क्रमों में प्रत्येक के लिये 20 स्थानों की व्यवस्था की गई है ।

(1) पाकविद्या (2) बेकरी (3) बेरे बनने का प्रशिक्षण (वेटइंग) (4) बैत का काम तथा फलों का संरक्षण

उर्वरकों का मूल्य

2335. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के उर्वरक निर्माताओं ने हाल ही में उर्वरक का मूल्य बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न किस्म के उर्वरकों के लिये कितनी वृद्धि की मांग की गई है ;

(ग) मूल्यों में इस वृद्धि की मांग के इन निर्माताओं ने क्या कारण बताए हैं ;

(घ) मूल्यों में वृद्धि की मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या निर्माताओं ने खाद मिश्रण बनाने के लिये यूरिया के आयात तथा वितरण संबंधी प्रणाली के प्रश्न के बारे में भी अभ्यावेदन दिया था ; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) से (च). एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6787/66]

राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई

2336. **श्री कोल्ला बैंकेया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में और 1966-67 के पूर्वार्ध में विभिन्न राज्यों को अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट तथा अन्य रासायनिक उर्वरकों का कितना अभ्यंश दिया जायेगा ;

(ख) मार्च 1966 से जून 1966 के अन्त तक विभिन्न राज्यों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की कितनी सप्लाई की गई; और

(ग) सप्लाई में यदि कोई कमी की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क)तथा(ख). केन्द्रीय उर्वरक पूल से उर्वरकों का निर्धारण त्रिमासिक आधार पर किया जाता पहले दो है। त्रिमासिकों में प्रत्येक राज्य को जो मात्रा निर्धारित की गई और 30-6-66 तक जितनी मात्रा वास्तव में सप्लाई की गई प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6788/66] आयातों और देशीय उत्पादन से सम्भावित उपलब्धि का अनुमान लगाने के बाद ही शेष दो त्रिमासिकों (अक्तूबर-दिसम्बर 1966 और जनवरी मार्च 1967) के लिए निर्धारण किए जायेंगे।

(ग) नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों की सप्लाई में कमी करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

1. अप्रैल-मई 1966 के दौरान आयात कम हुआ।

2. विद्युत शक्ति में कमी के कारण नंगल तथा एफ० ए० सी० टी०, अलवाये जैसे कारखानों में उर्वरकों का आन्तरिक उत्पादन रुक गया था। गैस की सप्लाई कम होने के कारण रोरकेला के मामले में भी ऐसा ही हुआ।

3. राज्य सरकार द्वारा मात्राओं को भेजने के आदेश जून, 1966 में ही दिए गए।

4. लाने के लिए रेलवे वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई।

नागालैंड में निर्वाचन में पड़े मत

2337. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड विधान-मण्डल के सदस्यों के हाल के निर्वाचन में कितने प्रतिशत मत पड़े थे ;

(ख) कुल मत संख्या कितनी थी, और कुल कितने मत पड़े ; और

(ग) नेशनल पार्टी को कितने मत प्राप्त हुए तथा विरोधी दल अथवा दलों को कितने मत प्राप्त हुए ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग). नागालैंड के राज्य विधान सभा के लिए हाल में कराए गए तेरह उपनिर्वाचनों में से नौ निर्विरोध थे। जो चार निर्वाचन लड़े गए उन में दो दो अभ्यर्थी थे और नागालैंड राष्ट्रीय संगठन ने केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े किए शेष सभी अभ्यर्थी निर्दलीय थे।

जिन स्थानों के सम्बन्ध में निर्वाचन लड़े गए उन में दिए गए मतों के ब्योरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6789/66]

Use of Loop for Cattle

*2338. **Shrimati Ramdulari Sinha** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal for starting the programme regarding introduction of 'loop' for useless cattle ; and

(b) if so, when it will be introduced and where ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Yes.

(b) The scheme for bloodless method of sterilisation (loop) of cattle is expected to be started in about two months in the milk shed areas in Intensive Cattle Development Blocks.

महेन्द्र घाट और पालेजा घाट के बीच बड़ी नौका सेवा

2339. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महेन्द्र घाट तथा पालेजा घाट के बीच ट्रकों, बसों तथा मोटर कारों को ढोने के लिये बड़ी नौका सेवा की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना बिहार सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय रेगिस्तान विकास बोर्ड

2340. **श्री राम हरख यादव** :
श्री दे० जी० नायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेगिस्तानी क्षेत्रों का शीघ्र विकास करने के लिए एक केन्द्रीय

रेगिस्तान विकास बोर्ड स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों तथा क्षेत्रों में रेगिस्तान का विकास किया जायेगा; और

(घ) इस बोर्ड के कार्य क्या हैं, और इसकी वास्तविक कार्य प्रणाली क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ). एक विवरण नत्थी है। **[पुस्कालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6790/66]**

Fare Meters for Scooters Plying in Delhi.

2341. **Shri Bade :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) where meters have been fitted in all the scooters plying in Delhi;

(b) if not, the number of scooters on which meters have been fitted and the number of scooters without meters;

(c) whether it is also a fact that the scooter drivers have objected to the fixing of meters because their prices have now been doubled; and

(d) whether it is also a fact that the public is facing much inconvenience because of the absence of meters; and

(e) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) No.

(b) 1,793 scooter-rickshaws have been fitted with fare meters and 3,831 scooter-rickshaws are without such meters as on 1st August, 1966.

(c) There has been no increase in the price of scooter meters.

(d) Yes.

(e) A scheme has been drawn up by the Transport Department, Delhi, to ensure that all scooter-rickshaws plying in Delhi are fitted with fare meters by 31st March, 1967. The certificate of fitness in respect of a scooter-rickshaw will be renewed only if the vehicle has been fitted with a fare meter or its driver/owner has booked an order for such a meter. Upto 1st August, 1966, orders for 1,479 meters had been booked. This is in addition to the 1,793 scooters, which are already fitted with fare meters.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खाद्य स्थिति

2342. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान भू-भाग से बड़े पैमाने पर लोगों के आकर बस जाने

के कारण अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जनसंख्या वहां के कृषि उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हो गई है और वहां के निवासियों के लिये खाद्यान्न की कमी ने लगभग स्थायी रूप धारण कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस द्वीप समूह में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये हाल में क्या विशेष कार्यवाही की गई है ताकि वहां के लोगों की परेशानी दूर हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) यद्यपि यह सच है कि हाल ही के वर्षों में प्रधान भू-भाग से बड़े पैमाने पर लोगों के आकर बस जाने के कारण अन्दमान और निकोवार द्वीपसमूह की जनसंख्या वहां के कृषि उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हो गई है, फिर भी, इन द्वीपसमूह में खाद्य की कमी नहीं है ।

(ख) खेतिहरों में सघन खेती के तरीकों का प्रचार कर और सहायता प्राप्त दरों पर धान के उन्नत बीज तथा अन्य कृषि आदान की सप्लाई कर द्वीप समूह में खाद्यान्नों की उपज बढ़ाने के के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

पैकेज कार्यक्रम और गहन खेती जिला कार्यक्रम

2343. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में देश के किन-किन क्षेत्रों में पैकेज तथा गहन खेती जिला कार्यक्रम चालू किया गया ;

(ख) देश में कृषि पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम को नये क्षेत्रों में आरम्भ किया जायेगा ; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितनी खर्च करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) तीसरी योजना के शुरू में सात चुने हुए जिलों में चलाया गया था । तदनन्तर इस कार्यक्रम को केरल को छोड़ कर जहां दो जिलों में शुरू किया हुआ था, शेष राज्यों के एक-एक जिले में बढ़ाया गया । निम्नलिखित जिलों में कार्यक्रम चलाया गया है :—

ए. पहले ग्रुप के जिले

राज्य	जिला
1. आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
2. विहार	शाहाबाद

3. मध्य प्रदेश	रायपुर
4. मद्रास	थंजावूर
5. पंजाब	लुधियाना
6. राजस्थान	पाली
7. उत्तर प्रदेश	अलीगढ़

बी. दूसरे ग्रुप के जिले

8. आसाम	कच्चर
9. गुजरात	सूरत
10. जम्मू और काश्मीर	छः खण्ड—तीन जम्मू तथा तीन अनन्तनाग जिलों में।
11. केरल	एलीपी तथा पलघाट
12. महाराष्ट्र	भण्डारा
13. मैसूर	मान्दया
14. ऊड़ीसा	सम्बलपुर
15. पश्चिम बंगाल	बर्द्वान

(ख) सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अनुमान तथा मूल्यांकन पर विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में सघन कृषि जिला कार्यक्रम की कार्य पद्धति का पुनर्निरीक्षण किया है। समिति के निष्कर्ष मई, 1966 में प्रकाशित सघन कृषि जिला कार्यक्रम के मूल्यांकन सम्बन्धी दूसरी रिपोर्ट (1960-65) में दिए गए हैं। समिति का विचार है कि कार्यक्रम ने तत्कालीन कृषि पर इच्छित संघट्टन उत्पन्न किया है। इस सम्बन्ध में किए गए निरीक्षण निम्नलिखित हैं :—

सघन कृषि जिला कार्यक्रम वाले जिलों में अधिकतर किसान पैकेज कार्यक्रम में भाग लेते हैं, फसल मौसम के आने से पहले प्रत्येक भाग लेने वाले किसान के लिए एक फार्म प्लान तैयार किया जाता है। ऐसे फार्म प्लानों की संख्या 1961-62 में 2.06 लाख थी जो बढ़कर 1964-65 में 11.34 लाख हो गई। रासायनिक उर्वरक आदि जैसी सम्बन्धित वस्तुओं के लिए किसानों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों (अमोनियम सल्फेट के रूप में) की कुल खरीद 1961-62 में 129,900 टोन्ज से 1964-65 में 304,000 टोन्ज तक बढ़ी। इसी प्रकार फौसफेटिक उर्वरकों (सुपरफोसफेट के रूप में) की कुल खरीद 1961-62 में 64,000 टोन्ज से बढ़कर 1964-65 में 1,52,000 टोन्ज हो गई। इन जिलों में उर्वरकों की खपत बिना सघन कृषि जिला कार्यक्रम वाले जिलों की अपेक्षा ढाई से तीन गुना तक बढ़ गई है। इसी प्रकार विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों को 1964-65 में 6.83 लाख हैक्टेयर्स में बोया गया जब कि 1961-62 में 1.81 लाख हैक्टेयर्स में बोया गया था। इस अवधि में पौद संरक्षण उपायों से काफी बड़े क्षेत्र को लाभ हुआ है। 1964-65 में 11.02 लाख हैक्टेयर्स भूमि को कीड़ों और रोगों से बचाया गया जब कि 1961-62 में 3.63 लाख हैक्टेयर भूमि को बचाया गया था।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिलों में कार्यक्रम के चालू होने से खाद्यान्नों का कुल उत्पादन काफी बढ़ा है। पहले सात जिलों में कार्यक्रम शुरू होने से पहले की अपेक्षा खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ा है।

(ग) चौथी योजना के दौरान मौजूदा जिलों में सघन कृषि जिला कार्यक्रम जारी रखा जायगा और इस योजना को अतिरिक्त क्षेत्रों में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) तीसरी योजना के दौरान सघन कृषि जिला कार्यक्रम की क्रियान्विति पर केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अब तक कुल खर्च की गई राशि लगभग 14.43 करोड़ रुपये थी। चौथी योजना में जो अस्थायी प्रस्ताव हैं उन पर कुल खर्च 22.69 करोड़ रुपये आएगा।

छोटे सिंचाई कार्य

2344. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री काशीराम गुप्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 और 1966-67 में अब तक देश में छोटे सिंचाई कार्यों के लिए राज्यों को, राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में शुष्क भूमि की वास्तविक सिंचाई के मामले में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) धन की कमी तथा तकनीकी मंजूरी न मिलने से अभी तक कितने कार्य नहीं हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). 1965-66 तथा 1966-67 के दौरान छोटे सिंचाई कार्यों के लिए राज्यों को राज्यवार दी गई राशि और प्रत्येक राज्य में लघु सिंचाई सुविधायें प्रदान करने में की गई प्रगति प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6791/66**]

(ग) कृषि क्षेत्र में लघु सिंचाई को अधिकतम प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान लघु सिंचाई कार्यक्रम को तीव्र करने के विचार से सरकार विभिन्न राज्यों में इस कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निधि अलाट करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, इस निधि में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान की गई मौजूदा अलाटमेन्ट शामिल नहीं है।

फिर भी खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में तकनीकी जांच की कमी के कारण कोई लघु सिंचाई कार्य नहीं पड़ा है।

अखिल भारतीय मतदाता परिषद्

2345. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

श्री काशीराम गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अखिल भारतीय मतदाता परिषद् नामक कोई संस्था रजिस्टर कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस मतदाता परिषद् के ध्येय और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संस्था को कोई वित्तीय सहायता अथवा अन्य सहायता दी गई है जैसे निःशुल्क मतदाता सूची देना; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या सहायता दी गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय मतदाता परिषद् के ध्येय और उद्देश्य जैसा कि परिषद् के ज्ञापन पत्र में दिये गये हैं, इस प्रकार हैं :—

(i) भारत के संविधान के प्रस्तावना की भावना को व्यावहारिक रूप देना और कार्यान्वित करना ।

(ii) आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हितों के विषय में मतदाताओं के अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में उन्हें शिक्षित करना और मतदाताओं में नागरिक चेतना उत्पन्न करना ।

(iii) लोकतंत्र के संचालन में जनता के प्रभावकारी भाग लेने को बढ़ाना ।

(iv) मतदाताओं के बीच काम करने वालों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(v) मतदाताओं के मूल अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना ।

(vi) भारत और अन्य देशों में संसदीय लोकतंत्र के कार्य-चालन के सम्बन्ध में अनुसंधान परियोजनाएं आरम्भ करना और इन्हें भारतीय परिस्थितियों की अपेक्षाओं के उपयुक्त बनाने के उपायों का सुझाव देना ।

(vii) सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना और उनको लोकतंत्र और राष्ट्रीय विकास का प्रभावकारी साधन बनाना ।

(viii) नागरिकों में सामुदायिक भावना, स्वावलंब और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना ।

(ix) नागरिकों को मतदाता सूची में उनके नामों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में सहायता देना ।

(x) मतदाताओं को इसके लिए समर्थ बनाना कि वे परिषद् के द्वारा अपने-अपने प्रतिनिधि निकायों के साथ प्रभावपूर्ण सम्पर्क बनाये रखें और प्रतिनिधि निकायों में मतदाताओं की आवाज को और प्रभावपूर्ण बनाने के मार्गोपाय ढूंढना ।

(xi) ऊपर के एक या अधिक या सभी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और ऐच्छिक संगठनों के साथ सहयोग करना ।

(xii) परिषद् के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने के लिए अन्य हर काम करना जो आवश्यक हो ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जापानी जहाजरानी कंपनी

2346. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रामपुरे :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ से इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि एक जापानी जहाजरानी कम्पनी पाकिस्तान तथा चीन के बीच व्यापार करेगी, और बम्बई पत्तन पर उसके जहाज रुकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) सामान्यतः शांति के समय माल चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से चीन जापानी जहाजों में भारतीय पत्तनों से होकर विधिपूर्वक ले जाया जा सकता है।

किसानों को बीज तथा ऋण की सप्लाई

2347. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेती बाड़ी करने के लिए बीज तथा तकावी ऋण न मिलने के कारण उड़ीसा के सूखा-ग्रस्त जिलों में बहुत बड़ी भूमि में खेती नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को बीज तथा ऋण देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). राज्य सरकारों को जिलाधीशों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उनके अनुसार बीज व तकावी ऋण न मिलने के कारण कोई भूमि बुवाई से नहीं रही है ।

राज्य सरकार द्वारा बेचे जाने के लिए लगभग 4.42 लाख मन धान के बीज प्राप्त किये गये हैं; इनमें से 4.04 लाख मन कृषकों को बेच दिये गये हैं। सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकांश भूमि की बुवाई या तो कृषकों ने अपने बीजों से की और या स्थानीय तौर पर खरीदे बीजों से। जिन लोगों के पास बीज न थे उनकी सहायता सरकार ने की।

राज्य सरकार ने ऋण देने के लिए 4.53 करोड़ रुपये अलाट किये थे। इसमें से 4.35 करोड़ रुपये बांट दिये गये हैं।

ऐसे कृषकों की सहायता के लिए जिन्होंने पहले सहकारी ऋण लिया हुआ था और जो सूखे की स्थिति के कारण उस ऋण को वापिस न कर सके, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि उनके अल्पकालीन ऋण को दीर्घकालीन ऋण में बदल दिया जाय ताकि वे लोग मौजूदा वर्ष में कृषि कार्यों के लिए नये ऋण ले सकें। उड़ीसा राज्य को दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

	(रुपये लाखों में)
1—परिवर्तन के लिए मांगी गई प्रत्याशित राशि	56.70
2—मांग का वह अंश जिसे क्रेडिट स्टेबलाईजेशन फण्ड की सहायता से सेन्ट्रल बैंक अपने साधनों से पूरा करेंगे।	9.00
3—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के नेशनल क्रेडिट स्टेबलाईजेशन फण्ड द्वारा ऋण के रूप में दी गई सहायता।	35.70
4—भारत सरकार द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार की गई सहायता।	12.00

एयर इण्डिया के बोइंग विमान की दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर

2348. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1966 को मांट ब्लैंक पर एयर इण्डिया के बोइंग विमान की दुर्घटना में मरे व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मृत व्यक्तियों के परिवारों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) उन परिवारों को अन्तिम भुगतान कब किया जायगा जिन्हें केवल अन्तरिम प्रतिकर दिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). जी, हां। एक भारतीय यात्री, स्वर्गीय डा० एच० जे० भाभा के वैध वारिस को 68,200 रुपये की राशि दी गई है।

(ग) कोई अन्तरिम अदायगी नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों द्वारा हड़ताल का दिल्ली में माल की सप्लाई और कीमतों पर प्रभाव

2349. **श्री ब्रजराज सिंह :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1966 में उत्तर प्रदेश के ट्रक मालिकों की हड़ताल कितने दिन तक रही और इसके क्या कारण थे;

(ख) इससे दिल्ली नयी दिल्ली में पृथक-पृथक विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई तथा कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ा; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों/प्रशासनों द्वारा सड़क परिवहन पर लगाये गये अवरोध (बैरियर) भी इस हड़ताल का एक कारण थे और यदि हां, तो ये मतभेद कैसे दूर किये गये ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उत्तर प्रदेश के ट्रक चालक 1 जुलाई, 1966 से 16 जुलाई, 1966 तक हड़ताल पर रहे। उनकी मांगें, मोलकर का हटाया जाना, जिसकी दर 1 जनवरी, 1966 से भाड़े की 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी गई थी, चुंगी का हटा दिया जाना, सीमाओं पर उलझनों को दूर करना इत्यादि थीं।

(ख) सामान्यतया चीनी को छोड़कर जरूरी वस्तुओं की सप्लाई में अधिक रुकावट नहीं हुई। सब्जियों, घी और आमों के मूल्यों में हड़ताल की अवधि में थोड़ी वृद्धि हुई थी।

(ग) ट्रक चालकों द्वारा लगाये गये अभियोगों में से यह एक है किन्तु हड़ताल के लिए यह मुख्य कारण कहां तक था इसकी निर्धारणा होनी है।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जत नगर/मुक्तेश्वर

2350. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था, इज्जत नगर/मुक्तेश्वर के वैज्ञानिक अधिकारियों (साइंटिफिक आफिसर्स) को दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विपरीत वैज्ञानिक अधिकारियों वाले वेतन-क्रम 1 जुलाई, 1959 के बजाय 19 अक्टूबर, 1962 से दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सम्बन्धित अधिकारी असंतुष्ट तथा उद्विग्न हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के चेप्टर XV के पैरा-2 में वर्णित अधिकारियों को 1-7-1959 से वैज्ञानिक अधिकारियों वाले वेतन-क्रम दिये गये थे ।

2. दूसरे वेतन आयोग के चेप्टर XV में दिये गये पदों के मामलों पर उनकी योग्यता के आधार पर 1962 में भारत सरकार ने विचार किया । इन सब मामलों में वैज्ञानिक अधिकारियों वाले वेतन-क्रम आदेश जारी होने की तिथि से दिये गये ।

3. चूंकि भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्था में बाद की कैटेगरी के पद ही थे इसलिए संस्था के अधिकारियों को वैज्ञानिक अधिकारियों वाले वेतन-क्रम आदेश जारी होने वाली तिथि 19 अक्टूबर, 1962 से दिये गये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं होता ।

भारत पाकिस्तान और ब्रिटेन महाद्वीप जहाजरानी सम्मेलन

2351. **श्री राम हरख यादव** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान और ब्रिटेन महाद्वीप जहाजरानी सम्मेलन का एक प्रतिनिधिमण्डल गत मार्च में भारत आया था;

(ख) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने अपना प्रतिवेदन सम्मेलन को प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, यह कल्पना की जाती है कि उसने सम्मेलन के अध्यक्ष को यहां के परिणामों के बाबत अवश्य सूचित किया होगा ।

(ग) और (घ). इतिवृत्त देना सम्मेलन का गोपनीय आंतरिक मामला है जिसके बाबत सरकार को सूचित नहीं किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भूमि का कटाव

2352. **श्री कृ० चं० पन्त** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में भूमि कटाव के कारण बहुत अधिक क्षति होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कटाव से प्रतिवर्ष होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) उस क्षेत्र में कटाव से होने वाली हानि को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). भूमि कटाव के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया गया है। उपलब्ध जानकारी से पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21,640 वर्ग मील पहाड़ी वहेत, 1260 वर्ग मील वन क्षेत्र उन्मूलित हो गया है। वनों के बाहर के समस्त क्षेत्र में जो लगभग 7360 वर्ग मील है भूमि कटाव हो गया है। भूमि कटाव का अनुमान सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम आफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन केन्द्र, देहरादून में लगाया जा रहा है।

(ग) तीसरी योजना के दौरान विभिन्न केन्द्र द्वारा चलाई गई तथा राज्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत 63600 एकड़ के अनुमानित क्षेत्र में भूमि संरक्षण उपायों को लागू किया गया है। चौथी योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार साधन उपलब्ध होने पर बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है। रामगंगा नदी के जलग्रह में भूमि संरक्षण की केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं को जारी रखने के अलावा समस्त पहाड़ी जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदर्शन परियोजनायें शुरू की जायेंगी। नलहाटा नाले के बाहर के सिवालिकस में भूमि कटाव से प्रभावित क्षेत्र को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पाइलट प्रोजैक्ट भी शुरू किया गया है।

दिल्ली में सामुदायिक विकास अधिकारियों की बैठक

2353. **श्री हेमराज:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में सामुदायिक विकास अधिकारियों की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया था और क्या निर्णय किये गये थे; और

(ग) उन्हें किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) तथा (ख). 18 तथा 19 जुलाई, 1966 को हुई राज्यों के प्रवर (सिलेक्ट) अधिकारियों की बैठक में सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज संबन्धी नीति के भावी उपागमों पर विचार किया गया था। उसके बाद विकास आयुक्तों के वार्षिक सम्मेलन में नीति के ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया। अब इस पर इस महीने के अन्त में सामुदायिक विकास तथा पंचायतीराज के कार्य-भारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जाना है। उसके बाद नीति के निदेशों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

निर्वाचन उपायुक्त

2354. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरे साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन उपायुक्तों के कुछ अस्थायी पदों की मंजूरी दी गई थी किन्तु वे पद भरे नहीं गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौथे साधारण निर्वाचन के लिए भी निर्वाचन उपायुक्तों के तीन अस्थायी पदों की मंजूरी दे दी गई है तथा गत चार महीनों से अब तक किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री० चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तृतीय साधारण निर्वाचन के लिये मंजूर निर्वाचन उपायुक्तों के पद किफायत की दृष्टि से भरे नहीं गये थे । साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में बनाए गये पद जैसे ही और जब आवश्यक समझे जायेंगे भरे जायेंगे ।

पंजाब में बीज फार्म

2355. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में प्रस्तावित बीज फार्म के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). पंजाब सरकार ने केन्द्रीय यान्त्रिक फार्मों की स्थापना के लिए दो स्थानों की पेशकश की है । भूमि के हस्तान्तरण की शर्तों तथा क्षेत्रों के निशान लगाने के प्रश्न पर बात चीत चल रही है ।

त्रिपुरा की परिवहन व्यवस्था

2356. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में त्रिपुरा में परिवहन व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत के अन्य नगरों के साथ त्रिपुरा का सड़क के द्वारा होने वाला सामान्य यातायात कितने दिन तक बन्द रहा; और

(ग) ऐसा गतिरोध फिर उत्पन्न न होने पाये इसके लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना त्रिपुरा सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Printing of Ballot Papers in English for Election to U. P. Council.

2357. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**. Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is fact that ballot papers for elections to the Legislative Council of U. P. for Graduates' Constituency were printed in English only ;

(b) whether it is also a fact that the names of the candidates were printed in English only ; and

(c) if so, the reasons therefor, when Hindi is being used for all official purposes in U. P. ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The particulars on the ballot papers were printed in English in accordance with the existing directions of the Commission and it was not considered proper to change them without prior consultation with the State Government.

The Commission is reconsidering the question of the language of the ballot papers to be printed in future and has already asked the Chief Electoral Officers of the States having Legislative Councils to recommend to the Commission whether the State Governments would like to make any change in the language of ballot papers to be printed for elections to the Legislative Councils from the Council constituencies.

Agitation by Sadhus regarding cow protection.

2358. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Police, while arresting "Protect the Cow" agitation Sadhus who were squatting before the Parliament House during April last also carried away their cows ;

(b) whether it is also a fact that the Municipal Committee of New Delhi has either auctioned the said cows or sent them to some other places ;

(c) if so, whether Government propose to return those cows to the Sadhus ; and

(d) if not, the reason therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) Yes. One cow and one she calf were taken into possession by the Delhi Police on 2-4-1966.

(b) Both the animals were sent to the cattle pound, New Delhi Municipal Committee at Jai Singh Road, New Delhi. Under order of the S.D.M., the animals were sent to the Transit Camp of the Ministry of Food and Agriculture at Pusa Road on 12-4-66. The Transit camp authorities sent the animals to Central Gosadan Gullar Bhoj, Naini Tal on 14-4-66.

(c) and (d). On release from the Jail, the Sadhus requested for the return of the animals. The S.D.M. accordingly ordered their return and the Officer Incharge, Transit Camp, was requested to return the animals. The Officer-in-Charge has, however, reported that the cow, which was an old one having a lot of wounds, died in the Gosadan after a few days of its arrival there. The she calf was, however, available and necessary arrangements were being made to receive it back. As soon as the she calf is handed over to the police by the Officer-in-Charge the same will be returned to the Sadhus.

आन्ध्र प्रदेश में चावल का मूल्य

2359. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल मिलों से लिये गये चावल के मूल्य में तथा उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले मूल्य में 15 रुपये से 20 रुपये तक का अन्तर था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं। आन्ध्र प्रदेश में चावल के अधिप्राप्ति मूल्य और भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उसके निर्गम मूल्य में 15 रुपये से 20 रुपये प्रति क्विंटल का अन्तर नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर के सीमान्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें

2360. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में अपने सड़क निर्माण कार्यक्रमों को शीघ्रता से पूरा करने के उद्देश्य से 8 बुलडोजर/ट्रैक्टर प्राप्त करने के क्रयादेश दिये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विदेशी मुद्रा नहीं दी गई और कोई भी बुलडोजर/ट्रैक्टर प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बुलडोजरों/ट्रैक्टरों के उपलब्ध न होने के कारण सड़क निर्माण कार्य में विशेषकर सीमान्त तथा पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी बाधा पड़ी; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां, मणिपुर सरकार का 8 क्रोलरट्रैक्टर/डोजरस् खरीदने का प्रस्ताव था ।

(ख) जी हां ।

(ग) और(घ). सरकार को ज्ञात है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण में धीमी प्रगति होने का एक कारण यह है कि मिट्टी लाने ले जाने की भारी मशीनों की कमी है जिसका कारण विदेशी मुद्रा की अति कमी का होना है । चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए मणिपुर सरकार ने मशीनें खरीदने के लिये जिनमें अन्य मशीनों के अलावा क्रोलर ट्रैक्टर और रबड़ टायर वाले ट्रैक्टरों की खरीद शामिल है, हाल ही में एक प्राक्कलन भेजा है। यह प्रस्ताव प्ररीक्षणाधीन है। चूंकि इन मशीनों की खरीद से विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है अतः विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आवश्यक सभी मशीनों को खरीदना संभव है न हो सके ।

मनीपुर को चावल की सप्लाई

2361. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार ने चालू वर्ष में राज्य की चावल की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितना चावल मांगा;

(ख) क्या सरकार मनीपुर सरकार की समूची मांग को पूरा करेगी या अंशतः पूरा करेगी ;

(ग) क्या मनीपुर में चावल की कमी के कारणों की कभी जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कारण क्या हैं और इन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) वर्ष के शुरू में मनीपुर सरकार ने 1966 में केन्द्रीय स्टाक से 4,000 मीटरी टन चावल सप्लाई करने के लिए कहा था । जुलाई में उन्होंने 2,000 मीटरी टन और चावल सप्लाई करने के लिए कहा;

(ख) मनीपुर की मूल मांग को पूरा नहीं किया गया था । राज्य सरकार द्वारा मांगी गई 2,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा में से उन्हें 1,000 मीटरी टन मात्रा नियत की गयी है;

(ग) और (घ). चालू वर्ष में मनीपुर में चावल की पैदावार उसकी आवश्यकताओं से कम हुई है । हाल ही की बाढ़ों से यह कमी और भी बढ़ गयी है । अतः मनीपुर को केन्द्रीय भण्डारों से चावल की सप्लाई की जा रही है ।

मनीपुर में बाढ़ से नुकसान

2362. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में हाल में आई बाढ़ अभूतपूर्व थी और उससे धान के अनेक खेत जल-मग्न तथा क्षतिग्रस्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि जलमग्न हुई तथा कितने मूल्य की फसल नष्ट हुई;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ताकि किसान अपनी भूमि में फिर से खेती कर सकें ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने मनीपुर सरकार को कितनी सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). मनीपुर में हाल के बाढ़ से लगभग 86,697 एकड़ धान की खेती और 120 एकड़ समर वैजीटेशन खराब हो गयी है । अनुमानित हानि नकद 36,73700 रुपये की है ।

(ग) तथा (घ). केन्द्रीय सरकार ने दात सहायता और कृषि ऋणों के लिये दस लाख रुपए स्वीकृत किये हैं ।

Shortage of Milk in Delhi.

2363. **Shri Bade :** **Shri Sonavane :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of truck strike in U. P., there had been a shortage of 40 thousand maunds of milk per day in Delhi ; and

(b) if so, the arrangements made by Government to meet the shortage during the period of strike ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) and (b). Precise information is not available on part (a).

The Delhi Milk Scheme was able not only to maintain its normal procurement during the period of strike by the truck operators in Uttar Pradesh from 1st to 16th July, 1966, but its procurement increased by a marginal extent. Thus average procurement of the Scheme during the last two weeks of June, 1966, i.e., the period just before the strike was 1150 quintals per day. During the strike period from 1st to 16th July, 1966, the daily procurement increased to 1315 quintals during the 1st week and 1325 quintals during the second week. During the two weeks of July, 1966, immediately after the stike period, the average daily procurement was 1175 quintals and 1325 quintals respectively. It will thus be seen that there was no shortfall in procurement of milk by D.M.S. during the strike period.

It may be added that the Scheme had to take various out of the ordinary steps to maintain normal procurement during the strike period. Milk is normally being collected by the Scheme from the rural areas through hired trucks. The transport contractors of the Scheme were unable to continue transport of milk as a result of this strike. In all, the Scheme operates 12 such routes in districts of Meerut and Bulandshahr in Uttar Pradesh, and steps had to be taken to introduce our own transport for operation of these routes.

The fleet of the Scheme is fully employed normally in distribution of milk in the city. The 12 vans had to be withdrawn from this operating fleet, and distribution of milk had to be arranged by operation of a number of distribution routes on double shift basis. Loading of milk vans was started in the first shift at 11 O'clock at night instead of the normal loading time at 12.30 a.m. and the vans returned to the Central Dairy after first delivery for loading for delivery on the second route. Distribution to the town was maintained without interruption and without abnormal delays.

गन्ने के दाम

2364. **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री पन्ना लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री बृजबासी लाल :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के संयुक्त चीनी बोर्ड ने गन्ने के दाम बढ़ाये जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी, हां। वर्ष 1966-67 की फसल के लिए बिहार और उत्तर-प्रदेश के संयुक्त चीनी बोर्ड ने 2.25 रुपये प्रति मन के हिसाब से गन्ना का मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की है।

(ख) राज्य सरकारों, गन्ना उत्पादकों के संगठनों तथा मिल मालिकों की राय पर तथा चीनी जांच आयोग की सिफारिशों और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले ही वर्ष 1966-67 की फसल के लिए 10.4 प्रतिशत तथा इससे कम की वसूली के लिये गन्ने का मूल्य 5.36 रुपये प्रति क्विंटल (2 रुपये प्रति मन) निर्धारित किया हुआ है और इसके साथ ही वसूली की दर में 10.4 प्रतिशत से वृद्धि होने की अवस्था में वृद्धि की प्रति 0.1 प्रतिशत के लिए 4 पैसे के प्रीमियम की व्यवस्था की गई है।

आसाम-अगरतला सड़क

2365. **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में आसाम-अगरतला सड़क को एक राष्ट्रीय राजपथ मानने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस सड़क को सुधारने, उसे चौड़ा करने और उसका पुनर्निर्माण करने के कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). संभवतः माननीय सदस्य का संदर्भ शिलांग-अगरतला सड़क से है। यह एक राज्य सड़क है जो अंशतः आसाम में और अंशतः त्रिपुरा में है। समय-समय पर इस सड़क को राष्ट्रीय मुख्य मार्ग घोषित कर देने के प्रस्ताव मिले हैं। फिर भी वित्तीय सीमाओं के कारण, अभी तक इन प्रस्तावों को स्वीकार करना संभव नहीं हो सका है। फिर भी क्षेत्र में यातायात की आवश्यकता पूर्ति के लिए भारत सरकार पासी से बदरपुर सड़क में गायब टुकड़ों के विकास के लिए वित्तीय सहायता कर रही है। इस निर्माण कार्य में 2.22 करोड़ रुपये की लागत का प्राक्कलन है और यह प्रगति की अग्रिम अवस्था में है। यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कोई और समुन्नत कार्य आवश्यक है इस प्रश्न की परीक्षा की जा रही है।

भारतीय वन अधिनियम

2366. **श्री दशरथ देव :**
श्री बीरेन दत :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की विधान सभा ने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

त्रिपुरा में ग्राम पंचायतें

2367. **श्री दशरथ देव :**
श्री वीरेन दत्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की निर्वाचित पंचायतों ने पंचायत राज अधिनियम में अनुसूचित कार्य आरम्भ किये हैं ;

(ख) क्या इन कार्यों को करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

माही से गुजरने वाली मोटर गाड़ियों पर कर

2368. **श्री पोट्टेकाट्ट :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी की सरकार ने माही से गुजरने वाली सभी मोटर गाड़ियों से कर वसूल करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पहले भी कभी यह कर वसूल किया जाता था ;

(ग) पश्चिमी घाट सड़क का कितने मील टुकड़ा माही में से हो कर गुजरता है ; और

(घ) क्या मोटर गाड़ी मालिकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस कर को हटाने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) पांडिचेरी के संघ क्षेत्र में पांडिचेरी मोटर गाड़ी कराधान अधिनयम, 1966, 1-7-1966 से लागू किया गया था। उस अधिनियम के अन्तर्गत पांडिचेरी के संघ क्षेत्र में, जिसमें माही क्षेत्र भी शामिल है, किसी सार्वजनिक सड़क को प्रयुक्त करने वाली प्रत्येक मोटर गाड़ी से निर्धारित दर से कर वसूल किया जाता है।

(ख) 1-7-66 से पूर्व फ्रांसीसी कानून के अन्तर्गत मोटर गाड़ी कर लिया जाता था परन्तु अलग-अलग दर पर।

(ग) 2.483 किलोमीटर।

(घ) बस मालिक संघ, टेल्लीचेरी, द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों तथा केरल सरकार से प्राप्त एक पत्र के फलस्वरूप पांडिचेरी सरकार केरल में स्थित माही क्षेत्र में चलने वाली मोटर गाड़ियों से कम दर पर कर वसूली के बाबत केरल सरकार से बातचीत कर रही है।

केरल कृषक ऋण सहायता अधिनियम

2369. **श्री अ० व० राघवन :**

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उच्च न्यायालय द्वारा हाल में किये गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार के विचाराधीन केरल कृषक ऋण सहायता अधिनियम (केरल एग्रीकल्चरिस्ट्स डेट रिलीफ एक्ट) में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यह विधेयक कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के शेयर

2370. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा के कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के कितने कर्मचारियों ने प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में शेयर ले रखे हैं;

(ख) उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने विभिन्न कम्पनियों में कितने साम्य अधिमान शेयर लिये हुए हैं तथा उन शेयरों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या उन कम्पनियों में इन कर्मचारियों के सम्बन्धियों के शेयर भी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनके सम्बन्धियों ने कितने शेयर खरीद रखे हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन): (क) आसाम मनीपुर और त्रिपुरा के कम्पनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय के तीन कर्मचारियों ने दो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में साम्य शेयर ले रखे हैं।

(ख) एक कर्मचारी ने कुल 4,700 रुपये के मूल्य के 26 साम्य शेयर लिये हुए है। दूसरे के पास कुल 500 रुपये के मूल्य के 5 साम्य शेयर और तीसरे के पास कुल 300 रुपये के मूल्य के 3 साम्य शेयर हैं।

(ग) जी हां, महोदय।

(घ) इन्हीं कम्पनियों में कर्मचारियों के दो सम्बन्धियों ने 10 साम्य शेयर खरीद रखे हैं।

उपहार के रूप में विदेशों से प्राप्त अनाज की बिक्री

2371. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संस्था, अकालग्रस्त क्षेत्रों में निःशुल्क वितरण करने के लिए मार्च से जुलाई, 1966 की अवधि के दौरान विदेशों द्वारा उपहार के रूप में भेजे गये इटली के मैदे जैसे बहुत किस्मों के अनाज, खुले बाजार में तथा सार्वजनिक नीलामों में बेचती रही है;

(ख) यदि हां, तो कितना अनाज बेचा गया है;

(ग) इस प्रकार बिक्री करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस मामले की जांच की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने इटली और कुवैत से उपहार रूप में प्राप्त मैदा की 5,790 मीटरी टन की एक मात्रा महाराष्ट्र सरकार को नियत की है। राज्य सरकार इसका

वितरण वितरक एजेन्सियों जैसे कि सहकारी समितियों आदि के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेकरी वाले थोक उपभोक्ताओं को कर रही है।

(ग) और (घ). कमी से प्रभावित क्षेत्रों में मैदा जैसी उपहार में प्राप्त कुछ वस्तुओं का उपयोग व्यवहार्य नहीं समझा गया क्योंकि वहां के लोग ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते। अतः यह निर्णय किया गया कि इन वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर सामान्य माध्यमों से बेचा जाए। इस बिक्री से प्राप्त राशि को देश में कमी सम्बन्धी सहायता कार्यों पर खर्च करने का विचार है। जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में पंचायती राज

2372. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में केरल में पंचायती राज और जिला परिषद् योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इनके कार्यान्वित करने का क्या कार्यक्रम है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) आगामी आम चुनावों के बाद केरल में विधान मण्डल का गठन होने पर राज्य सरकार का अपने यहां पंचायतीराज लागू करने के लिए कानून बनाने का विचार है।

(ख) व (ग). प्रश्न नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश को चावल की सप्लाई

2373. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को कितना चावल दिया है ;

(ख) केरल सरकार ने चालू वर्ष में कितना चावल मांगा था ; और

(ग) इसके विपरीत कितना चावल दिये जाने की पेशकश की गई और वास्तव में कितना चावल दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) चालू फसल वर्ष में जुलाई, 1966 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने लगभग 2.24 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया था।

(ख) और (ग). केरल में अनौपचारिक राशन व्यवस्था की चावल सम्बन्धी सारी आवश्यकताएं केन्द्रीय भण्डारों की सप्लाई से पूरी की जाती है। जनवरी से जुलाई, 1966 तक केरल को केन्द्रीय भण्डारों से कुल 4.77 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया गया था।

केरल में चावल का मूल्य

2374. **श्री प० कुन्हन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आवास के समय केरल में उचित मूल्य वाली दुकानों पर बेचे जाने वाले चावल का मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस का निर्वाचन चिह्न

2375. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस ने अपना निर्वाचन चिह्न "बैल" रखने को कहा है ;

(ख) क्या वहां पर नई गठित कांग्रेस ने भी यह चिह्न मांगा है ; और

(ग) इस मामले में निर्वाचन आयोग ने क्या निर्णय किया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) निर्वाचन आयोग की अधिसूचना तारीख 12 जुलाई, 1966 द्वारा "जुए युक्त बैलों की जोड़ी" प्रतीक जम्मू और काश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आवंटित किया गया है।

सौराष्ट्र के तट के पास लाइबेरिया के मालवाहक जहाज का दुर्घटनाग्रस्त होना

2376. **श्री पन्नालाल :** **श्री बृजबासी लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लाइबेरिया का 'आर्केजंल माइकेल' मालवाहक जहाज

के जो यूरोप से भारत के लिये उर्वरक ला रहा था, सौराष्ट्र तट पर ओखा से सात मील एक शिला से टकराने से दो टुकड़े हो गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इससे कुल कितनी क्षति हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन और पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) एस० एस० "आर्केजंल माइकेल" 28-7-1966 को कच्छ की खाड़ी में बुराल रीफ से दूर भूग्रस्त हो गया था।

(ख) और (ग). दुर्घटना के कारण विस्तार पूर्वक तभी ज्ञात होंगे जब जांच की रिपोर्ट प्राप्त होगी। इस दुर्घटना के फलस्वरूप जहाज पूर्णतः नष्ट हो गया था।

वाईकाउन्ट विमानों को बदलना

2377. **श्री मोहम्मद कोया :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार वाइकाउन्ट तथा डकोटा विमानों के स्थान पर अधिक क्षमता वाले आधुनिक जहाज चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक किस्म के कितने विमान बदले जायेंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) डकोटाओं के स्थान पर अवरो-748 सीरीज II/फोकर फ्रेण्डशिप विमानों और वाइकाउण्टों के स्थान पर जेट विमानों को चलाने का प्रस्ताव है जिसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) 34 डकोटाओं और 12 वाइकाउण्टों के समस्त बेड़े को क्रमिक रूप से बदलने की योजना है।

उर्वरकों के मूल्य

2378. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिन्न-भिन्न राज्यों के भिन्न-भिन्न जिलों में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों और खाद-मिश्रण के मूल्यों के बारे में, जिस मूल्य पर किसान ये खरीदते हैं जानकारी एकत्र करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न रासायनिक उर्वरकों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य क्या हैं ;

(ग) अधिक मूल्य होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). विभिन्न रासायनिक उर्वरकों तथा खाद मिश्रणों में से भारत सरकार कानूनी तौर पर केवल सल्फेट आफ अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट तथा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नामक 4 खादों के मूल्यों पर नियन्त्रण रखती है। ये उर्वरक देश भर में कृषकों को निम्न मूल्यों पर बेचे जा रहे हैं :—

उर्वरक	मूल्य रुपये प्रति मीटरी टन
1—सल्फेट आफ अमोनिया :	
(क) 100 किलो के बोरे में	405.00
(ख) 50 किलो के बोरे में	416.00
2—यूरिया	680.00
3—अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	515.00
4—कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	385.00

उपरोक्त अधिकतम मूल्यों में बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

राज्य सरकारें इस बात पर नजर रखती हैं कि उपरोक्त मूल्यों का उल्लंघन न होने पाए उपरोक्त मूल्यों से अधिक दाम लेना जुर्म है और अधिक दाम लेने वालों को अनिवार्य पण्य अधिनियम 1955 के अधीन सजा दी जाती है।

जहां तक अन्य रासायनिक उर्वरकों तथा खाद-मिश्रणों का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों से सूचना मांगी जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पठानकोट खेड़ा मार्ग पर चलने वाली बसें

2379. **श्री जेधे** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा जिले में खेड़ा से होकर पठानकोट/धरमशाला से आलमपुर हरसीपत्तन/जयसिंहपुर चलने वाली परिवहन प्राधिकारों द्वारा स्वीकृत बसों की संख्या कितनी है ;

(ख) उस मार्ग पर ऐसी कितनी बसें चलती हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सड़क पर बसों के न चलने के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो जनता की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

यंत्रीकृत फार्म

2380. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में यंत्रीकृत फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी योजना के दौरान जिन राज्यों में उपयुक्त भूमि उपलब्ध है उन में 15 केन्द्रीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्र के लिए लगभग 5,000 से 10,000 एकड़ तक उपयुक्त भूमि उपलब्ध करें । इन फार्मों का मुख्य उद्देश्य कृषि को बेहतर करने के लिए बीजों की उन्नत किस्मों को उगाना और सप्लाई करना होगा । राज्य सरकारों द्वारा पेश किए गए स्थानों के सर्वेक्षण के परिणामों की प्राप्ति के बाद ही ठीक स्थान, फार्म का साइज और कार्य शुरू करने की तिथि आदि के बारे में केन्द्रीय बीज फार्म समिति द्वारा निश्चय किया जाएगा । ऐसे सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

Loss of Crops in Suratgarh Agricultural Farm Due to Floods in Ghaggar River.

2381. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the estimated loss of crops that is likely to be sustained in Suratgarh Central Agricultural Farm Rajasthan, which is under the management of Central Government as a result of floods in Ghaggar River ; and

(b) the step, Government contemplate to take to prevent this loss in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) it is not possible at this stage to assess the loss likely to be sustained from this year's floods. This can be assessed only after the floods recede.

(b) The Government of Rajasthan have drawn up a comprehensive scheme for fully tackling the Ghaggar floods. Work on the project has already started. The Rajasthan Government expect to be able to moderate the floods this year and control them next year. The Farm has also constructed ring bunds to protect the machinery, sheds, grain godowns etc. The bunds have been reinforced at some places and new ones constructed at others. A round-the-clock vigil is being maintained to ensure safety of the Farm property.

तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना

2382. **श्री मुथिया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के लिये 1966-67 के लिये बन्दरगाह अधिकारियों ने 575 लाख रुपये मांगे थे;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये 1966-67 में कम से कम 295 लाख रुपये की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या उनको वास्तव में 194 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या इस परियोजना के लिये 1966-67 में 101 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि दी जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां।

(ख) मुख्य इंजीनियर और प्रशासक, तूतीकोरिन हारवर परियोजना ने सुझाव दिया है कि 1966-67 में 193.60 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की जानी चाहिए।

(ग) उपलब्ध साधनों को दृष्टि में रखते हुये 1966-67 के लिये 193.60 लाख रुपये का आवंटन निश्चिय किया गया था।

(घ) जी नहीं। धन की अधिक तंगी के कारण 1966-67 के दौरान में अतिरिक्त राशि का आवंटन संभव न होगा।

परादीप पत्तन

2383. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परादीप पत्तन पर प्रयोग के लिये रस्से (टग) उपलब्ध कराने में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अनाज के टैंकरों को उन पर से अनाज उतारे जाने के लिये पत्तन पर कब लाया जायेया ;

(ग) क्या पत्तन से सामान ले जाने के लिये सड़क बन कर तैयार हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) परादीप पत्तन के लिये जिन दो हारबर टगों का आदेश दिया गया था वे निर्माणाधीन हैं और उनके जून 1967 तक तैयार हो जाने की आशा है। इस बीच अन्तरिम आवश्यकता की पूर्ति के लिये टगों के अन्य स्रोतों से उपलब्धि के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) आवश्यक क्षमता के टगों की उपलब्धि के बाद खाद्यान्न पोतों से लादने उतारने का काम लिया जा सकेगा।

(ग) पत्तन सड़क द्वारा कटक से मिला हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

व्यवस्था के प्रश्न के बारे में
Re : POINT OF ORDER

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I want to draw your attention to rule 355 according to which a member can ask the question to another member regarding an important business of the House. Under this rule I want to ask the question and the Hon. Food Minister who at that time was a Minister of Steel, can reply afterwards.

Mr. Speaker : I do not agree with you. You have already raised this question on a previous occasion. Under this rule, a Member can ask the question to other Member such as chairman of the P.A.C. or other committees who may have special information of the case in addition to the Minister concerned. All the question should route through the Speaker.

Shri Madhu Limaye : May I take that the Ministers are not included in the definition of 'Member' which has been given in 'Direction 2'. If that is so, I will resume my seat.

Mr. Speaker : Yes, that is my decision.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : विशेषाधिकार के प्रस्ताव से पूर्व मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा नियम 376 (2) जो कि निम्नलिखित है, के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है।

"औचित्य-प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।"

इस समय सभा के समक्ष श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध विशेषाधिकार के बारे में प्रस्ताव है। उसी सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

13 अगस्त 1966 के 'स्टेट्समैन' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि प्रधान मंत्री ने श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध लोक लेखा समिति ने जो टिप्पण दिये हैं उनके बारे में भारत के महान्यायवादी श्री दफ्तरी से परामर्श किया है। इसी समाचार पत्र में आगे चल कर लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह मामला उसी प्रकार महान्यायवादी को सौंपा है जिस प्रकार श्री नेहरू ने श्री के० दे० मालवीया का मामला सौंपा था। 15 अगस्त के टाइम्स आफ इन्डिया में भी कुछ इसी प्रकार की बात प्रकाशित हुई है।

इस मामले पर सभा में अभी विचार होना है और अभी आपने निर्णय भी देना है। वह बात कि इस मामले पर 16 तारीख को चर्चा होने वाली है। प्रधान मंत्री तथा महान्यायवादी समेत अन्य लोगों को भी मालूम है।

मेरी आपत्ति यह है कि इस मामले पर प्रधान मंत्री ने नहीं बल्कि आपने निर्णय देना है कि क्या श्री सुब्रह्मण्यम ने मंत्री होते हुए विशेषाधिकार भंग किया है।

मैं इस मामले पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा इस मामले को महान्यायवादी को सोंपना उचित था।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि प्रधान मंत्री अथवा अन्य कोई मंत्री किसी प्राधिकारी, विधि अधिकारी अथवा किसी से भी परामर्श लेना चाहता है तो उसको इसकी स्वतन्त्रता है और इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। परन्तु एक बात है कि जब निजी रूप से ऐसा परामर्श किया जाता है तो प्रेस को यह बात मालूम नहीं होने देनी चाहिए।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंहा) : हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि प्रेस को यह सूचना नहीं दी गई। किसी प्रकार यह समाचार उनको प्राप्त हो गया है।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाय कि यह जानकारी प्रेस को किस प्रकार प्राप्त हुई ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : महोदय, जी श्रीरंगा ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूं। अभी पिछले दिन गृह-कार्य मंत्रालय के बारे में भी ऐसी ही घटना घटी थी। इस बात की किसी प्रकार की जांच होनी चाहिये कि मंत्रालयों से समाचार किस प्रकार निकल जाते हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या ये समाचार टेलीफोन द्वारा निकल जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री के टेलीफोन भी टेप होते हैं ?

श्री उ०मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : सभा के नेता ने भी यह बात स्वीकार की है कि यह समाचार निकल गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन में आने से पूर्व उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया है कि समाचार किस प्रकार निकल गया था। क्या सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सभा के नेता ने बताया है कि उन्होंने यह समाचार प्रेस को नहीं दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार सच है अथवा नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The way Prime Minister has sought advice of the Attorney General and the latter gave a clear/chit regarding the adverse remarks made by P.A.C. against the Food Minister, I would like to know what will be the position of seven opposition Members in the P.A.C. if the decisions of the P.A.C. are to be ignored like this.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re: QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye : In his statement on the 10th August 1966 the Hon. Food Minister has tried to narrate the circumstances under which he made a wrong statement earlier. Although Newspapers have termed that statement as elearcut apology yet the question before the House is whether that was a clear expression of regret ? There has been frequent use of the words 'although' and 'yet' which clearly indicates that Hon. Minister is still not prepared to accept that he has shown disregard to the Public Accounts Committee. It is for the Committee of privilege, and then for the House to decide whether this apology with so many ifs and buts is to be accepted or not.

By stating on 18th May, 1966 that his orders dated 28 June, 1963 were only in the draft form, the Hon. Minister had tried to create an impression that his orders were not final. But on the 10th August, 1966 he stated in the House that his orders were final and that his earlier statement was wrong. Public Accounts Committee reached at the conclusion that his orders were definite, complete and final and then the Hon. Minister accepted this version. This makes the matter more serious. The statement of the 18th and now its clarification cannot conceal the fact that he committed contempt of Public Accounts Committee.

The Hon. Minister has tried to emphasize that after meeting Shri Jit Pal the representative of the Amin Chand Pyeare Lal he gave the final orders and that in this meeting the concerned representative apologized in writing for the deeds. The Hon. Minister has also tried to express that he was not changing his final orders instead he was making improvements in the draft. It was indeed an admirable effort on his part to misguide the House.

The Hon. Minister, shri Subramanium expressed astonishment on the conclusions of the Committee. I objected to it. The Committee itself has expressed regret on it.

It is also not true that on the initiative of the Transport Ministry the Hon. Minister decided to reconsider his earlier suspension orders. The fact is that the Steel Controller and Iron and Steel Ministry twice made enquiries in this Connection.

Even after hearing the Hon. Minister the Public Aecounts Committee could not satisfy itself by the reasons stated by him. The Public Accounts Committee has stated that the reasons stated by the Hon. Minister are obscure. It is significant that Shri Jit Pal started his reported regret letter expressing gratefulness for the kind assurance of support to their industrial undertaking given by the Hon. Minister. The Hon. Minister has deliberately excluded these words from statement of the 18th May, 1966.

Some how the Hon. Minister came to know that the Public Accounts Committee has repeated his earlier decisions he wrote a letter to the Chairman and appearing before the Committee he tried upto the last minute to influence its decisions. He did not try to fix a date which might have been convenient to both by contacting the Chairman earlier.

Shri Basil Chab in his book has stated that Public Accounts Committee is in reality like a semi-judicial body. When such an institution has made allegations against a Minister then it is not correct to take advice from the Attorney-General or any other justice.

Since 10th of this month it is being published in the Newspapers that Prime Minister has referred this matter to Attorney-General for his advice and that the latter has given a clear chit to the Hon. Minister. Under Article 76 (2) of the Constitution Government can take advice only on those matters which might have been referred to by the President. It has been known from the President's Secretariat, that President has not referred this matter to the Attorney-General. This is an important thing that when it became clear that President has not referred this matter to him, it has been published in the Newspapers that the Attorney General has not considered this matter in detail.

श्री दाजी (इंदौर) : इस प्रश्न पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये तथा इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । यह प्रश्न मूल रूप से संसद के और संसद द्वारा नियुक्त की गई समितियों के अधिकारों से सम्बन्धित है ।

श्री सुब्रह्मण्यम सभा के समक्ष अपने वक्तव्य द्वारा अपने आप को अवमान से मुक्त कराने में न केवल असफल रहे हैं बल्कि उन्होंने इस बात की अधिक पुष्टि करदी है कि अवमान हुआ है।

इन परिस्थितियों के बारे में, जिनके कारण यह धारणा बनी कि उनके आदेश अन्तिम आदेश नहीं थे बल्कि उनका प्रारूप था, श्री सुब्रह्मण्यम ने 10 अगस्त, 1966 को सदन के समक्ष जो स्पष्टीकरण दिया वह संतोषजनक नहीं है । मंत्री महोदय के सचिवालय ने निलम्बन आदेशों के बारे में जो नोट लिखा वह इतना स्पष्ट था कि लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा उनकी गलत विवेचना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी । इसलिये कोई कारण नहीं था कि लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक ने निलम्बन सम्बन्धी जो प्रारूप आदेश अनुमोदनार्थ मंत्री महोदय को भेजे थे वे मंत्री महोदय को यह सोचने पर विवश करते कि उनके आदेश भी प्रारूप आदेश ही थे । वास्तव में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक ने जब ड्राफ्ट आर्डर भेजा तो मंत्री महोदय को पूछना चाहिये था कि उनके आदेशों को, जोकि अन्तिम थे, कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से यही निष्कर्ष निकलता है कि मंत्री महोदय ने जानबूझ कर अपना वक्तव्य इस प्रकार तैयार किया जिससे सदन तथा समिति दोनों पथभ्रष्ट हों ।

मंत्री महोदय का कहना है कि जो दो बातें वह लोकलेखा समिति के समक्ष लाना चाहते थे वे समिति के समक्ष नहीं लाई गई हैं । उनमें से एक बात श्री जीतपाल के साथ उनकी भेंट के बारे में है । जब समिति ने सचिव से पूछा कि समिति के समक्ष उन्होंने इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया कि उस फर्म के प्रतिनिधि श्री जीतपाल ने मंत्री महोदय से भेंट की थी तो सचिव ने बताया कि नोट वाले भाग में इसका कोई उल्लेख नहीं था ।

वस्तुत: लोक लेखा समिति के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया गया । मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? पहली बार तो सचिव ने भी इस तथ्य को समिति के समक्ष नहीं रखा था । संसदीय लोक तन्त्र का सचिवों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस बारे में न्यायालयों ने भी निर्णय दिये हैं कि ऐसे विषयों में जिम्मेदारी मंत्री महोदय की ही है । मैं, न केवल श्री सुब्रह्मण्यम का, बल्कि पूरी सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं । मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में ऐसी हैरानी व्यक्त की है मानों उनको वास्तविक स्थित का ज्ञान न हो । माननीय मंत्री के पूरे वाक्य को पढ़ा जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उनको रिपोर्ट पर आश्चर्य नहीं था बल्कि समिति के निष्कर्षों पर आश्चर्य था । यदि कोई व्यक्ति अवमान के दोष से मुक्त होना चाहता है, तो उसे बिना किसी शर्त के क्षमायाचना करनी चाहिये । श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने वक्तव्य में शब्दों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है । श्री सुब्रह्मण्यम ने सब से बड़ी गलत बात की जब उन्होंने लोक-लेखा समिति के सामने यह समझाने का प्रयत्न किया कि 28 जून का उनका आदेश पिछले वर्ष के 16 नवम्बर वाले आदेश से अधिक विस्तृत था । मंत्री महोदय के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने उसी फर्म को पुन: मान्यता दी, जिसने सरकार को 1.43 करोड़ रुपये का धोखा दिया था । उस फर्म को अभी कोई दण्ड नहीं मिला था और उसकी स्थिति फिर से पहले के समान कर दी गई है । समिति ने इसी बात का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया है । इस प्रकार क्या माननीय मंत्री विशेषाधिकार को भंग करने के दोषी हैं ?

यह केवल छोटी सी भूल का प्रश्न नहीं है । इससे समिति के कार्य में बाधा पड़ी है और समिति को गुमराह किया गया है । इस प्रकार मेरे विचार में सभा के तथा लोक-लेखा समिति के विशेषाधिकारों को भंग किया गया है । इस की पूरी पूरी जांच होनी चाहिये । हम श्री सुब्रह्मण्यम को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहते । परन्तु यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो हमें किसी प्रकार की उदारता नहीं दिखानी चाहिये । चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो । मैं चाहता हूं कि इस विषय को विशेषाधिकार समिति के समक्ष रखा जाये ।

श्री गंगा (चित्तूर): माननीय मंत्री के वक्तव्य से सभा के कुछ सदस्यों को गुमराह किया गया है । यदि कोई मंत्री या सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा वक्तव्य देता है जिससे सभा अथवा उसका कोई सदस्य भ्रम में पड़ता है तो अवश्य ही विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है ।

यह पहली बार हुआ है कि एक मंत्री ने लोक-लेखा समिति के समक्ष पेश होने की मांग की है । यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिये थी । अब यह एक पूर्व उदाहरण बन जायेगा । मेरे विचार में विशेषाधिकार का प्रश्न यहां पर उत्पन्न होता है और आप इस बारे में अपना निर्णय देंगे ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यदि माननीय मंत्री ने महसूस किया है कि उन्होंने गलती की है तो अपने वक्तव्य में 'यदि' और 'परन्तु' आदि को छोड़कर बिना शर्त के क्षमा याचना करनी चाहिये, ताकि स्थिति अधिक गम्भीर न हो ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना विनिर्णय चार बजे दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : श्री संजीव रेड्डी की ओर से मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 25/66 की एक प्रति जो दिनांक 1 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्कालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6769/66]

(2) (एक) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मोटर गाड़ी नियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(क) अधिसूचना संख्या 8/एफ० संख्या 68/175/165-पब० जो दिनांक 27 जनवरी, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ख) अधिसूचना संख्या 78/66/68-332/66-जे० जो दिनांक 4 जुलाई, 1966 के अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) ऊपर की (एक) (क) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०- 6770/66]

खाद्य, कषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) मैं उन नोटों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं कि जिनका उल्लेख मैंने अपने 10 अगस्त, 1966 के वक्तव्य किया था ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6771/66]

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, द्वारा 11 अगस्त, 1966 को भारत स्थित चीन के दूतावास को दिये गये नोट की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6772/66]**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत भारत के खाद्य निगम

के 1964-65 के वर्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा परीक्षित लेखे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6773/66]**

संचार तथा प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर): मैं प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) प्रेस परिषद् नियम, 1966 जो दिनांक 2 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1064 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 18 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1128 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) प्रेस परिषद् (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 18 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1129 में प्रकाशित हुए थे की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6774/66]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 244/66 जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 246/66 जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6775/66]

केरल पंचायत अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): मैं इन पत्रों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचानाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 71/65 जो दिनांक 23 फरवरी, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण-कार्यों के लिए टेण्डर मांगना तथा निबटाना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 90/65 जो दिनांक 9 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण-कार्यों को कार्यान्वित करने की पद्धति) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 102/65 जो दिनांक 9 मार्च, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (लोक निर्माण-कार्यों को कार्यान्वित करने की पद्धति) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(ख) ऊपर की अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6776/66]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत चीनी (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 1 अगस्त, 6966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1193 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6777/66]**

निर्यात में सहायता तथा विकास का कार्यक्रम

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं निर्यात में सहायता देने तथा उसके विकास के लिए चुने हुए तत्काली कार्यक्रमों की रूपरेखा बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०-6778/66]**

दिल्ली में मकानों के ढह जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: HOUSE COLLAPSES IN DELHI

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): श्रीमान, कल मकानों के गिरने की दुर्घटनाओं से हम सब को बहुत दुख हुआ है । कल यहाँ पर भारी वर्षा हुई और प्रातः लगभग पौने आठ बजे भूकम्प आया इसके फलस्वरूप दिल्ली के धर्मपुरा, पहाड़ गंज और हरिनगर क्षेत्रों में मकान गिरने की दुर्घटनाएं हुईं । इनका समाचार मिलते ही दमकल की तीन टोलियां तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गईं । निरन्तर 12 घंटे सहायता कार्य किया गया और 12-30 बजे बाद दोपहर तक 18 व्यक्ति निकाले गये । इनमें से 14 की मृत्यु हो चुकी थी । इनके अतिरिक्त 6 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई थीं । इस कार्य में सैनिकों की सहायता भी प्राप्त की गई है । पड़ोस में एक छोटे अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है । प्रधान मंत्री ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है । मोहल्ले के लोगों ने सहायता कार्य में अधिकारियों को बहुत सहयोग दिया है ।

मकान मालिकों और किरायेदारों को मकान गिराने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था । तथापि मकान मालिक ने दिल्ली की सिविल कोर्ट से एकतरफा कार्यवाही रोको आदेश ले लिया और इस आधार पर नगर निगम कर्मचारियों को मकान गिराने से रोक दिया गया । हरि-नगर आश्रम में जो मकान गिरा उसमें एक बच्चा मरा और 4 व्यक्तियों को चोट लगी । पहाड़-

गंज की दुर्घटना में एक जा रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई । मृत व्यक्तियों के परिवारों को 1400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है । प्रधान मंत्री ने सहायतार्थ 10,000 रुपये दिये हैं ।

सरकार ने दुर्घटनाओं की जांच का निश्चय किया है ।

Shri Vishwa Nath Pandey: I want to know whether the house gave way due to earthquake or rains, as the Minister has not stated the matter very clearly ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know that when the Notice had been given by the corporation to demolish the house, why it was not demolished. Whether some person working in the Minitsy of Home Affairs tried to stand in this way.

Shri Nanda: The matter is being examined and everything will consequently come out.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस मकान के गिरने का कारण भूकम्प नहीं है, प्रत्युत स्थिति ऐसी थी कि वर्षा के कारण यह मकान किसी समय भी गिर सकता था । मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या इस बात का सर्वेक्षण किया जायेगा कि पुरानी दिल्ली में कितने ऐसे घर हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार की है ।

श्री नन्दा : लगभग 54,000 मकान ऐसे हैं जिनकी स्थिति इस तरह की है । 38 मकान गिरा भी दिये गये थे । परन्तु अब इससे काम नहीं चल सकता । नया सर्वेक्षण करना होगा और इस कार्य को तुरन्त करना ही होगा । मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मकान के मालिक और किरायेदारों को मकान गिराने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था । परन्तु मकान को गिराने से पूर्व वह अदालत से आदेश ले आये । इस स्थिति में निगम कर्मचारियों ने मकान का गिराया जाना रोक दिया । यह बात 2 अगस्त की है ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक—जारी

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन ने 5 अगस्त, 1966 को जो निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, अब उस पर और आगे चर्चा होगी अर्थात् :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मुझे इस विधेयक के उपबन्धों के साथ पूर्ण सहानुभूति है, और यह अच्छा है कि क्रम वाली प्रणाली समाप्त की जा रही है । मेरे विचार में केवल लोक

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सभा तथा राज्य सभा के चुनावों में ही नहीं, यह सूत्र बैंकों और व्यापारिक निकायों में भी बहुत अच्छा कार्य करेगा । इस दिशा में मेरा कहना यह है कि आज देश की स्थिति ऐसी है कि विधि सम्बन्धी शिक्षा सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रही है । मैं इस बारे में विधि आयोग के प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । मंत्री महोदय ने कहा था कि वह बाद में एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं । अतः मेरा निवेदन यह है कि उन्हें मेरे सुझाओं का ध्यान रखना चाहिए ।

लोग देश में गम्भीरता से विधि शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। विधि आयोग के प्रतिवेदन में 31 सुझाव दिये गये हैं। उन सुझावों को किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यान्वित नहीं किया गया। यह भी सुझाव है कि विधि कालिजों में पूरे वक्त के अध्यापक होने चाहिए। यह भी सुझाव था कि अध्यापन कार्य के साथ साथ विचार गोष्ठियां या सामूहिक चर्चाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसे विद्यालयों की संख्या कितनी है, जिन्होंने इन सुझावों को कार्यान्वित किया है।

गरीबों को कानूनी सहायता देने के बारे में विधि आयोग ने वाऊ काउंट बक मास्टर तथा लार्ड चान्सलर का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि जन कल्याणकारी राज्य में यह नितान्त आवश्यक है। इस काम को जितनी शीघ्रता से किया जा सके किया जाना चाहिए। इस दिशा में कई सिफारिशें की गई हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि विधि आयोग की कितनी और कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है। और इसी सन्दर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार का विचार एक अन्य व्यापक विधेयक सभा के सामने लाने का है तो इस दिशा में भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। मेरा यह आग्रह है कि गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पग उठाये जाने चाहिए। इसी उद्देश्य से विधि सम्बन्धी शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : 1961 में यह विधेयक पारित किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि विधि व्यवसाय में प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति आयें। परन्तु यह खेद की बात है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की ओर से अपने लाभ के लिए इस दिशा में प्रभाव डाला जाता रहा है। मेरा निवेदन यह है कि मूल अधिनियम बनाते समय ही इस बात पर विचार किया जाना चाहिए था। हमने वकीलों के लिए विधि का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं किया है। कहा जा रहा है कि यह वकीलों की परिषद का चुनाव चक्रानुक्रम से नहीं हो पा रहा। परन्तु यह क्यों सम्भव नहीं हो पाया। यह बात नहीं बताई गयी। बस दोष है, अतः इसमें संशोधन की अपेक्षा है। प्रश्न होता है कि अधिवक्ता अधिनियम का जो आधारभूत उद्देश्य था, वह क्यों पूरा नहीं हो पाया, इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो लोग दो वाक्य भी लिख नहीं सकते, वे भी वकील बनने आगे आ जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि अधिनियम की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत न केवल खर्च का ही परिमाण बढ़ेगा प्रत्युत विधिज्ञ परिषदों का काम भी काफी मात्रा में बढ़ जावेगा। प्रश्न यही पैदा होता है कि आरम्भ में ही इस तथ्य पर गम्भीरता पूर्वक विचार क्यों नहीं किया गया ? आज इसके कारण हजारों लोगों को हानि पहुँच रही है।

मुझे खेद है कि जो जोश इस दिशा में इस विधेयक के प्रति होना चाहिए था, वह है नहीं। मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार वास्तव में यह चाहती है कि अधिवक्ता अधिनियम का सुचारु रूप से पालन हो तो सरकार को उक्त अधिनियम को उसकी भावना को कायम रख उसके अनुसार ही काम करना होगा। सारे भारत में विधिज्ञ परिषद् की परिक्षायें होनी चाहिए।

विधि व्यवसाय में केन्द्रीयकरण हो जाना चाहिए। जो अयोग्य और अप्रशिक्षित लोग इस व्यवसाय में घुस आये हैं, अथवा आगे घुसने का प्रयास करेंगे, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। विधि व्यवसाय को बहुत ही उत्तम व्यवसाय माना जाना चाहिए। इसमें बुद्धि जीवी और उच्च वर्ग के लोग होने चाहिए। इसमें निम्न कोटि के लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मेरा सुझाव मात्र है जो मैं मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

यह जो संशोधन है, इससे जो धब्बा लगता, उसका कुछ प्रभाव नहीं होने का। इससे संस्था का कार्य सुचारु रूप में नहीं चल सकेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उसे सदस्यों के चुनने का सामर्थ्य भी नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अधिनियम का गम्भीरता से अध्ययन किया जाना चाहिए। और इस अध्ययन के बाद अपेक्षित संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके प्रशासन में भी वही भावना रहनी चाहिए, जिससे कि इसका निर्माण किया गया है।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : मैं माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस विधेयक में इतनी रुचि दिखाई है। मैंने इस से पूर्व भी सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी, मैंने संसद सदस्यों की बैठक भी इस मामले पर विचार करने के लिए बुलाई थी। उस सभा में महा अधिवक्ता भी विद्यमान थे। उन्होंने भी इस विधेयक पर विचार किया था और अधिवक्ता अधिनियम की धाराओं पर चर्चा की थी। वहाँ पर इस अधिनियम में एक व्यापक संशोधन करने पर विचार किया गया था। अतः हम यथा शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं। इस दिशा में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन सबको नोट कर लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये
Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 और 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम वियधेक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री चे. रा. पट्टाभिरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अ० सिं० सहगल (जंजगीर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, पर मुझे केवल इतनी बात कहनी है कि अच्छा होता यदि यह इससे बहुत पहले आ जाता । उन्होंने इस दिशा में बहुत समय लगा दिया है ।

I only want to impress upon the Minister that such like Bills should not be delayed in future.

Shri Ram Sahai Pandey (Guna); A senior member wants to speak, he should be given the opportunity.

Shri Sheo Narain (Bansi): I want to impress upon the Minister that some arrangement should be made for free legal aid to the poor. Bar Councils should pay adequate attention to this matter that poor people should be able to get Justice by cheap means. Also I want to impress upon the Minister that provision should be made in the new law so that graduates may not be required to take the test of the Bar Council.

श्री चे. रा० पट्टाभिरामन : इस बारे में मैं इतना आश्वासन सभा को देना चाहता हूं कि गरीब लोगों को विधि सम्बन्धी सहायता देने के लिए हमने कुछ कदम उठाये हैं । पुनरीक्षण समिति भी इस दिशा में विचार कर रही है । भारत की विधिज्ञ परिषद भी इस दिशा में पग उठा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दंड विधि संशोधन [संशोधी] विधेयक
CRIMINAL LAW AMENDMENT (AMENDING) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

यह बड़ा सरल और छोटा सा विधेयक है । इसमें केवल छः खंड हैं । 1952 के अधिनियम में संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य कुछ कठिनाइयों को दूर करना है । यह कठिनाइयां सशस्त्र सेना के एक कर्मचारी पर मुकदमा चालते समय हमारे सामने आई थीं । अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत यह अधिनियम की धारा की उपधारा (1) में उल्लेख किये गये अपराधों के मुकदमें एक विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में ही चलाये जा सकते हैं ।

बात यह है कि सेना अधिनियम के अन्तर्गत असैनिक अपराधों के लिये मुकदमा केवल सैनिक अदालत में ही चलाया जा सकता है । धारा 7 में यह व्यवस्था है कि इस तरह के अपराधों का निर्णय एक विशेष न्यायाधीश कर सकेगा । इस प्रकार से एक खिंचाव सा पैदा हो जायेगा । असैनिक अदालतों में बहुत देर लग जाती है । अतः हमने खंड 3 में इसके लिये व्यवस्था की है । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस प्रकार के अपराधों के लिये मुकदमा केवल विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में ही चलाया जा सकता है और सैनिक न्यायालय में नहीं । इसके फलस्वरूप कुछ कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं । अतः इन शब्दों में मैं इस विधेयक की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री विश्वनाथ पाण्डे : मेरा प्रस्ताव है:–

"कि विधेयक को 31 अक्तूबर 1966 तक के लिए जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव और संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 की धारा 7 का उत्तर प्रदेश में अन्धाधुन्ध प्रयोग किया गया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाये । गणपूर्ति नहीं है । मैं आधे घंटे के लिये सभा को स्थगित करता हूं ।

उसके पश्चात सभा दो बज कर पचपन मिनट अपराह्न तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then Adjourned till Fifty-five Minutes past Fourteen of the Clock

लोक-सभा दो बज कर सत्तावन मिनट अपराह्न को पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha Reassembled at Fifty-seven Minutes past Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी जनता के आन्दोलनों को दबाने के लिए इस धारा का अन्धाधुन्ध उपयोग हो रहा है। कानपुर में 1955 में कपड़ा उद्योग के 700 कर्मचारियों को पकड़ा गया और उक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत ही उन पर संक्षेप सा मुकदमा चलाया गया तथा प्रत्येक दंडाधिकारी तथा मुन्सिफ न्यायाधीश बन गया था। 12 जुलाई, 1966 को उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जेल तथा पुलिस बंदीगृह न्यायालय बना दिया गया था और सरकार ने उस अधिनियम के अन्तर्गत सभी दंडाधिकारियों तथा मुन्सिफों को पूरी पूरी शक्तियां दे दी थीं और उन्होंने इसके अनुसार मुकदमे सुने।

मंत्री महोदय सैनिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार की रक्षा करना चाहते हैं। यदि वे चाहते हैं कि सैनिक कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हो तो उन्हें सैनिक न्यायालय के नियमों में आमूल परिवर्तन करना चाहिये। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 311 को आधार बनाकर किया जाना चाहिये।

मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहिये कि दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 अथवा किसी अन्य धारा का उपयोग केवल समाज-विरोधी तत्वों, चोर बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों तथा भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध ही किया जायेगा और उसका उपयोग जनसाधारण के विरुद्ध नहीं होगा।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I had tabled an amendment in this Bill so as to elicit public opinion thereon.

The present amending Bill became necessary due to a decision of the Supreme Court. If the cases of certain soldiers, who are working in the far off areas like Ladakh or Nefa, come up before a special court, it will definitely cause delay. This bill has been brought forward to put an end to such a delay.

Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure were enacted during the British regime. After inpependence, we have adopted socialism. Therefore, it has become necessary to introduce amending bills in order to make a radical change in the old laws. This is a simple bill introduced in order to carry on the work properly.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मुझे इस विधेयक के बारे में कुछ आपत्तियां हैं। मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि इस विधेयक द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका भूतलक्षी प्रभाव होगा। विधेयक प्रस्तुत किये जाने से पूर्व जो दंड दिये जा चुके हैं, उन्हें अब संशोधी विधेयक द्वारा मान्य किया जा सकता है। ऐसा किया जाना ठीक नहीं है, उच्चतम न्यायलाय का यह मत था कि विशेष न्यायाधीशों को ऐसे मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो कुछ किया गया है, वह गलत था। इसलिए, इस त्रुटि का लाभ अभियोगी को मिलना चाहिये, और उन लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिये, जिनको पहले ही दंड मिल चुका है, यह ठीक नहीं है कि उन दंडों को इस अधिनियम द्वारा मान्य किया जाये।

दंड प्रक्रिया संहिता 1898 में बनाई गई थी। ब्रिटिश शासन के अधीन औपनिवेशिक प्रशासन ने यह संहिता बनाई थी। सरकार को चाहिये कि वे तब से हुए सामाजिक परिवर्तनों

और वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक व्यापक विधि बनाये। मंत्री महोदय विश्वास दिलायें कि दंड प्रक्रिया संहिता का अच्छी तरह पुनरीक्षण किया जायेगा। आशा है कि सरकार मेरे द्वारा उठाये गये इन मामलों पर विचार करेगी।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 21 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कार्य के अतिरिक्त किसी को उसके जीवन अथवा निजी स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। यदि हम इस संशोधी विधेयक की धारा 4 पारित करेंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि हम संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध कार्य का मान्यीकरण कर रहे हैं। इसलिए, मेरा नम्र निवेदन यह है कि संशोधी अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों को लागू न किया जाये।

मैं श्री नम्बियार के सुझाव से सहमत नहीं हूं। हम इस बात की मांग नहीं करते कि सभी लोगों को संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा मुक्त कर दिया जाये। इसके साथ ही हम गैर-कानूनी कार्यवाही को संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा मान्यता नहीं दे सकते। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूँगा कि खंड 4 के उपबन्धों पर पुनः विचार करें।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मैंने इस विधेयक को लोक राय जानने के लिए परिचालित करने के प्रस्ताव की सूचना दी थी क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण मामला अन्तर्ग्रस्त है जिस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

जब डा० कैलाश नाथ काटजू गृह-कार्य मंत्री थे और उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया था तो हमने उनसे प्रार्थना की थी कि दण्ड प्रक्रिया संहिता पर पूर्णतया पुनः विचार किये जाने की आवश्यकता है।

अब जिस रूप में देश में दण्ड प्रक्रिया संहिता लागू है, उसके अन्तर्गत कई ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें अभियुक्त बिना जमानत के तीन अथवा चार वर्षों से कारागार में पड़े हैं। यह संहिता उस समय की साम्राज्यवादी सरकार के हित में लागू की गई थी। मेरा निवेदन है कि एक उच्च सत्ताधारी आयोग इस प्रश्न की जांच करे। जब श्री तेज बहादुर सप्रू विधि सदस्य बने थे तो उन्होंने सबसे पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता में संशोधन का कार्य कराया था। सर जार्ज रैंकिन ने, जो व्यवहार न्याय समिति के सभापति थे, विलम्ब दूर करने के लिए सिफारिशें की थीं। परन्तु तबसे इस देश में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है, अब समय है कि मंत्रालय दण्ड प्रक्रिया संहिता को उचित बनाने के लिए कार्यवाही करे।

मैं उन सदस्यों के साथ सहमत हूं जिन्होंने भूतलक्षी प्रभाव वाली विधि बनाने की कड़ी आलोचना की है परन्तु ऐसी स्थिति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न हुई है। माननीय मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और उन्हें यह आश्वासन देना चाहिए कि यथासम्भव इसका भूतलक्षी प्रयोग नहीं किया जायेगा और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि कितने मामलों में

वे इसका भूतलक्षी प्रयोग करना चाहते हैं। बारसे के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण ही यह कठिनाई उत्पन्न हुई है।

मैं समझता हूं कि काश्मीर, नेफा जैसे अन्य क्षेत्रों में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करना बहुत कठिन है। सैनिक कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए आपको सैनिक न्यायालय पर निर्भर करना होगा। हम यह शक्ति देंगे परन्तु पूरी स्थिति जान कर यह शक्ति आज के बाद आगे से देनी चाहिए। लोगों की वास्तविक शिकायत यह है कि वे विलम्बकारी तरीकों से परेशान हैं।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : मैं सदा न्याय मंत्रालय स्थापित करने पर आग्रह करता रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि न्यायालय तथा न्याय का प्रशासन गृह-कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत क्यों रखा जाये।

यह बात ठीक नहीं है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी विधि के कारागार में डाल दिया जाये और बाद में अधिकारी कहें कि विधि का अस्तित्व था जब कि वास्तव में ऐसा नहीं था। मैं भूतलक्षी प्रभाव वाले किसी भी विधेयक का पूर्णतया विरोध करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1952 की धारा (7) की उप-धारा (1) के अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अपराधों के बारे में मुकदमें की सुनवाई केवल विशेष न्यायाधीश ही कर सकते हैं। मेजर ई० जी० बारसे बनाम बम्बई राज्य के मुकदमें में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मंत्रालय के लिए कठिनाई उत्पन्न हो गई है और इसी कारण विधेयक प्रस्तुत किया गया है। सैनिक कर्मचारियों द्वारा किये गये अनेक अपराधों के सम्बन्ध में सैनिक न्यायालय और अन्य सैनिक अधिकारियों द्वारा मुकदमा सुना जाता है और अभी ऐसे बहुत से मुकदमें पड़े हुए हैं। इस विधेयक द्वारा उनको मान्यता देने की व्यवस्था है ताकि सैनिक अधिकारी अपने-अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। विशेष विधि के अधीन सैनिक अधिकारियों को वायुसेना, नौसेना और स्थल सेना पर अधिकार होगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभा इसे पारित करेगी।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं**
Shrimati Renu Chakravarty in the Chair]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : इस विधेयक द्वारा जनता के आंदोलन को दबाने तथा ऐसी कोई अन्य बात करने का विचार नहीं है। यह कहा गया है कि मुन्सिफों को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कोई भी मुन्सिफ विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 2 में यह दर्ज है कि अधिनियम के अन्तर्गत कोई व्यक्ति तब तक विशेष न्यायाधीश नियुक्ति नहीं किया जा सकता जब तक कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सैशन्स जज अथवा अतिरिक्त सैशन्स जज या सहायक सैशन्स जज न रहा हो।

हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं कि सरकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके उसे वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ।

इस विधेयक का प्रभाव केवल सेना के अधिकारियों पर पड़ता है । अन्य लोगों का इससे बिलकुल कोई संबंध नहीं । इसलिए, यह विधेयक राय जानने के लिए परिचालित नहीं किया जाना चाहिए ।

दण्ड सम्बन्धी विधि सिद्धांत रूप से भूतलक्षी नहीं हो सकती । परन्तु हमें यहां अन्य बातों पर भी विचार करना है । यदि यह मान लिया जाये कि सेना न्यायालय द्वारा दिये गये सब दण्ड रद्द घोषित कर दिये गये हैं तो उन लोगों पर पुनः मुकदमा चलाया जायेगा और फिर वह कई वर्षों तक चलेगा । हम नहीं चाहते कि सैनिक अधिकारियों पर विशेष न्यायाधीशों के न्यायालयों में पुनः मुकदमें चलें । भूतलक्षी प्रभाव सम्बन्धी उपबन्ध केवल सैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में है और इस उपबन्ध से अन्य लोगों को कठिनाई में डालने का कोई विचार नहीं ।

कानून पहले से ही मौजूद है और धारा 69 पहले से ही है । यह बात नहीं कि कोई कानून ही नहीं था । एक विवाद उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह विधेयक 31 अक्टूबर, 1966 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में 17, विपक्ष में 64 ।

The Lok Sabha divided : Ayes 17; Noes 64

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड विधि संशोधन विधेयक 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 4, 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 2, 3, 4, 5 and 6 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री हाथी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने यह सूचित किया है कि वे अपना विनिर्णय इस समय न देकर कल देंगे ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्ध को हाथ में लेना) विधेयक

JAYANTI SHIPPING COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : .मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के उचित प्रबन्ध की व्यवस्था करने के हेतु एक सीमित अवधि के लिए इस उपक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी के उपक्रम का प्रबन्ध सीमित समय के लिए सरकार के हाथ में लेने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उसका प्रबन्ध सुव्यवस्थित किया जा सके । सभा अच्छी तरह जानती है कि किन परिस्थितियों में 10 जून, 1966 को एक अध्यादेश प्रख्यापित करके उसी दिन सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया था । उन परिस्थितियों के बारे में पूर्ण ब्यौरा उस विवरण में दिया गया था जो कि 25 जुलाई, 1966 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

इस विधेयक द्वारा सरकार को नियंत्रण बोर्ड नियुक्त करने तथा प्रबन्ध अपने हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की गई है । यह बोर्ड भी 10 जून को बनाया गया था ।

विधेयक के अधीन नियंत्रण बोर्ड को अधिकार होगा कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से एक "मैनेजिंग एजेंट" नियुक्त कर सकता है । 10 जून, 1966 से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया को कम्पनी का मैनेजिंग एजेन्ट नियुक्त किया गया है ।

"मैनेजिंग एजेन्ट" शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि संसार भर में व्यापारिक, वाणिज्यिक और जहाजरानी के क्षेत्रों में ये शब्द अच्छी तरह समझे जाते हैं। जब से नौवहन निगम ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है, समस्त संसार में ऋणदाताओं को उसकी साख का विश्वास हो गया है। विधेयक के अध्याय 3 में कई ऐसे उपबन्ध हैं जो अच्छे ढंग से प्रबन्ध चलाने के लिए आवश्यक हैं। खण्ड 17 द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि पारिश्रमिक तथा व्यय सम्बन्धी सभी भुगतान जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड की निधि से किये जायेंगे।

मैनेजिंग एजेन्टों, अर्थात् भारतीय नौवहन निगम का पहला कर्तव्य है, जयन्ती जहाजी बेड़े के 21 जहाजों को काम में लगाये रखना। प्रारम्भिक जांच के परिणामस्वरूप प्रबन्ध अभिकर्ताओं को पता लगा कि कम्पनी के पास उसके जहाजों को चलाने के लिए देश या विदेश में नकद रुपया नहीं था। जलयानों को सामान देने वाले तथा वहां सेवा करने वालों को भुगतान नहीं किया गया था तथा वे आगे के लिए सामान देना बन्द कर रहे थे। जलयानों पर काम करने वाले अधिकारियों तथा चालकों का वेतन काफी बकाया हो गया था। कुछ पत्तनों पर पत्तन शुल्क तथा अन्य संविहित भुगतान भी बकाया थे। विदेशों में जहाजों की मरम्मत करने वाले नावांगणों में, विशेषकर जापान में, मरम्मत के दाम नहीं दिये गये थे। पहले के प्रबन्धकों ने आवश्यकता के अनुसार जहाजों की मरम्मत तथा विशेष सर्वेक्षण नहीं कराये थे। कार्यभार संभालते ही प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने तुरन्त ही जलयानों के मास्टरों से सम्पर्क स्थापित किया तथा जलयानों को चलाने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये। सब मास्टरों ने निदेशों का पालन किया तथा जहाजी बेड़े का संचालन कार्य अपने नियंत्रण में लिया। प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने जलयानों को सामान देने वाले बड़े-बड़े संभरणकर्ताओं से संपर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि वह नये प्रबन्धकों से सहयोग करें तथा उन्हें सामान आदि उधार देते रहें। बड़े-बड़े सम्भरणकर्ता इस बात के लिए एकदम तैयार हो गये। प्रबन्ध अभिकर्ताओं की जांच के अनुसार कम्पनी की 10 जून, 1966 तक की देनदारियां, जिनमें प्रदत्त अंश पूंजी तथा कुल ऋण और मौजूदा देनदारी भी शामिल है लगभग 47.38 करोड़ रु० थी। इसके मुकाबिले में कम्पनी की कुल आस्तियां केवल 43 करोड़ रु० की थी।

कम्पनी के जलयानों को चलती हालत में रखने के लिये नियन्त्रण बोर्ड के निदेशों के अनुसार प्रबन्ध अभिकर्त्ता, आवश्यक भुगतान करने के लिये अपने निजी धन को भी काम में ले रहे थे। प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने जितना धन पेशगी दिया उसे ऋण समझा जा रहा है और उसकी जयन्ती शिपिंग कम्पनी से परिपूर्ति की जायेगी। चूंकि प्रबन्ध अभिकर्त्ता सारी देनदारियों का भुगतान अपने पास से करने की स्थिति में नहीं हैं, सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह कम्पनी की मौजूदा तथा तुरन्त देनदारियों को पूरा करने के लिये धन की व्यवस्था करे। सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप जयन्ती शिपिंग कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष ने जो अनियमितताएं की थीं, वह प्रकट हुई हैं। उन्हें सभा पटल पर रखे गये विवरण में पूरी तरह समझा दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड के उचित प्रबन्ध की व्यवस्था करने के हेतु एक सीमित अवधि के लिये इस उमक्रम के प्रबन्ध को हाथ में लेने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक के साथ लगाया गया वित्तीय ज्ञापन एक बेकार का दस्तावेज है। इससे किसी की समझ में कुछ नहीं आता। एक ही वाक्य में "इनिशियली", (आरम्भिक) "अल्टीमेटली" (अन्ततः) तथा "लाइकली" (संभवतः) शब्दों के प्रयोग ने ज्ञापन को बिल्कुल भ्रान्त बना दिया है। नियमानुसार, प्रारम्भिक खर्च ज्ञापन में दिखाया जाना चाहिये। वर्तमान ज्ञापन के साथ, सदन विधेयक पर विचार नहीं कर सकता। सरकार को ठीक ठीक वित्तीय ज्ञापन तैयार करना चाहिये। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 69 में यह दिया गया है कि विधेयक के वे उपबन्ध, जिनका सम्बन्ध व्यय से है, मोटे अक्षरों अथवा इटालिक्स में छपने चाहियें। विधेयक में इस बात को भी पूरा नहीं किया गया है। जब तक इन त्रुटियों को दूर नहीं किया जाता, विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 69 का परन्तुक इस प्रकार है :

"परन्तु जहां किसी विधेयक में कोई खंड, जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त हो मोटे टाईप या तिरछे अक्षरों में न छापा जाये, तो अध्यक्ष विधेयक के भार साधक सदस्य को ऐसे खंडों को सभा की जानकारी में लाने की अनुज्ञा दे सकेगा।"

क्या भारसाधक मंत्री उन खंडों के बारे में बता सकते हैं जिनमें विशिष्ट रूप से आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक उस खंड का सम्बन्ध है जिस पर विशिष्ट ध्यान देना है उसका उल्लेख स्वयं वित्तीय ज्ञापन में किया गया है। अर्थात्, खंड 17। इस खंड का सम्बन्ध वेतन, भत्ते तथा अन्य उजरतों के भुगतान से है। इन मामलों पर किया गया सारा खर्च जयन्ती शिपिंग की निधियों से पूरा किया जायेगा। अतः वित्तीय ज्ञापन के अर्न्तगत जो आकस्मिकता दी गई है उसमें नियम 69 के अन्तर्गत दी गई आवर्ती या अनावर्ती व्यय की बात लागू नहीं होती।

फिर माननीय सदस्य ने संविधान के अनुच्छेद 110 को निर्दिष्ट किया। यह अनुच्छेद भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग के बारे में है। हमने इस निधि में से कम्पनी के लिये अभी तक एक भी पैसे का विनियोग नहीं किया है। यदि बाद में ऐसी आकस्मिकता पैदा हुई तो उसके लिये अनुच्छेद 117(3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त कर ली गई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक खंड में कहा गया है कि भारत की संचित निधि में से धन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिये वित्तीय ज्ञापन का होना आवश्यक है क्योंकि न्यूनाधिक इतनी आवश्यकता होगी।

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री व्यय और शुद्ध व्यय में अन्तर कर रहे हैं। वित्तीय ज्ञापन में दिया गया है कि व्यय किया जायेगा परन्तु अन्त में कोई शुद्ध व्यय नहीं किया जायेगा क्योंकि वह जयन्ती शिपिंग से ले लिया जायेगा। नियम 69 में व्यय और शुद्ध व्यय में ऐसा कोई भेद नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार संचित निधि में से आरम्भ में जो कुछ व्यय करना चाहती है उसका विवरण आज रात तक माननीय सदस्यों को परिचालित कर दे। कल हम इस विधेयक पर विचार करेंगे।

सीमा शुल्क (संशोधन विधेयक)
CUSTOMS (AMENDMENT) BILL

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस विधेयक द्वारा सीमा शुल्क की दरों में कुछ समायोजन किया गया है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप आयात और निर्यात में जो असंतुलन पड़ गये हैं उनको ठीक करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

चूंकि सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कानून में संशोधन अपेक्षित था और संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था।

विधेयक का उद्देश्य सभा-पटल पर रखे गये विवरण में पहले से ही दे दिया गया है जिसमें मामले को तथा राजस्व के घाटे और अन्य वित्तीय विवरणों को स्पष्ट किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : अवमूल्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन करना आवश्यक समझा ताकि अधिनियम की धारा 14 में स्पष्ट तौर से यह व्यवस्था हो कि आयात किये गये माल का मूल्य अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित तारीख को लागू विनिमय की दरों के अनुसार निर्धारित किया जाय। यह अवमूल्यन के कारण आवश्यक हुआ है। इस संशोधन के अनुसार सीमा शुल्क का खर्च तथा दर, उन वस्तुओं के सम्बन्ध में नई विनिमय दर से निर्धारित की जायेगी जिन्हें अवमूल्यन की तारीख से पहले आयात किया गया था, परन्तु कस्टम्ज बॉंडेड वेयर हाउसों (सीमा शुल्क के गोदामों) से उस दिन अथवा उसके पश्चात् निकाल लिया गया।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

इसके अनुसार दोनों प्रकार के आयातकर्ता, अर्थात् जिन्होंने अवमूल्यन की तिथि से पहले अपने आयात किये हुए सामान को गोदाम में रखा, तथा वे जिन्होंने इसी प्रकार के सामान को आयात किया लेकिन उस तारीख के बाद घरेलू खपत के लिए निकलवा लिया, एक ही स्थिति में रख दिये गये हैं। इसलिए राष्ट्रपति ने 8 जुलाई, 1966 को सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश की ठीक ही प्रख्यापना की थी।

वस्तुतः शुल्क की घटी दर से अर्थात $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत यथामूल्य के अतिरिक्त आयातकर्ता को $15\frac{1}{2}$ रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ। अवमूल्यन के कारण मिलने वाले इस अतिरिक्त लाभ को 'बांडर' के पास नहीं रहने दिया जाना चाहिए। इन बातों को देखते हुए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन तत्काल कर दिया गया था। इन शब्दों के साथ मैं सीमाशुल्क (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। आशा है अन्य माननीय सदस्य भी विधेयक का समर्थन करेंगे। ऐसा करने से सीमाशुल्क अधिनियम को काम में लाना सरल हो जायेगा। यह बहुत ही सरल विधेयक है। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इसे पारित कर देवें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस विधेयक द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम में विनिमय दर की कल्पना का समावेश किया गया है। इसके अनुसार उन आयातकर्ताओं को जिन्होंने अवमूल्यन की तिथि से पहले सामान आयात किया था तथा जिन्होंने अपना सामान "कस्टमज बान्डेड वेयरहाउसेज" में रखा था जहां तीन वर्ष तक सामान रखा जा सकता है, तथा उसी प्रकार के सामान के अन्य आयातकर्ताओं को, जिन्होंने अपना सामान अवमूल्यन के पश्चात देशी खपत के लिए निकलवा लिया था, एक ही स्थिति में कर दिया है। अवमूल्यन के पश्चात न केवल विनिमय की दर बदल गई है अर्थात रुपये का मूल्य 36 प्रतिशत कम हो गया है, बल्कि अवमूल्यन के फलस्वरूप शुल्क की दर का भी समायोजन किया गया है। इसलिए उस सामान पर अब नई विनिमय-दर अर्थात् 36 प्रतिशत कम शुल्क लगेगा। अवमूल्यन के कारण ऐसा करना आवश्यक था।

विधेयक का उद्देश्य आयात तथा निर्यात की असमानता को ठीक करना है। चूंकि हम शुल्क की दरों में यह असमानता समाप्त नहीं कर सके, इसलिए सीमाशुल्क कानून में विनिमय दर की कल्पना को लागू करना पड़ा। चूंकि उस समय सभा नहीं बैठी हुई थी तथा यह मामला अविलम्बनीय था, इसलिए इस सरल संशोधन को अध्यादेश के द्वारा लाया गया। इस विधेयक का यही उद्देश्य है और आशा है कि सभा को इस सरल संशोधन के स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

" कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि 1 से 4 खण्ड, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 1 से 4, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया
Clauses 1 to 4, Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

आधे घण्टे की चर्चा
HALF-AN-HOUR DISCUSSION

पाकिस्तान तथा चीन द्वारा मिजो और नागा विद्रोहियों की सहायता के बारे में
Re. help to Mizo and Naga Hostiles by Pakistan and China

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : नागा लोगों और मिजों लोगो का एक दल सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह कर रहा है । यह कहना पूर्णत: सत्य नहीं है कि वे लोग इसलिए सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं कि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं अथवा वे सभ्यता में पीछे हैं । सचाई यह है कि अँग्रेजों ने आसाम के पहाड़ी क्षेत्र पर 70 वर्ष तक कब्जा बनाये रखा और इस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक सुधार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया । इस दौरान वे लोग भारत के अन्य भागों के लोगों से अलग रहे । परन्तु दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के गत 19 वर्षों में भी सरकार ने इन बनावटी रुकावटों को जिन्हें विदेशी शासकों ने भारत के भिन्न समुदायों के बीच खड़ा किया, समाप्त करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे लोग हमारे हमजात हैं ।

विद्रोही नागा तथा मिजो शस्त्र तथा गोलाबारूद लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं । उन स्वयंसेवकों को छापामारी का प्रशिक्षण शिविरों में दिया गया, जिसकी व्यवस्था चीन तथा पूर्वी पाकिस्तान ने मिल जुल कर की थी । क्या कारण है कि सरकार इस सीमा को बन्द करने में अब तक सफल नहीं हुई है ।

चूंकि नागाओं तथा मिजो लोगों के विद्रोही वर्गों ने भारतीय संघ के प्रति अपनी निष्ठा को स्पष्ट रूप से त्याग दिया है, उन्होंने स्वतंत्रता की अपनी मांग को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की है और वे, विशेष रूप से विद्रोही नागा, अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग को अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन देने में सफल हुए हैं। मिजो भी अपनी समस्या की ओर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में बहुत कुछ सफल हुए हैं। नागा विद्रोहियों की तरह मिजो लोग भी पूर्वी पाकिस्तान से हथियार तथा गोला-बारूद एकत्र कर रहे हैं। गुहाटी में एक छिपे नागा नेता ने मुझे बताया कि यदि भारत सुरक्षा और स्वतंत्रता की प्रतिरक्षा के लिए मित्र देशों से हथियार और गोला-बारूद प्राप्त कर सकता है तो क्या हम भारतीय आक्रमण के विरुद्ध अपने देश के हितों की सुरक्षा के लिए हथियार और गोला-बारूद प्राप्त नहीं कर सकते। छिपे नागा नेताओं द्वारा इस प्रकार की दलीलें दी जाती हैं।

नागा तथा मिजो दोनों ने ही अपनी अपनी सरकार बना ली है। अभी हाल में, एक छिपे नागा नेता ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आते समय यह कहा है कि भारत सरकार ने पहले ही विद्रोही सरकार को, जो कि संघीय सरकार है, मान्यता दे दी है। विद्रोही नागाओं ने अपनी सरकार 22 मार्च, 1956 को ही बना ली थी। विद्रोही मिजो ने भी कहा है कि उन्होंने भी विद्रोही सरकार बना ली है।

इन वर्षों में विद्रोही नागा और मिजो नेता पाकिस्तान से हथियार तथा गोला बारूद एकत्रित करते रहे हैं। वे हमारे शत्रु, चीन तथा पाकिस्तान से सांठगांठ करते रहे हैं। हमारी सरकार ने इन भारत-विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की है। इस पर मुझे आपत्ति है।

आसाम सरकार की कमजोर नीति और विशेष रूप से आसाम के मुख्य मंत्री मिजो पहाड़ियों में गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी हैं। नागा पाकिस्तान से हथियार तथा गोला-बारूद अक्सर मंगवाते रहे हैं किन्तु केवल तीन चार बार उन्हें पकड़ा गया है। पकड़ने के पश्चात भी सरकार ने इन नागाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की है। श्री लाल डिगा, 'मिजो नैशनल फ्रन्ट' के अध्यक्ष के पास जब 1964 में कुछ हथियार आदि पकड़े गये तो सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। इसका कारण यह था कि उसने मुख्य मंत्री को एक पत्र द्वारा आश्वासन दिलाया था कि वह भविष्य में अच्छे आचरण का अनुसरण करेगा। 1966 में जब उसने भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया और मिजो पहाड़ियों को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, स्वतंत्र राज्य घोषित किया तो मुख्यमंत्री की आंखें खुलीं। यह कमजोर नीति का परिणाम है। नागा तथा मिजो मिलजुल कर कार्यवाही कर रहे हैं और वे चीन की सीमा से छूते नेफा क्षेत्र तक आतंक फैलाना चाहते हैं।

नागालैंड के मामले में पाकिस्तान की स्पष्ट सहभागिता तथा पादरी माइकेल स्काट की सहभागिता के अतिरिक्त एक शक्तिशाली एंग्लो-अमरीकी संस्था, जिसका मुख्यालय लन्दन में है तथा जिसकी शाखायें चिटागांग, कोक्स बाजार और पूर्वी पाकिस्तान में ढाका में हैं, विद्रोही

नागाओं को वित्तीय सहायता दे रही हैं। इस संस्था को बैप्टिष्ट मिशन का तथा 8 एंग्लो अमरीकी धार्मिक मिशनों का आशीर्वाद प्राप्त है। लंदन में इस संस्था द्वारा श्री फिजो और उसके साथियों को वेतन दिया जाता है। भारत और पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी इसके एजेन्ट हैं। 'अबजरवर' और 'गारडियन' समाचार-पत्र इस संस्था के साथ मिले हुए हैं। अतः पाकिस्तान की सहायता से इन विद्रोहियों ने एक षड़यन्त्र खड़ा किया है। विदेशी शस्त्रों की सहायता से तोड़फोड़ तथा हिंसा की कार्यवाही करके नागा तथा मिजो विद्रोही स्थानीय नागरिकों को हतोत्साह करने पर उतारू हैं। यदि इस षड़यन्त्र को और विकसित तथा सफल होने दिया जायेगा तो हमारी पूर्वी सीमा पर चीन की सीमा तक का पूरा क्षेत्र विद्रोही हो जायगा और इस के जो परिणाम होंगे वे स्पष्ट हैं।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : मिजो विद्रोहियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के बावजूद भी मिजो पहाड़ियों में शांति स्थापित नहीं हो पायी है। इसके अलावा हाल ही में बाढ़ के कारण मिजो पहाड़ियों में सब सड़कें टूट-फूट गई हैं। क्या सरकार कम से कम मैदानी जिलों में सड़कों को पुनः बनाने का प्रयास कर रही है ताकि आने जाने में सुविधा रहे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : गृह-कार्य मंत्री ने सभा में कई बार यह उल्लेख किया है कि मिजो और नागाओं को पाकिस्तान द्वारा हथियार दिये जाने के कुछ निश्चित प्रमाण मिले हैं। किन्तु यह कहना कि हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए या विद्रोही नागाओं को पाकिस्तान में प्रशिक्षण पाने के लिए जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास बिल्कुल विफल रहे हैं, उचित नहीं है। गत तीन वर्षों में सरकार ने इन व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान जाने के लिए किये गये कई यत्नों को सफल नहीं होने दिया है।

मिजो पहाड़ियों की बहुत लम्बी सीमा पाकिस्तान की सीमा से मिलती है। घने जंगलों के कारण यह बहुत कठिन है कि इन लोगों का पाकिस्तान जाना रोका जा सके। दूसरी कठिनाई यह है कि पाकिस्तान की सीमा में भी मिजो लोग रहते हैं। इन लोगों की सूरतें मिलती जुलती हैं। इस प्रकार की कई उलझने हैं। फिर भी, सीमा सुरक्षा सेना के हाथ में नियंत्रण आ जाने से और सीमा पर और अधिक चौकियां स्थापित करने से हमें इस दिशा में काफी सफलता मिली है। बर्मा सरकार ने इस सम्बन्ध में हमें बहुत सहयोग दिया है। अब बर्मा होकर पाकिस्तान जाना इन विद्रोहियों के लिए प्रायः असम्भव हो गया है।

इन विद्रोहियों से जो हथियार प्राप्त हुए हैं उन पर या तो पाकिस्तानी चिह्न हैं या किसी भी प्रकार के चिह्न नहीं हैं। कुछ हथियारों पर भारतीय चिन्ह भी पाये गये हैं। किन्तु ऐसे हथियार बहुत कम हैं। अधिकांश हथियार पाकिस्तान से बने हुए हैं। इस बारे में सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि हथियारों पर भारतीय निशान पाकिस्तानियों द्वारा जानबूझ कर लगाये गये थे या वे उन हथियारों में से थे जोकि हमारी सेना से मुठभेड़ के दौरान वहां छूट गये थे।

इस क्षेत्र के विकास के बारे में तथा तथाकथित भारत से इस आदिम जाति क्षेत्र को

अलग करने के ब्रिटिश षड़यन्त्र के बारे में काफी कुछ कहा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात इन लोगों में भारतीयता की भावना भरने के लिए तथा उनकी संस्कृति को आत्मसात करने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये हैं। इन क्षेत्रों में भारत के अन्य क्षेत्र के साथ भावनात्मक एकता लाने के उद्देश्य से काफी रकम खर्च की गई है। आसाम के मैदानी भागों के लोगों तथा पहाड़ी आसामियों में भावनात्मक अन्तर के कारण हमारे ये उपाय अधिक कामगर सिद्ध नहीं हुए हैं।

पाकिस्तान द्वारा विद्रोही आदिम जाति लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाये गये हैं। हमें यह समाचार भी मिले हैं कि इन शिविरों में चीनी भी थे परन्तु हमें यह पता नहीं है कि इन प्रशिक्षण शिविरों में किस हद तक चीनियों ने सहायता दी है।

पहले भी कई बार यह कहा गया है कि छिपे हुए नागाओं से बातचीत करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उनकी तथाकथित संघीय सरकार को मान्यता दी गई है।

परिवहन के मामले में बहुत दिक्कतें हैं। मिजो में केवल एक बड़ी सड़क है। इसलिए हमने यह प्रयत्न किया था कि मिजो क्षेत्र में अधिकाधिक सड़कें बनाई जाएं ताकि न केवल सेना ही बल्कि वे सिविलियन लोग भी जो प्रशासन चलाते हैं, जिला के अन्दर की ओर रहने वाले लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। हम अधिकाधिक प्रशासन केन्द्र खोल रहे हैं। आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में काफी राशि खर्च की जा चुकी है।

श्री वसुमतारी (ग्वालपाड़ा). क्या यह सच है कि जब गारो, नागालैंड तथा मिजो पहाड़ियों में अत्याचार हुआ तो तभी केन्द्र सरकार को उस क्षेत्र की कठिनाइयों की जानकारी हुई ? अन्यथा आसाम सरकार की शिकायत है कि भारत सरकार उन क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है और आवश्यक सीमा तक संचार व्यवस्था का विकास करने के लिए पर्याप्त धन नहीं दे रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इन क्षेत्रों के विकास के लिए काफी राशि खर्च की गई है। अब नयी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान में रहने वाले गारो आदि जाति और अन्य आदिम जाति के लोगों की अपनी फौज में भर्ती शुरू कर दी है। हम इस स्थिति की ध्यानपूर्वक देखभाल कर रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि बिगड़ी स्थिति को सुधारने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं। आशा है आने वाले वर्षों में वहां शान्ति की स्थापना हो जायेगी और इस क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ मिलाया जा सकेगा। जहां तक इन लोगों के सीमा पार करने का प्रश्न है, हम सख्त उपाय अपना रहे हैं जिससे इसको रोका जा सके। इन लोगों के साथ शान्ति वार्ता भी चल रही है।

श्री रंगा (चित्तूर): पाकिस्तान सरकार मिजो लोगों को सेना में भरती कर रही है क्या भारत सरकार भारत में रहने वाले मिजो लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारी सशस्त्र सेनाओं में काफी मिजो लोग हैं। सच्चाई यह है कि मिजो जिले में काफी भूतपूर्व सैनिक हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अगस्त, 1966/श्रावण 26, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 17, 1966/Sravana 26, 1888 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565